खण्ड–28, अंक–10
गुरूवार, 04 चैत्र, शक संवत्, 1932
(25 मार्च, 2010 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2010)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 28 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य–

विषय सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	... ...	''क''
प्रश्नोत्तर	... ...	1–32
मंत्री परिषद् के विरूद्व प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव	... ...	32
रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		33–34
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं	... ...	34
प्रदेश में कोषागार नियमावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर प्रमोशन प्राप्त लेखाकारों / उप कोषाधिकारियों को पुनः अनुवर्ती पदोन्नति दिये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	... ...	34–35
प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्थायी राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	...	35
विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	...	35
जनपद हरिद्वार की विधान सभा भगवानपुर के गाँव हसनावाला के मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	... ...	36
पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0वि0 पन्तनगर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	... ...	36
जनपद पौड़ी के लोक निर्माण विभाग बैजरों स्थिति निर्माण खण्ड में चौदह अधिकारियों / कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण विकास कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना		37
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग	... ...	37–38

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	38–66
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग	66–68
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)	68–76
वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान	76
अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग ...	76–89
अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग	89
अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग	90–97
नियम–310 के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में दिनांक 24 मार्च, 2010 को बक्शी खोला में श्री हेम जोशी तथा श्री नवीन चन्द्र जोशी आदि के मकानों में लगी भीषण आग से हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचना	98–99
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	99–100
जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में श्री पूर्णागिरी में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 फरवरी 2009 को करने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में श्रीमती वीना महराना द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य...	100
जनपद अल्मोड़ा के तहत प्रस्तावित विकास खण्ड जालली से लगी हुई लगभग 60 ग्राम सभाओं में लो–वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा 4 वर्ष पूर्व 33/11 के0वी0ए0 सब–स्टेशन बनाए जाने की घोषणा तथा तत्पश्चात् विभाग द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	100–101

''क''

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अनिल नौटियाल
3—श्रीमती अमृता रावत
4—श्रीमती आशा
5—श्री ओम गोपाल
6—श्री करन मेहरा
7—सुश्री कैरन मेयर
8—श्री किशोर उपाध्याय
9—श्री केदार सिंह फोनिया
10—श्री खजान दास
11—श्री खड़क सिंह बोहरा
12—श्री गगन सिंह
13—श्री गणेश जोशी
14—श्री गोपाल सिंह
15—श्री गोपाल सिंह रावत
16—श्री गोविन्द लाल
17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19—श्री चन्दन राम दास
20—श्री जोगा राम टम्टा
21—श्री जोत सिंह गुनसोला
22—हाजी तस्लीम अहमद
23—श्री तिलक राज बेहड़
24—श्री दिनेश अग्रवाल
25—श्री दिवाकर भट्ट
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—काजी मौ0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
31—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृजमोहन कोटवाल
40—श्री शेर सिंह गढ़िया
41—मे0जन0 (अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी
ए0वी0एस0एम0
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मनोज तिवारी
44—श्री मयूख सिंह
45—श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महूं भाई''
46—श्री मातबर सिंह कण्डारी
47—श्री कुलदीप कुमार
48—श्री यशपाल बेनाम
49—चौ0 यशवीर सिंह
50—श्री रणजीत रावत
51—डॉ0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''
52—श्री राजकुमार
53—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
54—श्रीमती विजय बड़थ्वाल
55—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
56—श्रीमती वीना महराना
57—श्री शहजाद
58—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
59—श्री सुरेन्द्र राकेश
60—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
61—श्री सुरेश चन्द जैन
62—डॉ0 हरक सिंह रावत
63—श्री हरभजन सिंह चीमा
64—श्री हरिदास
65—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 25 मार्च, 2010 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

प्रदेश स्थित जल विद्युत गृहों से विद्युत उत्पादन तथा तापीय विद्युत गृह आण्विक यूरेनियम यूनिट पर विचार

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के जल विद्युत गृहों से एक वर्ष में कितने माह उत्पादन होता है तथा कितने माह उत्पादन नहीं होता है ?

क्या सरकार किसी अन्य विधि जैसे तापीय विद्युत गृह, आण्विक यूरेनियम आदि से कोई यूनिट लगाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (डा0 रामेश पोखरियाल –''निशंक'')–

प्रदेश के रामगंगा, पथरी, मोहम्मदपुर एवं बद्रीनाथ जल विद्युत गृहों के अतिरिक्त समस्त विद्युत गृह पानी की उपलब्धता के अनुसार बाढ़/पानी में गाद की मात्रा अधिक होने की विशेष परिस्थितियों एवं सामान्य अनुरक्षण को छोड़कर वर्षभर उत्पादन करते हैं। रामगंगा जल विद्युत गृह सामान्यतः वर्षा ऋतु में, बद्रीनाथ जल विद्युत गृह शीतकाल में तथा पथरी एवं मोहम्मदपुर दशहरा एवं दीपावली पर्व के मध्य बन्द रहते हैं।

जी हाँ।

केन्द्र सरकार से गैस लिन्केज एवं कोल ब्लॉक आवंटित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कुल कितने माह उत्पादन होता है ? जब बन्द की सूचना नहीं दी जा सकती तो कुल कितने माह उत्पादन

होता है, इन सभी योजनाओं में कुल कितने मेगावाट का उत्पादन होता है ? उपरोक्त जो मेंशन हैं उन विद्युत गृहों से की जाती है और क्या अन्य जल विद्युत योजनाओं में बाढ़/पानी में गाद की मात्रा से कोई प्रभावित नहीं होता है और मान्यवर, एक और कि कुल कितने दिन सभी परियोजनाएं सामान्य अनुरक्षण के लिए बन्द रहती हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जो चार परियोजनाएं मैंने बतायी रामगंगा, पथरी, मोहम्मदपुर एवं बद्रीनाथ इनको वर्ष में बन्द करने का प्रयास निर्धारित है। इसमें रामगंगा जून मध्य से अक्टूबर मध्य तक चार माह के लिए बन्द रहती है, पथरी और मोहम्मदपुर 20–25 दिन नवम्बर माह में बन्द रहती है और बद्रीनाथ 6 माह में बन्द होती है और जहाँ तक प्रति योजना के उत्पादन का विषय है श्रीमन्, यदि माननीय चाहें तो मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी दे दूँगा, मेरे पास हर एक के उत्पादन की जानकारी है और अगर कोई अन्य पृच्छा हो तो माननीय सदस्य पूछ सकते हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में, इन्होंने इस प्रश्न में यह कहीं जिक्र नहीं किया है, पूरी परियोजनाओं का नाम नहीं है कि ये कितनी कुल परियोजनाएं हैं जो साल भर चलती हैं या बन्द रहती हैं नम्बर–1, नम्बर–2 ये परियोजनाएं अनुरक्षण और नवीनीकरण के कारण ही बन्द नहीं होती और यदि वे अनुरक्षण और नवीनीकरण के कारण बन्द होती है तो ऐसी परियोजनाओं पर कितने रुपये खर्च किये जा रहे हैं और कब तक इनका नवीनीकरण और अनुरक्षण करा लिया जायेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारे पास जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं और जल विद्युत परियोजनाएं हैं उसमें से बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 14 बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं है और इसी तरह से श्रीमन्, ये जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें 4 जल विद्युत परियोजनाएं जिनका जिक्र मैंने किया ये केवल अनुरक्षण के लिए और गाद आने के कारण बन्द रहती हैं और इनका विस्तृत विवरण अगर आप चाहें तो मैं उल्लिखित कर सकता हूँ श्रीमन्, जिसमें छिबरों, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर ये इस वित्तीय वर्ष में नदी में अत्यधिक जल प्रवाह और सिल्ट होने के कारण 10–9–2009 से 12–9–2009 दो दिन के लिए बन्द हुई थीं श्रीमन्, कुल्हाल विद्युत गृह में विद्युत प्रतिदिन उत्पादित किया जा रहा है श्रीमन्, तिलोथ ये 9–8–2009 से 29–8–2009 तक बन्द रही। नदी में अत्यधिक पी0पी0एम0 होने के कारण विद्युत गृह में मानसून क्लोजर के कारण इसको बन्द करना पड़ा।

मान्यवर, चीला को एक दिन के लिए बन्द किया था दिनांक 29–06–2009 को शक्ति नहर बन्द होने के कारण और पथरी 29–09–2009 से 24–10–2009 तक मुहम्मदपुर जैसे मैंने अवगत कराया कि 30–09–2009 से 25–10–2009, ये प्रति वर्ष दशहरा और दीपावली के मध्य अपर गंगा कैनाल की सफाई के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कैनाल क्लोजर किया जाता है, इसके कारण इसको बन्द रखना पड़ता है। रामगंगा प्रति वर्ष लगभग चार माह के लिए बन्द रहती है, इस वर्ष 12–7–2009 से 10–10–2009 तक इसको बन्द रखा गया था। इस तरह से ये योजनायें प्रभावित रहीं जिसका उल्लेख मैंने किया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो पूछा था कि क्या ये अनुरक्षण और नवीनीकरण के कारण भी बन्द रहीं ? दूसरा जो विद्युत उत्पादन है, आपने अपने जवाब में कहा है कि विद्युत उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। आपके हिसाब से यह एक–एक, दो–दो दिन विद्युत परियोजना बन्द रहीं। पिछले वर्ष का जो विद्युत उत्पादन था और जो उससे पहले वर्ष का विद्युत उत्पादन था उसमें कोई अन्तर नहीं आना चाहिए था, अबकी बार इस बात की बराबर सूचना है कि विद्युत उत्पादन घटता जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस साल भी विद्युत उत्पादन उतना ही रहा या उससे ज्यादा रहा ? दूसरा मैंने पूछा था कि क्या अनुरक्षण एवं नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है, यदि नहीं कराया जा रहा है तो क्यों ? यदि कराया जा रहा है तो कब तक पूरा होगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जैसा कि उत्पादन की बात आपने कही, वर्ष 2007–2008 का उत्पादन था उसमें 108.43 मिलियन यूनिट था, वर्ष 2008–09 का 189.45 मिलियन यूनिट था, इस वर्ष निश्चित रूप से उत्पादन अभी जनवरी, 2010 तक उत्पादन 138.89 मिलियन यूनिट हुआ है। इसका मुख्य कारण जैसा कि पिछली बार सदन में चर्चा के दौरान जिक्र आया था कि इस वर्ष अत्यधिक गाद आने के कारण सिल्टिंग हो जाने के कारण हमारी विद्युत परियोजनाओं में उत्पादन प्रभावित हुआ है, लेकिन पूरी तरह से बन्द इन चार परियोजनाओं में जो समय अन्तराल मैंने अवगत कराया है उस समय रहा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अनुरक्षण अरैर नवीनीकरण के बारे में भी बता दें, उसका एक बार भी आपने जवाब नहीं दिया। उनका अनुरक्षण और नवीनीकरण कराया जा रहा है या नहीं कराया जा रहा है ? नहीं कराया जा रहा है तो क्यों नहीं कराया जा रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अनुरक्षण और नवीनीकरण जो एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत होता है उसको मैं आपके संज्ञान में लाऊँ, इसमें जो हमारी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है उसका कार्य अभी चल रहा है, इस सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा यहाँ सदन में हो चुकी है और पथरी जिसमें अभी कार्य चल रहा है, मुहम्मदपुर में कार्य प्रगति पर है, खटीमा में डी0पी0आर0 अनुमोदित कर रही है, छिबरों, खोदरी, ढालीपुर, तिलौथ तथा कुल्हाल इनका आधुनिकीकरण और उच्चीकरण का अध्ययन डी0पी0आर0 बनाने का कार्य चल रहा है और प्रथम चरण का प्रथम अध्ययन इन्सपेक्शन स्टडी पूर्ण कर ली गई है, द्वितीय चरण फर्म से छिबरों, खोदरी, ढकरानी, ढालीपुर, कुल्हाल और तिलोथ विद्युत ग्रहों का ड्राफ्ट डी0पी0आर0 अगस्त तथा सितम्बर, 2009 में प्राप्त हुआ था।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय मंत्री जी, इसमें कितना व्यय हो गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसकी प्रक्रिया चल रही है, इसमें डी0पी0आर0 तैयार हो रहे हैं।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, अभी तक इसमें कुछ व्यय नहीं हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत चल रहा है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, निर्धारित प्रक्रिया में भी तो पैसा खर्च होता है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी इसकी डी0पी0आर0 तैयार हो रही है, डी0पी0आर0 तैयार होने के बाद की कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, क्या डी0पी0आर0 बनाने में पैसा खर्च नहीं हुआ ? डी0पी0आर0 कौन बना रहा है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, डी0पी0आर0 अलग–अलग माध्यम से हो रही है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इसमें कोई व्यय नहीं हुआ ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इसकी अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि यह अल्पसूचित प्रश्न है।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो उत्तर आया कि केन्द्र सरकार से गैस लिन्केज एवं कोल ब्लॉक आवंटित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार से कोई पत्राचार किया गया है और किया गया है तो कब–कब? दूसरा केन्द्र सरकार द्वारा क्या जवाब प्राप्त हुआ है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इसमें हम दो तरह से कार्य कर रहे हैं। इसके माध्यम से हमने पहला कार्य यह किया कि कोल ब्लॉक आवंटन के लिए केन्द्र सरकार से पत्राचार किया है। इसके साथ–साथ सितम्बर, 2008 में जल विद्युत निगम लि0 के माध्यम से कार्यवाही सम्पादित की गई है, निदेशक मण्डल में इसका प्रस्ताव अनुमोदित हुआ। उसके पश्चात् 22–9–08 को निदेशक मण्डल की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाला विषय है वह यह है कि 100 प्रतिशत वित्त का प्रबन्धन करने और 74 प्रतिशत इक्विटी रखने का दायित्व दिया गया शेष जो 26 प्रतिशत अंश है वह जल विद्युत निगम की होगी जो कि खनन ब्लॉक के एवज में होगी। मान्यवर, हमने भारत सरकार को इसका पत्र भेजा है और इसकी तरह से गैस सप्लाई करने के लिए हमने भारत सरकार को 19 जनवरी, 2010 को पत्र भेजा है और उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, खटीमा लोहिया हेड पावर हाऊस है, जो बहुत पुराना है। यह साल में किस–किस महीने कितना–कितना विद्युत उत्पादन करती है ? पिछली सरकार ने डेढ़ लाख रुपया इसमें दिया था। इसमें सूचना है कि इसकी कोई न कोई टरबाईन खराब रहती है। जिसके कारण विद्युत उत्पादन प्रभावित रहता है। इस विद्युतगृह के सुधारीकरण के लिए क्या योजना तैयार की गई है ? यदि की गई है तो इसमें कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? साथ ही मान्यवर, जो लोहिया हेड पावर स्टेशन लाईन जो बरेली जाती है.......।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न करें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, लोहिया रोड हेड खटीमा पावर हाउस के सुधारीकरण के लिए अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं ? कितना धन उसमें प्रस्तावित किया गया है ? और जो लाईन बरेली दोहना में जाती है, काफी जीर्ण–शीर्ण और टूट गई है, उसे सितारगंज की तरफ घुमाया गया तो क्या जो लोहिया हेड पावर लाईन है उसको सितारगंज 120 के0वी0 पावर स्टेशन से जोड़ दिया गया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, लोहिया खटीमा विद्युत गृह की स्थिति क्या है इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ कि खटीमा विद्युत गृह में विद्युत उत्पादन नियमित रूप से हो रहा है। केवल वर्ष 2006–07 में इसे केवल एक दिन के लिए बन्द रखना पड़ा था, वह है 8 जनवरी, 2007 से 9 जनवरी, 2007 तक, वह भी लोहिया हैड दोहना में 132 के0वी0 लाईन कन्डैक्टर टूट जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हुई थी। शेष पूरे वर्ष विद्युत आपूर्ति विधिवत रही है। विगत पाँच वर्षों में यह विद्युत गृह नियमित रूप से उत्पादन कर रहा है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, इसके सुधारीकरण के लिए क्या योजना है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अभी तो विधिवत काम कर रहा है।

श्री जोत सिंह गुनसाला–

मान्यवर, बहुत ही पिन प्वाइंट सवाल किये गये हैं, लेकिन उत्तर नहीं आ पा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2008 में कोल ब्लॉक के लिए प्रस्ताव पारित किया है। मैं जानना चाहता हूँ कि कोल ब्लॉक के लिए जब आपने एप्लाई किया भारत सरकार को, तो कितने मेगावाट जनरेट करना चाहते हैं जिसके लिए आप कोल ब्लॉक की आवश्यकता महसूस करते हैं और कितने मेगावाट का जनरेशन करना चाहते हैं जिसमें आप आणविक और यूरेनियम आधारित योजना प्रस्तावित कर रहे हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, कोल ब्लॉक के आवंटन के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है जिसमें हम 600 मेगावाट बिजली उत्पादित करना चाहते हैं और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि हमें 4 मिलियन टन कोल आवंटन की अनुमति प्रदान की जाए। जब अनुमति मिल जायेगी तो हम अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

कितने मेगावाट की योजना यूरेनियम पर बेस करने हेतु प्रस्ताव किया है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यूरेनियम बेस कोई परियोजना नहीं है।

(उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, 2005 के नियम 31(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

प्रदेश के पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि का बचाव

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला –

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कृषि भूमि का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर स्वरूप ले रहा है तथा मैदानी क्षेत्रों में कृषि भूमि का कितना भाग अन्य प्रयोजनों हेतु दिया जा रहा है ? क्या सरकार कोई ठोस कार्यवाही करते हुए कृषि कार्यों हेतु भूमि को बचाने का कार्य करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, एक प्रश्न पहले आया है माननीय कृषि मंत्री जी का जिसमें सूचना एकत्रित की जा रही है। मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान में कुल कृषि भूमि का कितना भाग पर्वतीय क्षेत्रों में बंजर स्वरूप ले रहा है। तथा मैदानी क्षेत्रों में....... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, नियम–31 (4) में आप देखेंगे, वो प्रश्न आते हैं यह एक तरह से स्थगित प्रश्न है और अन्तरिम प्रश्न है उसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न काफी बड़ा है, इसकी सूचना एकत्रित करने में समय लग रहा है। (व्यवधान के मध्य) श्रीमन्, स्थगित नहीं है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, इसमें कई विभाग इनवॉल्व हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप नियम–31(4) में देखें (व्यवधान) यह स्थगित ही रहेगा। उसमें यही प्राविधान है। माननीय गुनसोला जी, यह स्थगित ही रहेगा। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जब तक इसकी सूचना नहीं आयेगी तब तक अनुत्तरित ही रहेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जब हम पूछेंगे तो माननीय मंत्री जी कहेंगे की इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न नियम–31(4) के तहत, इसे उस केटैगरी में डाला गया है और जब तक उत्तर नहीं आ जायेगा तब तक अनुत्तरित माना जायेगा।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध उत्पादन, आय एवं दुग्ध अभिशीतन प्लान्ट का विवरण

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों व अन्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा कुल कितना दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है ?

प्रदेश की प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन आय कुल कितनी है तथा प्रदेश में दुग्ध अभिशीतन प्लांट कुल कितने हैं, इसमें से कितने बन्द हैं तथा कितने कार्य कर रहे हैं?

क्या सरकार खराब दुग्ध अभिशीतन प्लांट्स को ठीक करवाकर इनका उपयोग करेगी ?

क्या सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

वर्ष 2008–09 के सर्वे के अनुसार प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों व अन्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा वर्ष में कुल 1230.396 हजार मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादित किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन पर आय प्राप्त नहीं की जाती है। प्रदेश में डेरी विकास विभाग के अन्तर्गत कुल 45 अभिशीतन प्लांट स्थापित हैं, इनमें से 11 बन्द हैं तथा 34 कार्य कर रहे हैं।

डेरी विकास विभाग अन्तर्गत स्थापित कोई भी अभिशीतन प्लांट तकनीकी कारणों से खराब नहीं है।

जी हाँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि दुग्ध सहकारी समितियाँ जो प्रदेश की हैं, जो की निर्वाचित होती हैं, उन दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से कुल कितना दुग्ध उत्पादन होता है और दूसरा उसमें यह जानना चाहता हूँ कि जितने अन्य दुग्ध उत्पादन हैं उनके द्वारा कुल कितना दुग्ध उत्पादन किया जाता है ? मान्यवर, इसका उत्तर नहीं आ पाया है और दूसरा मैंने यह जानना चाहा था कि जो हमारे चिल्ड प्लांट कितने काम कर रहे हैं और कितने दुग्ध का अभिशीतन करते हैं ? मान्यवर, जवाब आया कि कुल 45 अभिशीतन प्लांट स्थापित हैं, इनमें से 11 बन्द हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो 34 कार्य कर रहे हैं, उसमें कितने मीट्रिक टन दुग्ध को अभिशीतन प्लांट के माध्यम से चिल्ड किया जाता है और कितने के लिए और अभिशीतन प्लांट की आवश्यकता होगी, जबकि दुग्ध की मात्रा और अधिक होगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है वह कुल 1230.396 हजार मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादित किया जा रहा है। मान्यवर, दुग्ध समितियों के माध्यम से जो दुग्ध एकत्रित किया जा रहा है। उसमें नैनीताल, क्या जिलेवार बता दूँ ? माननीय अध्यक्ष जी, कुल दुग्ध उत्पादन एक लाख 23 हजार लीटर किया जा रहा है और हम जो उपार्जित कर रहे हैं विभिन्न समितियों के माध्यम से वह लगभग एक लाख 23 हजार लीटर प्रतिदिन है जो चिल्ड प्लांट के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है उसमें मान्यवर, 45 प्लांटों में से 34 इस समय काम कर रहे हैं और 11 प्लांट बन्द पड़े हैं। इन्हीं प्लांटों से अभिशीतन किया जा रहा है।

श्री जोत सिंह गुनसाोला–

मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि सहकारी समिति का कितना मीट्रिक टन दुध का उत्पादन है और अन्य से कितना आप दूध लेते हैं ? कितने मीट्रिक टन आप दूध लेते हैं और कितने मीट्रिक टन की खपत है और कितना दूध मिल रहा है ? कितनी क्षमता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो सवाल माननीय सदस्य जी ने पूछा है उसके अनुसार जो टोटल है। 1230.396 हजार मीट्रिक टन प्रोडक्शन है, सहकारी समितियों के माध्यम

से हम 1 लाख 23 हजार ली0 दूध ले रहे हैं और जो चिलिंग कैपेसिटी है वह 1 लाख 25 हजार के लगभग है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, बिल्कुल साफ सुथरा सवाल हमारा है, मैं यह कह रहा हूँ कि कितने मैट्रिक टन की क्षमता है आपके शीतल प्लांट की और क्या सारा दूध जो अभी आपने बताया 1 लाख 23 हजार मीट्रिक टन आता है उसको क्या सारा का सारा चिल्ड प्लांट के अन्दर रखा जाता है या फिर कितने हजार मीट्रिक टन दूध आप रोज सीधे दुग्ध उत्पादकों से सीधा कन्ज्यूमर को देते हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हम स्टोरेज नहीं करते हैं। सेल करते रहते हैं। अभी जो क्षमता की बात की है तो हमारी हर जिले में अलग–अलग क्षमता है। मैं नैनीताल जिले की बता देता हूँ वहाँ पटुवाडागर में 2000 लीटर, नारायणपुर में 3000, मालधनचौड़ में 2000 की क्षमता है। जो सवा लाख लीटर दूध आता है उसको हम ये जो 34 प्लांट हैं, उसके माध्यम से चिल्ड करते हैं।

श्री राजकुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो दुग्ध अभिशीतन प्लांट बन्द पड़े हैं उनकी स्वीकृति कब हुई ? क्या सरकार इनको दूसरे स्थान पर परिवर्तित करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उनकी स्वीकृति 2003–04 की है। जो केन्द्र बन्द पड़े हैं उनको परिवर्तित करने के लिए कार्य योजना बन चुकी है। इनके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है उससे धन प्राप्त हो गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जो 34 प्लांट हैं उनमें लगगभ सवा लाख आप चिल्ड कर रहे हैं और उत्पादन भी आपका इतना ही है, तो जितना उत्पादन है उतना ही 34 के माध्यम से हो रहा है, तो 11 चिलिंग प्लांट की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने उत्तर में कहा कि जो दूध उत्पादित हो रहा है उनका कार्य जो 34 प्लांट कार्यरत् हैं उनसे ही हो रहा है, तो 11 की तो आवश्यकता नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो 11 चिलिंग प्लांट बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, पूरा प्रश्न आने दें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए दूध उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न किया है उसका मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, लेकिन जो 11 शीतल प्लांट का प्रश्न उठाया कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो यह इसलिए है क्योंकि जितना उपार्जन चाहिए उतना उपार्जन नहीं हो पा रहा है, इसका बन्द होने का कोई तकनीकी कारण नहीं है इसलिए उसको सिफ्टिंग करने की सरकार ने योजना बनाई है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इसमें लिखा है कि तकनीकी कारण से खराब हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, खराब नहीं लिखा है, वहाँ पर इतना दूध नहीं है इसलिए बन्द हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए कितना दूध उत्पादन निर्धारित किया गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, प्रतिवर्ष दूध वृद्धि का जो लक्ष्य हम रखते हैं वह 10 प्रतिशत होता है, तो इस हिसाब से लगभग साढ़े बारह हजार लीटर हो गया।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने पॉश्चराइज्ड प्लांट है और कितने चिल्ड प्लांट हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं चिलिंग प्लांट बता चुका हूँ कि हमारे जो चिलिंग प्लांट हैं वह हमारे 34 प्लांट हैं और पॉश्चराइज्ड के 6 प्लांट हैं।

श्री शहजाद–

मान्यवर, कहाँ–कहाँ हैं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर, लालकुँआ, अल्मोड़ा और श्रीनगर में हैं।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि "प्रदेश में दुग्ध सहकारी समितियों व अन्य दुग्ध उत्पादकों द्वारा वर्ष में कुल 1 लाख 23 हजार 396 मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन किया जा रहा है" और अपने उत्तर में यह भी बताया है कि जो औसतन हो रहा है वह भी उतना ही हो रहा है, तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि जो दूध अन्य उत्पादनों द्वारा अपनी डेयरी से निकालकर बिना सहकारी समितियों को या सरकार के अवसेदन प्लाण्ट में भेजे बगैर सीधे–सीधे दुकानों पर और डेरियों पर बेचा जा रहा है तो वह दूध कहाँ है ? अगर टोटल उत्पादन 1230.396 मिट्रिक टन है तो वह दूध कितना है उसकी भी जानकारी माननीय सदन को दे दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वर्तमान में दुग्ध उपयोग की हमारी जो स्थिति हैं, तो कुल जो टोटल दुग्ध उत्पादन हो रहा है वह 33.72 लाख लीटर है, जो ग्राम स्तर पर उपयोग के पश्चात् विपणन में जो दूध है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आपने कहा 1 लाख 23 हजार लीटर उत्पादन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, 1230.396 हजार मीट्रिक टन है, आप थोड़ा उत्तर पढ़ें (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने औसतन भी उतना ही बताया है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी समितियों के माध्यम से जो हम संग्रह कर रहे हैं, वह लगभग सवा लाख लीटर के करीब है। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, बिना औसतन किये जो दूध प्रदेश में बिक रहा है, वह कितना है ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय, अध्यक्ष जी, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि लगभग सवा लाख लीटर दूध सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पार्जित करते हैं, टोटल उत्पादन मैंने आपको मीट्रिक टन में बता दिया। आपने जो प्रश्न किया कि जो शेष दूध है, जो प्रोडक्शन है, उसके बारे में बता रहा था कि नैनीताल में लगभग 2.60 लाख लीटर है। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय मंत्री जी, आप मीट्रिक टन और लीटर में अन्तर बताईये। या तो मीट्रिक टन में उत्तर दें या लीटर में उत्तर दें। दोनों में उत्तर न दें। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, समय पर्याप्त है। सारी बातें आ जायेंगी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसे पर्ची आ रही है, वैसा ही उत्तर दिये जा रहे है। जवाब आप मीट्रिक टन में ही दें। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, पिन प्वाइंटेड प्रश्न हो रहे हैं और उनका जवाब नहीं आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, शायद यह भूल रहे हैं कि पहले वे मंत्री रहे हैं और वे भी कभी–कभी पर्ची पर ही जवाब दिया करते थे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने कहा उसे मैं स्वीकार कर लेता हूँ। परन्तु जो जवाब माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। हम यह कह रहे हैं कि जब दुग्ध उत्पादन की बात होती है तो वह मीट्रिक टन में आती है और जब बाद में जवाब आता है तो वह लगभग 33 लाख लीटर में आता है और कभी कहते हैं 8.25 लीटर। मेरा अनुरोध है कि मीट्रिक टन में ही बतायें। यह जोड़–घटाना सदन में हम नहीं करेंगे। माननीय मंत्री जी, सदन में सही प्रश्नों की तैयारी करके आयें और सही जवाब दें। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम स्तर पर जो हमारा विपणन योग्य दूध है, उपयोग के बाद वह है 15.25 लाख टन। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह किसमें हैं, लीटर है या मीट्रिक टन। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मीट्रिक टन में ही बतायें नहीं तो कन्फ्यूजन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर तो आ रहा है। यदि उत्तर नहीं आ रहा होता तो फिर बात थी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सदन को गुमराह किया जा रहा है। जो पर्ची आये वह मीट्रिक टन में ही आये। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, स्थिति यह है कि एक दिन तो माननीय सदस्य सदन में रेता का हिसाब लगा रहे थे कि इतना मीट्रिक टन हुआ, इतना कुन्तल हुआ अब उन्होंने रेता का तो हिसाब लगा दिया कि इतना कुन्तल हुआ, इतना टन हुआ। (व्यवधान)

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने रायल्टी का हिसाब लगाया था। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न की सेंसटिविटी खत्म हो रही है। मान्यवर, हमने बहुत सोच समझ कर अनुपूरक पूछे हैं और आप उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक–एक बात का जवाब दे रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, मूल प्रश्न आपका है, आपको अवसर दिया जाएगा अनुपूरक प्रश्न के लिए। (व्यवधान) पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि हर प्रश्न की, हर विषय की सेंसटिविटी बनाये रखें। अगर आप शन्तिपूर्ण तरीके से सुनेंगे तो निश्चित रूप से उसका जवाब भी शान्तिपूर्ण तरीके से दिया जाएगा। अगर अव्यवस्थित तरीके से 4–4, 5–5 सदस्य एक साथ बोलना शुरू कर देंगे तो सेंसटिविटी कहाँ रह जाएगी ? मेरा अनुरोध है कि जिस माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछना है, जब वह प्रश्न पूछें तो दूसरे माननीय सदस्य उनको कन्फ्यूज न करें और बीच में न बोलें तो ठीक रहेगा।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय प्रीतम सिंह जी ने जो प्रश्न पूछा था, उसको मैं लीटर में बता रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इससे क्या फर्क पड़ता है ? जानकारी आ रही है। जानकारी प्राप्त कर लें, (व्यवधान) अनावश्यक रूप से लीटर में बताईये या मीट्रिक टन में बताईये, (व्यवधान) यहाँ तो सामान्य जानकारी दी जाती है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, हम इसलिए यह बात कह रहे हैं क्योंकि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में मीट्रिक टन की बात की है। या तो पहले ही उत्तर लीटर में दे देते। अब आप कह रहे हैं 33.7 लीटर लगभग सवा लाख लीटर, अब इसको मीट्रिक टन में कन्वर्ट करना हमारे लिए संभव नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा कि मेरी गणित ऐसे भी तेज नहीं है। माननीय मंत्री जी की बहुत तेज है। इसलिए मीट्रिक टन का ही इस्तेमाल करें, कितना मीट्रिक टन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो अपने हिसाब से जवाब दूँगा। (व्यवधान) आप कहें कि लीटर में बताओ, मीट्रिक टन में बताओ, यह तो कोई बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, 'अपने हिसाब से दे रहा हूँ' ये क्या बात हुई ? अपने हिसाब से देना है तो ठीक है, आप दीजिए अपने हिसाब से। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह तो कोई बात नहीं। हम लीटर में बता रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मतलब क्यों नहीं है, मतलब है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है। मतलब क्यों नहीं है, मतलब तो है। आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब माननीय मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं, यदि आप उनके जवाब से संतुष्ट न हों, तब कोई बात करें। जब वो सारी जानकारी लीटर में देने को तैयार है, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बता रहा था, उपयोग के पश्चात् हमारी विपणन की जो स्थिति है वह, नैनीताल में 1.17 लाख लीटर, ऊधम सिंह नगर में 1.78 लाख लीटर, अल्मोड़ा में 1.37 लाख लीटर, बागेश्वर में 0.64 लाख लीटर, पिथौरागढ़ में 1.48 लाख लीटर, चम्पावत में 0.59 लाख लीटर, देहरादून में 1.03 लाख लीटर, हरिद्वार में 2.67 लाख लीटर, पौड़ी में 0.92 लाख लीटर, रूद्रप्रयाग में 0.52 लाख लीटर, टिहरी में 1.31 लाख लीटर, चमोली में 1.10 लाख लीटर, उत्तरकाशी में 0.67 लाख लीटर, कुल 15.25 लाख लीटर प्रतिदिन। मान्यवर, दुग्ध समितियों के माध्यम से जो उपार्जन किया जा रहा है, वह मैंने बता दिया है, उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहूँगा।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कितने लीटर, क्योंकि माननीय मंत्री जी लीटर में आ गये हैं, तो कितने लीटर दूध की आवश्यकता है ? आपका जो उत्पादन हो रहा है, उससे कितने अधिक दूध की आवश्यकता होगी, यह डिफरेंस उसमें आ जाएगा। इतने दूध की आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश के अन्दर इस समय जो सबसे गम्भीर समस्या है वह यूरिया युक्त दूध है। यह यूरिया दूध पूरे प्रदेश को मिल रहा है। यह जो नकली मावा और नकली पनीर प्रदेश में आता है और इस बात पर माननीय शहजाद जी और मदन कौशिक जी एक दूसरे को इशारा कर और देखकर मुस्कुरा देते हैं, पता नहीं इसका राज क्या है। (हंसी)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे अपने दूध की तो गारण्टी है। (हंसी)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में दूध की कितनी आवश्यकता है और इसकी पूर्ति कैसे होती है ? नकली दूध की बिक्री को रोकने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं और नकली दूध को पकड़ने के लिए कितने छापे मारे और कितने पकड़े गये ? (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य का आई0क्यू लेबल बहुत अच्छा है, अगर इसका उपयोग जनहित में हो तो अच्छा है, (व्यवधान) लेकिन वे इसका इस्तेमाल मात्र माननीय मंत्री जी को फंसाने में ही करते हैं। (हंसी)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मेरा विश्वास है कि वे इसका इस्तेमाल जन हित में करेंगे। क्योंकि यह तो प्रीतम हैं और यह कुछ भी कर सकते हैं, इन्हें सब माफ है। हमने तो इनके सामने प्रस्ताव रखा था कि जितने भी स्मार्ट स्कूल खुल रहे हैं, उनका नाम प्रीतम स्कूल कर दिया जाय। क्योंकि स्मार्ट और प्रीतम एक ही चीज हैं। (हंसी)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, इसके लिए पीठ से व्यवस्था आ जाय। (हंसी)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रदेश में उपयोग और उत्पादन की स्थिति को बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में दूध का कुल उत्पादन 33.72 लाख लीटर प्रतिदिन है और जो राष्ट्रीय स्तर पर मानक है, उसके अनुसार 250 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति, प्रतिदिन माना जाता है। इसके हिसाब से हमारी आवश्यकता 25.195 लाख लीटर प्रतिदिन की है। उस हिसाब से, राष्ट्रीय मानकानुसार दूध उत्पादन हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, मंत्री जी का यह जवाब 100 प्रतिशत गलत है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि नकली दूध कितना पकड़ा गया, उसका स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। क्या प्रदेश के अन्दर कोई नकली दूध बना और क्या आपने पकड़ा?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए समय–समय पर इसको पकड़ा गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह बता दें कि पिछले 3 वर्ष में कितने पकड़े गये ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नकली दूध पकड़ने का राईट दुग्ध विभाग को नहीं है, इसे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मैं इसके आंकड़े आपको उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग भी तो सरकार का ही है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप चाहेंगे तो मैं इसकी जानकारी आपको उपलब्ध करा दूँगा। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, उपलब्ध कराने की बात नहीं है, यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, यह गम्भीर प्रश्न है। क्योंकि आज यूरिया से दूध बनता है और पूरे प्रदेश के अन्दर नकली दूध, नकली मावा, नकली पनीर को पकड़ा जाता है और आज तक कितना पकड़ा गया, क्या उस सम्बन्ध में हुआ, उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी और उनके विभाग को नहीं है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसके लिए छापेमारी समय–समय पर होती है। यह विषय दूसरे विभाग से सम्बन्धित है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, कुल कितने छापे मारे, यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न माननीय मंत्री जी के विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि एक लाख कुछ हजार लीटर से अधिक सरप्लस दूध इस प्रदेश में होता है, तो उसकी सप्लाई किस प्रदेश को की जाती है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने बताया, वह राष्ट्रीय मानक के अनुसार बताया, इसके लिए अतिरिक्त पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग डेढ़ करोड़ पर्यटक और तीर्थयात्री भी हमारे प्रदेश में बाहर से आते हैं। जो मानक है, उसके अनुसार प्रति व्यक्ति को दूध 250 ग्राम प्रतिदिन मिलना चाहिये। मान्यवर, 350 ग्राम भी लेते हैं, 500 ग्राम भी लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं। पनीर का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, प्रदेश को भ्रमित करने के अलावा इस प्रश्न में कोई जवाब नहीं आया है। सदन और प्रदेश दोनों भ्रमित कर दिये सरकार नें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो हमारे 34 अभिशीतन केन्द्र कार्य कर रहे हैं, प्लांट कार्य कर रहे हैं। उसमें अभिशीतन के बाद जो अपशिष्ट निकलता है, उसके ट्रीटमेंट की कोई व्यवस्था किसी अभिशीतन केन्द्र में नहीं है। जोकि गर्मियों में और पूरे वर्ष भर गन्दगी का बहुत बड़ा कारण है, महामारी फैलने की संभावना रहती है, बीमारी फैसले की संभावना रहती है। क्या इन सभी अभिशीतन केन्द्रों में ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हुए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे? मान्यवर, उदाहरण के लिए चौखुटिया अभिशीतन केन्द्र है, वहाँ पर आये दिन क्षेत्रीय ग्रामीण लोगों द्वारा उस अभिशीतन केन्द्र को बन्द करने की मांग की जा रही है, उसका सिर्फ कारण यही है जबकि, वो अल्मोड़ा का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक अभिशीतक केन्द्र है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, उसका परीक्षण करा लिया जायेगा और अगर इस तरह का कोई खतरा है तो उसकी व्यवस्था की जायेगी। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, परीक्षण नहीं वहाँ माँग कर रहे हैं लोग, इतना कह दीजिए वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, मान्यवर, पानी की व्यवस्था करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा नहीं हो रही है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, लेकिन आप मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न लगाएं न।

श्री जोत सिंह गनुसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो जानकारी चाही थी। एक बहुत ही पिन प्वाइंटेड सवाल किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जोत सिंह गुनसोला जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। आप प्रश्न लगाएं तब पूछें न। (व्यवधान) उसकी सीमा है ना।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे इन चिल्ड प्लांटों का उपयोग क्या पूरे वर्ष भर किया जाता है या अगर पूरे वर्ष चिल्ड प्लांट की आवश्यकता नहीं होती तो कितने दिन चिल्ड प्लांट चलते हैं, कितने दिन उनका उपयोग किया जाता है, एक तो सरकार ये बतायें। दूसरा प्लांट को स्थापित करने में, एक प्लांट को स्थापित करने में कितना धन व्यय होता है और जब धन व्यय होता है तो जब एक जगह धन व्यय कर दिया गया है तो क्यों इनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है और तीसरा मान्यवर, जब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि डेढ़ करोड़ लोग रोज आते हैं तो इसके लिए सरकार क्या अतिरिक्त व्यवस्था कर रही है और कितनी खपत उनके द्वारा की जाती है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न किया है उनकी लागत के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है तो इनकी जो अलग–अलग क्षमता है उसके हिसाब से लागत आती है। वह वहाँ पर लग रहा है, उसकी दूरी क्या है, उस पर ओवर हेड खर्चे कितने बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से होता है, एक जैसा सबका नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बता दूँगा आपको, एक जैसा नहीं है। मैं बता रहा हूँ इसमें अभी तक मिनिमम जो खर्च हुआ है 3.72 लाख है और मैक्सिमम जो खर्चा आया है वो 13.56 लाख है। ये जो लगे हैं ये एक हजार से तीन हजार लीटर और 3.5 हजार लीटर तक है (व्यवधान) और आपने पूछा कि क्या ये 12 महीने चलते हैं तो जो हमारे अभिशीतन केन्द्र हैं, ये लगातार चलते रहते हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, जाड़े में भी अभिशीतन की आवश्यकता पड़ती है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जी हाँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कितनी खपत है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे पास जो आकड़े हैं, लगभग डेढ़ करोड़ यात्री हमारे पास आते हैं, उनके लिए हम व्यवस्था करते हैं, हमारे पास सरप्लस दूध है।

होमगार्ड के जवानों की समस्याओं का निराकरण एवं रोस्टर प्रणाली का समाप्त किया जाना

*2—श्री ओम गोपाल—

क्या होमगार्ड/कारागार मंत्री अवगत हैं कि एक वर्ष में होमगार्ड के जवानों को केवल दो या तीन माह की ही ड्यूटी के समय रु0 100 प्रतिदिन पारिश्रमिक दिया जाता है जो कि निवास स्थान से दूर ड्यूटी लगने के परिणाम स्वरूप खाने एवं रहने में ही खर्च हो जाता है ?

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त के अतिरिक्त होमगार्ड के जवानों का आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है फलस्वरूप उनको अपने परिवार के भरण—पोषण में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार होमगार्डों की समस्याओं के निराकरण एवं रोस्टर प्रणाली समाप्त करने पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)—

वर्तमान में उत्तराखण्ड होमगार्ड्स स्वयं सेवकों को रु0 120/— प्रतिदिन ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में होमगार्ड्स को उनके निवास स्थान से 08 किलोमीटर के क्षेत्र के अन्दर की ड्यूटी लगाये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं। होमगार्ड्स स्वयं सेवक हैं वे अपने कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई रोजगार स्व व्यवसाय कर सकते हैं।

जी नहीं। रोस्टर व्यवस्था प्रदेश में होमगार्ड्स की स्वीकृत संख्या के बराबर वर्षभर उनकी सेवाओं की आवश्यकता न होने के कारण आवश्यक है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

श्री ओम गोपाल—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश में कुल कितने होमगार्ड कार्यरत हैं, कितने लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है होमगार्ड कार्य करने के लिए ? दूसरी बात आपने उत्तर में जवाब दिया है कि होमगार्ड को उनके गृह स्थान से 8 किलोमीटर क्षेत्र की परिधि में कार्य देते हैं, तो

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आपसे जो मैंने प्रश्न किया था क्या आपने उसका ढंग से परीक्षण करवाया और किस अधिकारी ने ये लिखित जवाब जो बिल्कुल सत्य से परे हैं, हमारे सामने पेश किया है ? माननीय अध्यक्ष जी, सत्य बात यह है कि पूरे प्रदेश से नहीं अपने टिहरी जिले से जानना चाहूँगा कि हमारे टिहरी जिले में कुल कितने होमगार्ड कार्यरत हैं और वहाँ पर थाने, चौकियों, चैक पोस्टों में वर्तमान में कितने जवानों से ड्यूटी ली जा रही है ?

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि टिहरी जिले में कुल कितने थाने चैक पोस्ट, तहसील, उप तहसील हैं जहाँ पर होमगार्ड के जवान कार्य कर रहे हैं ? उनमें वर्तमान में कितने होमगार्ड कार्यरत हैं, और उनकी गृह स्थान से दूरी क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान में प्रदेश में 5192 टोटल होमगार्ड के जवान ड्यूटीरत हैं, टिहरी में वर्तमान में 402 जवान उपलब्ध हैं, टोटल 429 की वैकेंसी थी, जिसमें 402 उपलब्ध हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में जो 08 किलोमीटर की परिधि का दायरा है, 08 किलोमीटर के दायरे के बाहर जिसकी ड्यूटी लगती है उनको 30 रुपया एक्सट्रा भत्ता किया जाता है, उसको जाने का पैसा दिया जाता है ओर उनके रहने की व्यवस्था भी की जाती है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 30 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, जबकि नरेन्द्र नगर से प्रतापगढ़ 129 किलोमीटर दूर है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, 30 रुपये उसके खान के लिए देते हैं, गाड़ी का उसको अलग से देते हैं। आजकल कुम्भ में भी लगे हैं, उन्हें आने जाने का किराया अलग से दिया है। उनके रहने की व्यवस्था अलग से करते हैं।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, यह प्रदेश के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है, मैंने रोस्टर प्रणाली खत्म करने के लिए भी आपका जवाब चाहा है, आपने कहा कि यहाँ पर रोस्टर प्रणाली खत्म नहीं हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना

चाहूँगा जब टिहरी में आवश्यकता लगातार 429 होमगार्डों की है, आप कन्टीन्यू उनको ड्यूटी दे सकते हैं। मान्यवर, क्या कारण है कि उनको तीन महीनें में हटा दिया जाता है। साल भर में तीन महीनें की ड्यूटी दी जाती है और 9 महीने बाहर रखा जाता है, जिससे उनका मनोबल बहुत टूट रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। जिलों में जो होमगार्ड के जवान लगते हैं वह डिस्ट्रिक्स मजिस्ट्रेट की सैंक्शन पर लगते हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, उत्तरालेख में लिखा है कि होमगार्ड्स स्वयं सेवक हैं। साथ में आपने यह लिख दिया कि स्वयं सेवकों को 120 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। मान्यवर, स्वयं सेवक कोई भत्ता तो लेता नहीं है। मान्यवर, सरकार का उत्तर ही गलत है। मान्यवर, होमगार्ड्स और उनके परिवार बड़ी तकलीफ में रहते हैं। क्या उन्हें सरकारी सेवाओं में सेवायोजित करने का निर्णय सरकारी लेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, उनकी भर्ती का जो मापदण्ड है, वह स्वयं सेवक का ही है। मान्यवर, उन्हें ड्यूटी भत्ता दिया जाता है। मान्यवर, होमगार्ड्स का जवान 8 घण्टे की ड्यूटी के अलावा कुछ अन्य कार्य भी कर सकता है, जैसे कोई व्यवसाय कर सकता है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, क्या उन्हें सरकारी सेवाओं में लेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, सरकारी सेवाओं में लेने का अभी कोई प्राविधान नहीं है। हाँ, सरकार ने यह निर्णय अवश्य लिया है कि पुलिस भर्ती में इनको 3 प्रतिशत हॉरीजैन्टल आरक्षण दिया जा रहा है जैसे खेल के अन्दर हुआ है वैसे ही इन्हें भी दिया जा रहा है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो 120 रुपये ड्यूटी भत्ता दिया जाता है क्या इसको बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी तथा जो 120 रुपया दिया जा रहा है, मेरी जानकारी के अनुसार राज्य में होमगार्ड्स का आज भी पैसा बाकी है, उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसा कितना भुगतान बाकी है जो राज्य के अन्दर नहीं हो पाया ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, स्वीकृत पदों के सापेक्ष हमारे पास पूरा बजट उपलब्ध है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने डिमाण्ड करते हैं, उसके अनुसार ही जिलों में ड्यूटी लगाई जाती है। माननीय सदस्य कह रहे थे कि 120 रुपया दिया जा रहा है तो मैं अवगत कराना चाहता हूँ सरकार ने इस पर विचार किया है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी 150 रुपये करने का शासनादेश निर्गत हो जायेगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, आज भी होमगार्ड्स का बहुत सारा पैसा जनपदों में बाकी है। वे चक्कर लगा रहे हैं। होमगार्ड्स काफी मेहनत से ड्यूटी करते है। सारा–सारा दिन गर्मी में ड्यूटी करते हैं। लेकिन उन्हें भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

किसी जिले में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है।

श्री तिलक राज बेहड़–

मंत्री जी कह दें कि भुगतान शेष नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हमारे पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है। अगर कोई ऐसा प्रकरण है तो बतायें।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, किस जिले का भुगतान शेष है यह तो बतायें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ऊधमसिंह नगर, टिहरी का बाकी है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पूरा बजट उपलब्ध है। यदि किसी जिले का बाकी है तो बतायें।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आपने प्रदेश में रोस्टर व्यवस्था होमगार्ड्स की लागू कर रखी है। मान्यवर, मैं सदन में सम्पूर्ण साक्ष्य पेश कर दूँगा कि जो जिले का कमान्डैन्ट है, जो प्लाटून कमाण्डर है, वह मनमर्जी से जो होमगार्ड्स उसे दो हजार रुपये दे रहा है उसे वह 12 महीने ड्यूटी दे रहे हैं। मान्यवर, रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है। आप कहेंगे तो

मैं साक्ष्य भी पेश कर दूँगा। जो होमगार्ड्स सुविधा शुल्क दे रहा है, उसे ड्यूटी लगातार वे दे रहे हैं। मैं यह चाह रहा हूँ कि ऐसी व्यवस्था सारे प्रदेश में लागू कर दें कि परमानैन्ट उनको ड्यूटी मिले। वे कोई एक्स्ट्रा माँग तो नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या सरकार उस रोस्टर प्रणाली को खत्म करेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बताया है। अगर ऐसी कोई बात होगी तो उसका परीक्षण करवा लिया जायेगा उसकी जाँच भी करवाई जायेगी।

प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी उद्यानों में फलों का उत्पादन एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना

*3–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उद्यान एवं फलोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी कुल कितने उद्यान हैं तथा अलग–अलग किस्म के फलों का कितना–कितना उत्पादन प्रतिवर्ष होता है ?

क्या इससे होने वाली आय को सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार उद्यानपतियों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश में उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

उद्यान विभाग के अन्तर्गत वर्तमान में 90 सरकारी उद्यान स्थापित हैं। गैर सरकारी क्षेत्र में 05 हैक्टेयर (25 नाली) तथा उससे बड़े लगभग 52481 उद्यान स्थापित हैं। इन उद्यानों में अलग–अलग किस्म के फलों का प्रतिवर्ष उत्पादन निम्नवत् होता है:–

क्र0सं0	फलों का नाम	उत्पादन (मै0 टन में)
1.	सेब	1,30,630
2.	नाशपाती	1,03,517
3.	आडू	48,122

4.	प्लम	41,303
5.	खुबानी	31,180
6.	अखरोट	21,040
7.	नींबू प्रजाति	1,30,875
8.	आम	1,16,138
9.	लीची	15,646
10.	अन्य फल	1,08,558

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में औद्यानिकी की महत्ता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2001 में गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भरसार, जनपद पौड़ी गढ़वाल की स्थापना की गई है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि प्रदेश में सरकारी व गैर सरकारी कुल कितने उद्यान हैं ? इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आया कि 90 सरकारी उद्यान स्थापित हैं और गैर सरकारी में लगभग 52481 उद्यान स्थापित हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जो 90 सरकारी उद्यान कार्य कर रहे हैं उनका रकवा क्या है और उनका कितना क्षेत्रफल है ? दूसरा 0.05 हैक्टेयर के कुल कितने बागान हैं और 0.5 हैक्टेयर से बड़े कितने बागान हैं, इनकी संख्या क्या है ? और मान्यवर, उसी के क्रम में फलों का उत्पादन बताया गया है, इसमें भी मैं जानना चाहूँगा कि उसमें सेब के बगीचे का कुल कितना क्षेत्र है, नाशपाती का कुल कितना क्षेत्रफल है, आम का कुल कितना क्षेत्रफल है, लीची का कुल कितना क्षेत्रफल है, आड़ू, प्लम, खुबानी, अखरोट, नींबू प्रजाति और अन्य फलों का क्या है ? यह स्थिति क्या है माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। एक प्रश्न और है, सरकार ने कहा है कि जो आय हो रही है उसको बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ? सरकार वर्ष 2008–09 में कुल कितनी आय हुई इसका लेखा बता दें और बढ़ाने की स्थिति क्या है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने पूछा है कि आय कितनी हुई और व्यय कितना हुआ इन राजकीय उद्यान पर, आय 91.78 लाख रुपये हुई है और जो व्यय हुआ वह 1.40 करोड़ रुपये हैं, उसमें वेतन भत्ते सम्मिलित नहीं हैं और जो 90 उद्यानों

का रकवा है वह लगभग 850 हैक्टेयर है और जो उत्पादन माननीय सदस्य ने पूछा है, उसका माननीय सदस्य को जवाब दिया जा चुका है और अलग–अलग जो रकवा है, जो फलों के उत्पादन का क्षेत्रफल है वर्ष 2008–09 में वह 1 लाख 93 हजार 47 हैक्टेयर है और मान्यवर, पूरे प्रदेश का उत्पादन का जो विवरण है 2008–09 में वह है 7 लाख 47 हजार 9 मैट्रिक टन है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मैं यह जानना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2003 में 90 सरकारी उद्यानों में से कितने उद्यान निजी उद्योगपतियों या संस्था को दिये गये हैं ? बीच में सुनने में आया था कि वापस ले लिए गये तो वे कितने हैं और जब उन्हें सौंप दिया गया था तो किसी नीति के आधार पर सौंपा गया था फिर उनको वापस लेने के क्या कारण हैं ? और शेष जो उद्यान बचे हैं जिनको वापस नहीं लिया है वह किन कारणों से वापस नहीं लिए ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर 45 उद्यान लीज पर दिये गये थे जिनमें से 25 उद्याानों को वापस ले लिया गया और 20 उद्यान लीज पर हैं। जो वापस लिये गये हैं उनका कारण यह है कि वे जो हमारे मानक हैं उनके अनुसार उनकी शर्तों को न पूरा करने के कारण वापस ले लिए गये हैं और जो 20 उद्यान हैं वे लीज की शर्तों का ठीक से पालन कर रहे हैं इसलिए उनकी लीज जारी है। इनकी बार–बार समीक्षा की जाती है।

श्री पुष्पेष त्रिपाठी–

मान्यवर, जो 20 उद्यान लीज पर दिये गये जिनको आप कह रहे हैं कि ठीक काम कर रहे हैं उनसे प्रतिवर्ष मानक आपने क्या तय किया गया था ? और उनसे उत्पादन कितना हो रहा है ? दूसरा जो मेरे संज्ञान में है कि 30 अक्टूबर, 2003 को जो प्रमुख सचिव द्वारा शासनादेश जारी हुआ। जिसमें समिति का गठन हुआ जिस नीति के अन्तर्गत उद्यान दिये गये उसमें यह था कि एक आवेदनकर्ता को सिर्फ 4 उद्यान, हालांकि यह इसमें उल्लिखित नहीं है लेकिन निदेशक के पत्र में यह लिखा गया है, लेकिन मेरी पुष्ट जानकारी है कि इनमें से काशीपुर ग्लाइकों इण्डिया लि0 को 7 उद्यान दिये गये इस नीति के खिलाफ। दूसरा दिल्ली की संस्था है उसको 5 उद्यान दिये गये। क्या इनसे आपने वापस लिए हैं ? अगर इनसे आपने वापस नहीं लिए हैं तो क्या आपने उस नीति में परिवर्तन करके उसको ठीक किया है ? मान्यवर, यह घोटाला था पिछली सरकार का।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि उसमें जाँच चल रही है। जब जाँच आयेगी तो उसका विवरण दे दिया जायेगा। इण्डिया ग्लाइकों को 3 उद्यान दिये गये हैं और जो दिल्ली की

संस्था है उसको 2 उद्यान दिये गये हैं। प्रति छः माह में इनकी समीक्षा की जाती है कि जिन शर्तों के आधार पर उनको दिया गया है उनका अनुपालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि 90 उद्यानों में वर्ष 2008–09, 2000–10 में कुल कितना खर्च आया और दूसरा मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसमें से कौन सा हमारा उद्यान लाभ में चल रहा है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य के इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले दे चुका हूँ कि इनकी जो स्थिति है वह 91 दशमलव कुछ हमने बताया था कि आय हो रही है और 1.40 करोड़ उस पर खर्चा हो रहा है, लगभग 50 लाख रुपये का प्रतिवर्ष तन्ख्वाह–भत्तों के अलावा उसमें नुकसान हो रहा है।

श्री राज कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार उद्यान वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी, यदि हाँ, तो कब तक और कहाँ पर ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कहाँ पर का जो सवाल है तो उसके लिए समिति बनी थी और समिति सिफारिश के आधार पर और स्थान आदि की उपलब्धता के आधार पर उसका स्थान चयन किया जायेगा और जहाँ तक उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की बात है तो सरकार उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय बनाना चाहती है और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर इसकी स्थापना की जायेगी।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि गोविन्द बल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर में मैंने जानना चाहा था कि प्रदेश में वानिकी विश्वविद्यालय का कोई महाविद्यालय है तो उत्तर आया कि "गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के अधीन उद्यान महाविद्यालय, भरसार, जनपद पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना की गई है" तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उद्यान महाविद्यालय भरसार कब स्थापित किया गया था और वर्तमान में किन–किन विषयों की वहाँ पर पढ़ाई हो रही है और साथ ही यह भी जानना चाहूँगा कि क्या हार्टीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर विषय को उसमें सम्मिलित किया गया है या नहीं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली उद्यानिकी महाविद्यालय है उसकी स्थापना भरसार में वर्ष 2001–02 में हुई है, उसमें औद्यानिकी विषय पढ़ाया जाता है और प्रतिवर्ष 40 छात्र इस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अलावा वहाँ पर 3–3, 6–6 महीने का कोर्स भी पढ़ाया जाता है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, सेरीकल्चर और फ्लोरीकल्चर का विषय नहीं है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जी नहीं, हार्टीकल्चर का विषय है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार के इस जवाब पर मुझे बहुत आपत्ति है कि अगर वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली महाविद्यालय, भरसार का नाम है तो क्यों नहीं सरकार ने अपने जवाब में उसका नाम वीर सिंह गढ़वाली रखा, इसमें कहीं भी इंगित नहीं है, यह तो बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है कि खाली नाम को उछालने की बात की गई है अगर इसमें उस सपूत को नमन करते हैं तो उसमें लिखा क्यों नहीं गया है?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यदि त्रुटि हो गई है तो इसको लिखवा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम से पशुपालकों को लाभ

1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि पशुओं की अलग–अलग जातियों व प्रजातियों में नस्ल सुधार कार्यक्रम का लाभ पशुपालकों को मिला है ?

यदि हाँ, तो कुल कितने पशुओं को इस परिधि में सम्मिलित किया गया है तथा इसके फलस्वरूप क्या पशुपालकों का आर्थिक उन्नयन भी हुआ ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या (3) के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

राज्य में राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय पशु प्रजनन योजना अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान तथा नैसर्गिक अभिजनन कार्यक्रम के माध्यम से पशु नस्ल सुधार हेतु वर्तमान तक 11,13,385 गाय एवं 3,69,055 भैंसों का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। इसके अतिरिक्त भेड़ों में नैसर्गिक गर्भाधान द्वारा 304067 भेड़ों को आच्छादित दिया गया। उक्त कार्यक्रम के फलस्वरूप पशुपालकों का आर्थिक उन्नयन हुआ है।

वर्तमान तक कृत्रिम गर्भाधान के फलस्वरूप गायों में 4,10,375 तथा भैंसों में 1,16,036 कुल 5,26,411 उत्तम नस्ल की पशु संततियाँ प्राप्त हो चुकी हैं जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और पशुपालकों को आर्थिक लाभ हुआ है। भेड़ों में नैसर्गिक गर्भाधान के द्वारा 192734 भेड़ों की उन्नत संततियाँ उत्पन्न हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरीय क्षेत्रों तथा विद्युतीकृत गाँवों में वैकल्पिक ऊर्जा की सुविधा

2–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगरीय क्षेत्रों व विद्युतीकरण गाँवों में रहने वाले नागरिकों को वैकल्पिकों ऊर्जा की सुविधा सब्सिडी के साथ प्रदान किये जाने पर सरकार विचार करेगी ?

क्या शहरी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को विद्युत लाईन आपूर्ति के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा की इस्तेमाल की अनुमति प्रदान किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश के समस्त नागरिकों को विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा संयन्त्र यथा सोलर लालटेन, सोलर घरेलू बत्ती, सोलर कुकर, सोलर वाटर हीटिंग संयन्त्र निर्धारित अनुदान के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिक विद्युत लाईन आपूर्ति के साथ–साथ उक्त विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जा संयन्त्रों को निर्धारित अनुदान पर प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नया पंचायतीराज अधिनियम का पारण

3–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पंचायतीराज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार 73वें संविधान संशोधन के अनुकूल प्रदेश में लागू वर्तमान पंचायतीराज अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर कब तक नया "पंचायतीराज अधिनियम उत्तराखण्ड" में पारित करवायेगी ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तराखण्ड राज्य का गठन होने के उपरान्त पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में प्रचलित उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को उत्तराखण्ड राज्य में अनुकूलित एवं उपान्तरित किया गया है।

राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत अधिनियम, 1961 को मिलाकर एक अधिनियम बनाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। उत्तराखण्ड राज्य की प्रस्तावित अधिनियम में कोई त्रुटि न रह जाय इस हेतु अधिनियम समिति द्वारा विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण प्रस्तावित है। भ्रमण के उपरान्त समिति सदस्य अपने सुझाव उपलब्ध करायेंगे। जिन्हें गुण दोष के आधार पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम में सम्मिलित करते हुए यथासमय विचार कर पारित किया जायेगा।

4–श्री दिनेश अग्रवाल–

चतुर्थ सोमवार के अतरांकित में स्थानान्तरित।

प्रदेश के जलाशयों में वार्षिक मत्स्य पालन तथा प्राप्त आय

5–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या मत्स्य पालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सभी जलाशयों में प्रतिवर्ष कितना मत्स्य पालन होता है तथा इससे कुल कितनी आय होती है ?

क्या सरकार छोटी–छोटी नदियों में फिशिंग का परमिट निर्गत करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण द्वारा जनपद ऊधम सिंह नगर स्थित नानकसागर, बैगुल, धौरा, बौरा, हरिपुरा एवं तुमरिया जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य कराया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 8,775.15 कुन्तल मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। इन जलाशयों से प्रतिवर्ष लगभग रु0 300.00 लाख आय प्राप्त हो रही है।

उत्तरांचल मत्स्य अधिनियम, 2003 की धारा–3 (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य नियमावली में तद्नुसार प्राविधानित किया जा रहा है।

उत्तराखण्ड राज्य मत्स्य नियमावली के प्रवृत्त होने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

6–श्री जोत सिंह गुनसोला–

चतुर्थ गुरूवार के अतरांकित 1 में स्थानान्तरित।

जनपद पौड़ी के ग्राम बडूढ़ स्थित पशु चिकित्सालय का स्वीकृत स्थान पर संचालन

7–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के ग्राम बडूढ़ के नाम से स्वीकृत पशु चिकित्सालय स्वीकृत स्थान पर संचालित नहीं किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो चिकित्सालय को स्वीकृत स्थान की बजाय अन्यत्र संचालित करने का औचित्य क्या है तथा उक्त पशुचिकित्सालय का संचालन स्वीकृत स्थान पर कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड कोट के ग्राम बडूढ़ के नाम से स्वीकृत पशुचिकित्सालय हेतु भूमि व भवन उपलब्ध न होने के कारण समीपवर्ती स्थान घुसगली में जलागम द्वारा निर्मित निष्प्रयोज्य भवन पशुपालन विभाग को हस्तानान्तरित होने के कारण पशुचिकित्सालय घुसगली से संचालित किया जा रहा है। बडूढ़ में पशुचिकित्सालय हेतु भवन/भूमि उपलब्ध होते ही पशुचिकित्सालय का संचालन स्वीकृत स्थान बडूढ़ से संचालित किया जायेगा।

मंत्री परिषद् के विरूद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–271 के अन्तर्गत मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव 12.07 बजे प्राप्त हुआ है, इसे कल दिनांक 26–03–2010 को ले लिया जायेगा।

रूद्रपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, रूद्रपुर मेडिकल कॉलेज को कैबिनेट का निर्णय हो चुका है और पीठ द्वारा उसका निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। इस बात को मैंने दो दिन पूर्व भी आपके सम्मुख रखा था या तो पीठ के निर्देश वापस ले लें, यह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, आपने उल्लेख किया है मैं कार्यवाही को देख लूँगा। कल कार्यवाही को देखकर आपको बता दूँगा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, दो–दो बार इस पर पीठ के आदेश हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कार्यवाही देख कर बता दूँगा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिछली बार भी यह हुआ था कि मेडिकल कॉलेज का निर्माण सरकार पूरा करेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें कार्यवाही देख लूँगा कि इसमें क्या हो सकता है, उसके बाद आपको बता दूँगा। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, सरकार ने 7 करोड़ रु0 वापस लेकर अभी तक कुल 9 करोड़ रु0 दिये हैं और 40 करोड़ रु0 बजट उसके निर्माण के लिए बनाया गया है। आप व्यवस्था दे दें। (व्यवधान) मैं लगातार दो साल तक मेडिकल कॉलेज के सम्बन्ध में प्रश्न करता रहा हूँ। यदि सरकार पीठ के निर्देश को नहीं मानती है तो वह कह दें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं उस दिन की कार्यवाही देखकर कल इस पर अपना विनिश्चय दुबारा दे दूँगा। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पीठ से निर्देश होने के बाद भी अगर सरकार यह कहती है कि पूरा करेगी....... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिलक राज बेहड़ जी, आप अवगत हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय मंत्री भी रह चुके हैं।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, जब पीठ से निर्देश हो जाय और पैसा न दिया जाय, यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं मात्र इतना कह रहा हूँ कि मैं उस दिन की कार्यवाही देख लूँगा और इसके बाद कल आपको बता दूँगा।

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, ठीक हैं कल इस पर व्यवस्था आ जाय।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री नारायण पाल, सुरेन्द्र राकेश, श्री मनोज तिवारी, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री ओम गोपाल की कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें से श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री किशोर उपाध्याय, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री प्रेमानन्द महाजन, श्री ओम गोपाल एवं श्रीमती अमृता रावत की सूचना को स्वीकार करता हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

प्रदेश में कोषागार नियमावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर प्रमोशन प्राप्त लेखाकारों उप कोषाधिकारियों को पुनः अनुवर्ती पदोन्नति दिये जाने से कर्मचारियों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

[उत्तराखण्ड राज्य के सृजित होने पर उत्तराखण्ड प्रदेश में 80:20 से बने लेखाकरों को ज्येष्ठता प्रदान करते हुए 11 अप्रैल, 2002 में ज्येष्ठता सूची जारी की गई, जो विवादस्पद थी। क्योंकि उत्तर प्रदेश कोषागार नियम के अनुसार नियमावली 20(3) के अनुसार सहायक/उप कोषाधिकारियों की ज्येष्ठता सूची हेतु मौलिक रूप से

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण का नहीं किया।

नियुक्त ज्येष्ठ श्रेणी लिपिक (वर्तमान में लेखाकार) को मौलिक रूप से नियुक्ति की दिनांक से ज्येष्ठता प्रदान करते हुये वरिष्ठता दी जायेगी। परन्तु विभाग द्वारा कोषागार नियमावली तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनदेखी कर (कन्डीशन) प्रमोशन प्राप्त कर्मियों को पुनःअनुवर्ती पदोन्नति दे दी गई। जो बिल्कुल असंवैधानिक है। इस कारण विभाग के समस्त कर्मचारियों में भारी रोष है। स्थिति किसी भी समय विस्फोटक हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न में शासन को तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।]

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्थायी राजकीय सेवा में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग की सेवा एवं सहायता सुचारू एवं उत्तम तरीके से की जा रही है, किन्तु मानदेय अत्यधिक कम होने के कारण उनके परिवार गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता पर असर पड़ रहा है। यदि इन कार्यकर्त्रियों को सरकारी सेवा में स्थायी रूप से समायोजित कर दिया जाय तो यह एक सराहनीय निर्णय होगा।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व की सूचना पर नियम–300 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत विभिन्न ग्रामों में गम्भीर पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्र नगर के अन्तर्गत गजा, कठुड़, नकोट, चौड़खेत छाती, घरगाँव, पोखरी, चाका, लसेर, बैरोला, धारकोट, कालिंग, चौपड़ियों, कोठी, दिगवाली, सकन्याणी, बगसारी, रणकोट (डान्डा), दोगी, मुण्डाला, नाई, बमुण्ड, काकड़सैंण, लोढसी, हिण्डोला, बागी, खेत नाई, देवप्रयाग रोड से तीनधारा, हिण्डोलाखाल, दुआधार, आगराखाल, खाड़ी, चिड़ियाली, अदवाणी, कसमोली, डिबोली, ओगल्यासू, पलाम में ऊपरी क्षेत्र तिमली, नोडू, काटल, क्यारी, कूई, बधाण में पेयजल स्रोत सूख जाने से लोगों का जीवन संकटमय हो गया है। प्रशासन स्तर पर निविदा पर खच्चरों/टैंकरों से सड़क मार्ग के निकट पेयजल की आपूर्ति यदा–कदा ही की जाती है। समय पर ठेकेदारों का भुगतान न होने के कारण टैंकरों द्वारा पेयजल की सप्लाई बन्द कर दी जाती है। जिस कारण पेयजल आपूर्ति नियमित न होने पर जनता में आक्रोश व्याप्त है, विषय जनजीवन से जुड़ा होने के कारण लोक महत्व का है। अविलम्ब कार्यवाही की माँग करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण का नहीं किया।

जनपद हरिद्वार की विधान सभा भगवानपुर के गाँव हसनावाला के मुख्य मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेन्द्र राकेश–

[मान्यवर, जनपद की विधान सभा भगवानपुर के गाँव हसनावाला के मुख्य मार्ग पर पुलिया/पुल विगत कई वर्षों से टूटा पड़ा है। जिसके कारण गाँव के लोगों को बहुत कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तथा दूसरे गाँव के रास्ते में पैदल चलकर जाना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में गाँच के लोगों ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की लेकिन अभी तक इस पुल का पुनः निर्माण नहीं किया गया है। इस पुल व सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना के अन्तर्गत किया गया था। इस पुल में मानक के अनुरूप कार्य ना होने के कारण यह पुल लगभग 03 वर्ष पूर्व गिर गया था। इस गाँव का यह मार्ग एवं पुल मात्र एक मुख्य मार्ग है। जनहित में इसको बनाया जाना अति आवश्यक है। इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित कर कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।]

पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0वि0 पन्तनगर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेमानन्द महाजन–

[माननीय, सदन को अवगत कराना है कि पंडित गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी वि0वि0 पंतनगर के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति की व्यवस्था वि0वि0 द्वारा नहीं की जाती है। जबकि अन्य विभागों व अन्य संस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के न होने से अच्छे शिक्षाविद व अन्य कर्मचारी वि0वि0 की सेवा छोड़ कर अन्यत्र चले जाते हैं। कार्यरत कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने व अपने सगे सम्बन्धियों के ईलाज के लिए दर–दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। महोदय, श्री रामपद मण्डल लाईन मैंन विद्युत विभाग वि0वि0 पंतनगर में एक सेवा निवृत्त कर्मचारिय है। इनकी पत्नी श्रीमती सरला देवी को कैंसर की बीमारी है। इनकी सारी जमा पूँजी अपनी पत्नी के ईलाज में खर्च हो चुकी है। पत्नी के ईलाज की प्रतिपूर्ति के लिए प्रार्थना–पत्र की सारी औपचारिकता पूर्ण कर शासन में जमा है। शासन द्वारा 'विश्वविद्यालय की नीति नहीं है,' कह कर प्रतिपूर्ति की धनराशि नहीं दी जा रही है जबकि कैंसर जैसी बीमारी के नाम से ही मानवीय दायित्व बन जाता है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व व जनहित के विषय में सदन की कार्यवाही रोककर त्वरित कार्यवाही कराये जाने की माँग करता हूँ।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पौड़ी के लोक निर्माण विभाग बैजरों स्थिति निर्माण खण्ड में चौदह अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पदों के कारण विकास कार्य ठप्प होने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से मुझे सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में लोक निर्माण विभाग के बैजरों स्थित निर्माण खण्डों में अधिकारियों तथा कर्मचारियों के 14 पद रिक्त होने के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र के विकास एवं निर्माण कार्यों में विशेषकर सड़कों के निर्माण में गति नहीं आ पा रही है। अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के कारण स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं हो पा रहें हैं और फिर पुनरीक्षित आगणन गठित कर अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने की माँग की जा रही है।

मेरा मान्यवर से आग्रह है कि अधिकारियों/कर्मचारियों की भारी कमी के कारण निर्माण एवं विकास कार्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को गम्भीरता से लेते हुए, रिक्त पदों पर यथाशीघ्र अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तैनाती/नियुक्ति करने के सम्बन्ध में सरकार को निर्देशित किया जाय, ताकि स्वीकृत निर्माण कार्य यथासमय पूर्ण हो सके और फिर पुनरीक्षित आगणन प्रस्तुत कर, अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने/करवाने की आवश्यकता न पड़ सके।

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की माँग

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रशिक्षित बेरोजगारों की बहुत बड़ी समस्या है, पूरे प्रदेश के लाखों प्रशिक्षित बेरोजगार पूरे प्रदेश में आन्दोलन कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए आपसे हम माँग करना चाहते हैं कि हमने नियम–310 में सूचना दी है, विधान सभा की कार्यवाही रोककर आज इस पर चर्चा करा ली जाय।

श्री प्रेमानन्द महाजन–

मान्यवर, जनपद ऊधम सिंह नगर में रहने वाले थारू, बुक्सा रायसिख व अन्य की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में हमारी नियम–310 की सूचना है।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हमारी भी नियम–310 की सूचना है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत पहली सूचना शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत, माननीय किशारे उपाध्याय और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी है। दूसरी सूचना माननीय हाजी तस्लीम अहमद, श्री शहजाद, श्री हरिदास और श्री सुरेन्द्र राकेश की उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति, जनजाति के विभिन्न विभागों में बैकलॉग खाली होने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री प्रेमानन्द महाजन एवं श्री नारायण पाल की जनपद ऊधम सिंह नगर में रहने वाले थारू, बुक्सा, रायसिक्ख व अन्य की भूमि को नियमित करने के सम्बन्ध में है। मैं इन तीनों सूचनाओं को नियम–310 के अन्तर्गत अस्वीकार करता हूँ और शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के सम्बन्ध में डा0 हरक सिंह रावत एवं अन्य सदस्यों की सूचना तथा उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति/जनजाति का विभिन्न विभागों में बैकलॉग खाली होने के सम्बन्ध में श्री शहजाद एवं अन्य सदस्यों की सूचना को मैं नियम 58 के अन्तर्गत सुन लूँगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इसे नियम–310 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन लीजिये।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर प्रकरण है इसमें बाँध के किनारे रहने वाले लोगों के अधिकार के सम्बन्ध में है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत 1–श्री प्रीतम सिंह, 2–श्री किशोर उपाध्याय, 3–श्री गोपाल सिंह राणा, 4–श्री यशपाल बेनाम, 5–श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल, 6–कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', 7–श्री प्रेमानन्द महाजन, 8–श्री नारायण पाल, 9–श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास तथा श्री शहजाद 10–श्रीमती अमृता रावत, 11–श्री तिलक राज बेहड़ की कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री किशोर उपाध्याय, 2–श्री यशपाल बेनाम, 3–श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, नियम–58 में मेरी भी एक महत्वपूर्ण सूचना थी, उसको सुन लीजिये।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लाखों लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, वे लोग वहाँ पर पचासों साल से रह रहे हैं। इनको भूमिधरी के अधिकार नहीं दिये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय की सूचना की जगह माननीय सदस्य श्री गोपाल सिंह राणा जी की सूचना को आज नियम–58 में सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक हैं, माननीय सदस्य श्री किशोर उपाध्याय जी की सूचना के स्थान पर श्री गोपाल सिंह राणा जी की सूचना को में नियम–58 के अन्तर्गत सुन लूँगा। अब श्री यशपाल बेनाम, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल, श्री गोपाल सिंह राणा की सूचनाओं को मैं नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, जब सदन व्यवस्थित हो जायेगा तो बोलूँगा।

श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जो लोग शक्ति फार्म में रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। कई–कई बार हमने इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, मुझे पाँच सूचनाएं सुननी हैं और वह निर्धारित हो गई हैं। आप इस सूचना को अगले उपवेशन में दे दीजिये।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, यह थारू, बुक्सा, बंगाली, राय सिक्ख लोग हैं, इनकी भूमि को नियमित किया जाना बहुत जरूरी है, वह बहुत ही उपेक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप अगले उपवेशन में सूचना दे दीजिये, उस पर विचार कर लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(चौ0 यशवीर सिंह एवं काजी मौ0 निजामुद्दीन को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य वेल में आ गये और अपनी बात कहने लगे। जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें। आप इसे नियमों के अन्तर्गत दे दीजिये, उस दिन उस पर विचार किया जायेगा। आज नहीं हो पायेगा, कृपया स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

आज नहीं हो पायेगा, इस पर में अपना विनिश्चय दे चुका हूँ। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, उनकी किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप अपनी सूचना कल लगा दीजिएगा, कल देख लेंगे।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे।)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 के तहत ग्राह्यता पर सुनने का अवसर दिया, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, मैं आपका ध्यान वेतन समिति, 2008 की संस्तुतियों पर शासन की संस्तुतियों के अनुसार मकान किराया भत्तों की दर की ओर दिलाना चाह रहा हूँ। महोदय, शासनादेश संख्या 132/वि0अनु0–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य किया गया था। महोदय, आप भली–भाँति परिचित हैं कि राज्य बनने से पहले, राज्य बनने

के बाद छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों से पहले बेसिक पे के हिसाब से मकान किराया भत्ता कर्मचारियों को दिया जाता था। किन्तु दिनांक 5 जून, 2003 के तहत गढ़वाल मण्डल के कार्यालय और कुमाऊँ मण्डल के कार्यालय, मुख्यालय नैनीताल और पौड़ी को बी–2 श्रेणी में रखा गया, साथ ही देहरादून को भी बी–2 श्रेणी में रखा गया शासनदेश संख्या 38/XXXVII (7) म0कि0/2009। महोदय, गम्भीर प्रश्न की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। दिनांक 13 फरवरी, आज्ञा से, हस्ताक्षर टी0एन0 सिंह, अपर सचिव के द्वारा एक शासनादेश निकाला गया। जिसमें देहरादून, पौड़ी एवं नैनीताल को बी–2 श्रेणी में रखा गया। सी–श्रेणी में समस्त जनपदीय मुख्यालय, हरिद्वार (शहरी क्षेत्र) और पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्रों को सी–श्रेणी में रखा गया। अवर्गीकृत श्रेणी में जो उक्त श्रेणियों के अतिरिक्त नगरीय क्षेत्रों को जोड़ा गया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है महोदय, कि मात्र तीन दिन के बाद 16 फरवरी, 2009 को एक शासनादेश पुनः निकलता है। जिसमें कि पौड़ी गढ़वाल के जो शहरी क्षेत्र हैं, विशेषकर कोटद्वार, श्रीनगर, दुगड्डा और लैंसडौन को इस श्रेणी–सी से हटाकर अवर्गीकृत श्रेणी में रख दिया गया, जिससे कर्मचारियों में बहुत रोष व्याप्त है।

महोदय, यह अपने आप में भी हास्यापद है कि मात्र तीन दिनों के अन्तराल के बाद इस तरह का शासनादेश लागू कर दिया गया। आप भली–भाँति परिचित हैं कि कोटद्वार गढ़वाल का प्रवेश द्वारा है, लैंसडौन और दुगड्डा अपने आप में एक पर्यटन स्थल हैं और उसमें भी बड़ा श्रीनगर महोदय, जो कि इस उत्तराखण्ड का एक पर्यटन नगर है वहाँ प्रदेश का पहला मेडिकल कालेज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, एन0आई0टी0 वहाँ पर खुलने जा रहा है, तमाम तरह के प्रशिक्षण संस्थान वहाँ पर हैं, मेडिकल कॉलेज वहाँ पर है और इससे भी बड़ी बात कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन वहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं। वो स्वाभाविक है कि हॉट–सीट है। लेकिन उसके बाद मात्र तीन दिन के बाद पौड़ी जिले के इन दोनों शहरों को श्रेणी–सी से अलग कर दिया जाता है जोकि गम्भीर विषय है। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि इस गम्भीरता पर विचार करते हुए, इस पर तमाम सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायी जाय। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशपाल बेनाम जी ने नियम–58 के अन्तर्गत जिस सूचना के माध्यम से ध्यान आकर्षित कराया श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में श्रीमन्, मैं सम्मानित सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि वेतन समिति 1998 की संस्तुति के क्रम में लिये गये निर्णय के आधार पर निर्गत शासनादेश जो 11–6–1999 में हुआ था उस समय श्रीमन्, पौड़ी गढ़वाल शहरी क्षेत्र को उत्तर प्रदेश के समय से ही सी–श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया था और राज्य गठन के उपरान्त सरकार द्वारा मकान किराया

भत्ते की श्रेणी भत्ते में पुनरीक्षण कर मान्यवर, शासनादेश दिनांक 18–12–2001 को निर्गत किया गया। जिसके अनुसार पौड़ी गढ़वाल (शहरी क्षेत्र) को ''सी'' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। श्रीमन्, ये कालान्तर में शासनदेश दिनांक 05–06–2003 द्वारा नैनीताल के शहीर क्षेत्र तथा पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र में मण्डलीय मुख्यालय स्थापित होने के कारण इन नगरों को बी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। परन्तु पौड़ी गढ़वाल के अन्य शहरी क्षेत्र पूर्व की भॉति अवर्गीकृत क्षेत्र में यथावत् बने रहे तथा उन्हें राज्य गठन के पूर्व से ही अवर्गीकृत क्षेत्र का किराया भत्ता अनुमन्य होता रहा । वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के क्रम में लिये गये निर्णय के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में संशोधन का शासनादेश दिनांक 13–02–2009 निर्गत किया गया।

इस शासनादेश के प्रस्तर–2 के कॉलम–3 में बी श्रेणी में पौड़ी के शहरी क्षेत्र तथा कॉलम संख्या–4 में श्रेणी–सी में पौड़ी गढ़वाल शहरी क्षेत्र अंकित हो गया था, यह त्रुटिवश हो गया, इसका शासनादेश दिनांक 16 फरवरी, 2009 के आधार पर पौड़ी के शहरी क्षेत्र को बी–2 श्रेणी में यथावत् रखते हुए पौड़ी गढ़वाल शहरी क्षेत्र को सी–श्रेणी से हटा दिया गया है, बी–श्रेणी में रखने का औचित्य यह था कि दोनों स्थानों पर नैनीताल और पौड़ी में मण्डलीय मुख्यालय थे, इसके चलते इनको बी–श्रेणी में रखा गया। स्पष्टतः शासनादेश 16–2–2009 के द्वारा शासनादेश दिनांक 13–2–2009 में हुई त्रुटि का संशोधन मात्र किया गया है तथा पौड़ी गढ़वाल के अन्य शहरी क्षेत्र को पूर्व से प्राप्त हो रहे मकान किराये भत्ते की अनुमन्यता से किसी प्रकार से वंचित नहीं किया गया है। इसलिए इसका कोई औचित्य नहीं बनता है, मेरा आग्रह है कि इस सूचना को अग्राह्य किया जाय।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि पौड़ी, देहरादून एवं नैनीताल के शहरी क्षेत्र जैसे पौड़ी जिले के शहरी क्षेत्र कोटद्वार, दुग्गडा तथा लैंसडॉन क्या इनको बी–2 श्रेणी का किराया भत्ता मिलेगा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जी नहीं, क्योंकि हमने मण्डलीय मुख्यालय को बी–2 की श्रेणी में रखा है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, श्रीनगर, कोटद्वार, पौड़ी तथा दुगड्डा से कई छोटे शहर हैं जिन्हें सी–श्रेणी में आपने सूचीबद्ध कर दिया है। मेरा यह कहना नहीं कि उन शहरों को क्यों दिया जा रहा है। मान्यवर, श्रीनगर और कोटद्वार जैसे शहरों को सी–श्रेणी से अलग कर दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इसका पुनः

परीक्षण कराया जाय, कई छोटे शहर हैं, मैं इसमें चर्चा नहीं करना चाहूँगा, श्रीनगर और कोटद्वार जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण शहर हैं जबकि उससे छोटे शहर सी–श्रेणी में आते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, वेतन समिति की संस्तुति आयी थी, उसके अनुरूप हमने शहरों का वर्गीकरण किया।

श्री अध्यक्ष–

श्री यशपाल बेनाम जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, जो 13 फरवरी को शासनादेश निकलता है उसमें पौड़ी गढ़वाल के शहरी क्षेत्र लिखा है, उसे अलग करके अवर्गीकृत जोड़ दिया गया है। जबकि माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें बी–2 श्रेणी का किराया भत्ता दिया जायेगा, न वह बी में हैं न सी में। इसका परीक्षण कराया जायेगा, मान्यवर, इसका अश्वासन दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय सदस्य जो आपत्ति कर रहे हैं उसको दिखवा लेंगे। वैसे जो वेतन समिति की सिफारिश हैं उसी के अनुरूप हमने किया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल जी, मंत्री जी ने बता दिया है, उन्होंने किसी आधार पर किया है बिना आधार के तो किया नहीं। मंत्री जी ने कह दिया है अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसका परीक्षण करा लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आभार भी इसलिए प्रकट करना पड़ रहा है कि आपकी सदाशयता है कि जिसकी वजह से एक अति महत्वपूर्ण जिस विषय को सरकार के संज्ञान में लाने का पूर्व में मैंने प्रयास किया था कि नगर पालिका परिषद् मसूरी के द्वारा एम0पी0जी0

कॉलेज की 32 बीघा भूमि श्री श्री रविशंकर जी की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग को आवंटित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, तो सरकार ने कहा 'आप जो हैं विधायक जी बिना चिंगारी के यहाँ आग पैदा करना चाहते हैं। मुझे भी लगा कि भूसे के ढेर के अन्दर जैसे चिंगारी होती है ऊपर दिखता नहीं है, अन्दर ही अन्दर सुलगती रहती है और बाद में वह क्या स्वरूप लेता है, एक बम का स्वरूप ले बैठा है, लेकिन मैं कहूँगा कि मान्यवर, मसूरी वासियों के लिए दुर्भाग्य पूर्ण था वह दिन कि अगले दिन 16–03–10 को एम0पी0जी0 कॉलेज की जो प्रबन्धकारिणी समिति है उसका प्रस्ताव नगर पालिका परिषद् अध्यक्ष और उनके सहयोगी सदस्यों के पाँच के एक साथ आने के बाद, कुल उपस्थित वहाँ पर 9 की होती है और 4 लोग प्रधानाचार्य जो इसके सचिव भी हैं और सदस्य भी हैं, दो शिक्षक उसके सदस्य हैं, एक शैक्षणिक कर्मचारी उनका प्रतिनिधित्व करता है। वह भी प्रबन्ध समिति में अपना योगदान करता है।

दुर्भाग्य ऐसा होता है कि कोई भी प्रबन्ध समिति पहले तो इस तरह के प्रस्ताव को पारित ही नहीं कर सकती है। दूसरा कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसको कि कुल संख्या जो प्रबन्धन समिति की होगी उसके दो तिहाई से कम कोई ऐसा प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता है। पहला प्रस्ताव गलत हुआ, अगर गलत प्रस्ताव किया है तो दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना था। जो कि मात्र 5:4:1 के बहुमत से पारित किया। यह भी एक दुर्भाग्यपूर्ण समय एम0पी0जी0 कॉलेज के लिए हुआ। मान्यवर, पूर्व में भी छात्र, शिक्षक और अभिभावकों का बहुत आक्रोश मसूरी की सड़कों पर देखने को मिला। मैं वहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ और एक जनसेवक होने के नाते मुझसे तमाम लोगों ने कहा कि क्या आप विधान सभा में इस मामले को उठाते हुए सरकार को सचेत नहीं कर सकते हैं और सरकार से यह आग्रह नहीं कर सकते हैं कि गलत प्रस्ताव पर रोक लगाते हुए निरस्त करने की कार्यवाही करें ? क्या इस विषय को सदन में नहीं रख सकते हैं ? मैंने उन्हें विश्वास दिलाने ओर माननीय दिनेश अग्रवाल साहब के संज्ञान में भी मसूरी के लोगों द्वारा यह बात लाई गई। अब आपके सामने भी इस विषय को रखा जा रहा है। और इस विषय पर दोनों लोग संयुक्त रूप से नियम–58 के अन्तर्गत सूचना आपके सम्मुख रख रहे हैं।

मान्यवर, यह अत्यन्त अविलम्बनीय और लोकमहत्व का प्रश्न इसलिए बन जाता है कि सरकार इस चिंगारी को बम और बम को अणुबम न बनने दे और इसे निरस्त करने का निर्णय आज ही सदन में दें। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आज सदन की सम्पूर्ण कार्यवाही को रोककर नियम–58 के अन्तर्गत इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर नियम–58 के अन्तर्गत मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मसूरी में जब इस डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी तो मसूरी वासियों के लिए बहुत बड़ा दिन था। बहुत ही आवश्यकताओं के अनुरूप इस डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई। मान्यवर, यह एक अनूठा डिग्री कॉलेज था जिसमें मसूरी की नगर पालिका इसका प्रबन्ध करने वाली संस्था थी और लोगों का यह विश्वास था कि मसूरी का डिग्री कॉलेज यहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप, मसूरी जैसी जगह जहाँ पर इण्टर तक की एजुकेशन है जो मैं समझता हूँ देश में अपना एक विशेष स्थान रखती है। मसूरी में इण्टर तक एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा था इसलिए वहाँ डिग्री कॉलेज की आवश्यकता हुई कि यहाँ एक डिग्री कॉलेज बने और वह डिग्री कॉलेज बना और उसके लिए स्थान की समुचित व्यवस्था की गयी। मान्यवर, उस डिग्री कॉलेज ने मसूरी में अपना एक आकार लेने का स्वरूप बनाया और स्वरूप बन रहा है और मैं नहीं समझता कि किस उद्देश्य से उस डिग्री कॉलेज की जो वहाँ के लोगों के लिए एक मूर्त भावना थी उसको खत्म करने के लिए, उसको एक किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को वह डिग्री कॉलेज की जमीन को देने का प्रयास किया गया, उसके पीछे क्या कारण है ? उसके पीछे क्या कारण है कि उस जमीन को किसी को देने की चेष्टा की जाती रही है ?

मान्यवर, क्या सरकार इतनी अक्षम है कि मसूरी में जो शिक्षा की आवश्यकतायें हैं, उसको सरकार पूरा नहीं कर सकती और क्या मसूरी के अन्दर जो नये कोर्सेस की आवश्यकतायें हैं, जो मसूरी के अन्दर शिक्षा के डिग्री कॉलेज के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास सरकार का होना चाहिए, उसको पूरा करने में क्या सरकार सक्षम नहीं है ? हमको उस जमीन को एक व्यक्ति को देना पड़ रहा है कि वह व्यक्ति वहाँ पर आकर शिक्षा के कुछ काम करने का प्रयास करेगा ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि वह भी ऐसा व्यक्तित्व जिसकी पूरे देश के अन्दर एक महत्ता है और नाम है। मैं नहीं समझता हूँ कि क्यों और किस उद्देश्य से उस व्यक्ति को इतनी भारी जमीन मसूरी के अन्दर देने का कुप्रयास, हमारी मसूरी की नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जा रहा है मान्यवर, यह पूर्णतः अनुचित है, वह जमीन नहीं दी जानी चाहिए। उस जमीन के पीछे मसूरी के लोगों के एक सैन्टीमैंट्स हैं और उन लोगों की एक भावना है। यदि सरकार को शिक्षा के स्तर में और कोर्सेस जोड़ना है या अपनाना है, उसके लिए सरकार प्रयास करे। मान्यवर, मैं नहीं समझता हूँ कि वह जमीन किसी को भी दी जानी चाहिए और जमीन का प्रस्ताव जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उस दिन अपने जवाब में यहाँ पर कहा था कि यदि यह प्रकरण आयेगा तो उसको हम देखेंगे, मैं समझता हूँ कि यह प्रकरण आज सरकार के सामने आया है और सरकार को इसमें गंभीरता से इस प्रकरण को लेना चाहिए और इस प्रकरण को समाप्त भी करना चाहिए।

मान्यवर, मैं नहीं समझता हूँ कि आधार पर और जो उसकाा लीगल आधार है उसमें वह पूरा नहीं होता है। मान्यवर, खाली एक मात्र के बहुमत के प्रस्ताव से, आप उस जमीन का जो प्रस्ताव कर रहे हैं, वह भी वहाँ के मैमोरंडम जो बना हैं उसके अनुरूप नहीं है। उसमें भी दो तिहाई के आधार पर होना चाहिए। वह भी बात नहीं है, बात यह है कि इस बात की आवश्यकता क्या है ? उसकी आवश्यकता ही नहीं है, यदि आवश्यकता नहीं है तो सरकार को इस विषय पर बहुत गम्भीर होकर इस मामले पर सदन में घोषणा करनी चाहिए, चूँकि इसमें सरकार को ही फैसला लेना है और प्रस्ताव भी शासन में आयेगा। वह प्रस्ताव अस्वीकृत करने के लिए मैं समझता हूँ कि इस विषय पर माननीय मंत्री जी इस सदन को आश्वस्त करेंगे। मान्यवर, यह बहुत अविलम्बनीय और लोक महत्व का प्रश्न है, इसमें चर्चा करानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि इस प्रश्न पर इस सदन को आश्वस्त करना चाहेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि इसमें बल की कमी है, मैं पूरा करना चाह रहा हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के बल को आपने भी मान लिया है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष–

मैं तो हमेशा मानता हूँ और सभी को मानता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 के अन्तर्गत श्री जोत सिंह गुनसोला जी और श्री दिनेश अग्रवाल जी ने इस सदन के समक्ष बहुत गम्भीर और महत्वपूर्ण विषय रखा है। मान्यवर, इसलिए भी गम्भीर विषय है क्योंकि विषय सदन के सम्मुख एक प्रश्न के माध्यम से पहले आ चुका है और इस बारे में सरकार के द्वारा जो उत्तर मिला था कि अभी चिंगारी नहीं है। मैंने स्वयं आपके संज्ञान में कहा था कि यह चिंगारी नहीं है बल्कि बम है और हमारे साथी श्री गुनसोला जी ने आज यह भी कह दिया है कि यह बम ही नहीं है बल्कि परमाणु बम है। माननीय अध्यक्ष जी, 6 अगस्त, 1945 को और 9 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा नागासकी में जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ है वहाँ आज तक जीवन उबर नहीं पाया है। यह उसमें कम बड़ी समस्या नहीं है। इसलिए भी गंभीर हो गया है कि उस दिन सरकार की ओर से जवाब आता है कि कल्पनाओं के आधार पर आपने यह सवाल

किया है, जो चीज हुई ही नहीं है उसके आधार पर यह प्रस्तुत किया है। मैंने बम शब्द का उस दिन इसलिए प्रयोग किया है। नगर पालिका के अध्यक्ष ने प्रस्ताव पारित किया और नगर पालिका अध्यक्ष प्रबन्ध समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक व्यक्ति सदन में जिसमें प्रस्ताव पारित हो रहा है उसका अध्यक्ष है और दूसरा प्रबन्ध समिति का वहीं व्यक्ति जब अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से माननीय जोत सिंह गुनसोला जी की आंशका कोई निर्मूल नहीं थी। लेकिन सरकार ने तकनीकी कारणों से कि एक व्यक्ति ने अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव पारित किया उस व्यक्ति ने प्रबन्ध समिति के रूप में प्रस्ताव नहीं पारित किया इसलिए उस दिन माननीय जोत सिंह गुनसोला जी की बात को तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है, सरकार की इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को इतना डर नहीं है, इस सदन का डर नहीं है कि एक विषय सदन के सम्मुख उठ रहा है और सरकार जवाबदेही बन रही है कि नहीं प्रबन्ध तंत्र ने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, अगर करेंगे तो विचार करेंगे और उसके कुछ महीने बाद प्रस्ताव पारित होता, कुछ समय बाद प्रस्ताव पारित होता, लेकिन अगले दिन, जो विषय सदन के सम्मुख बड़ी गंभीरता के साथ उठ रहा है और सरकार जवाब दे रही हो और अगले ही दिन प्रबन्ध समिति प्रस्ताव पारित कर रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरा हिन्दुस्तान एक संविधान के तहत चलता है। पार्लियामेन्ट है, भारत सरकार है, यह सदन है, सरकार है। नियम कायदे कानूनों से सरकार चलती है। अब उस प्रबन्ध तंत्र पर इस प्रकार का अंकुश नहीं है इस सदन का अंकुश नहीं है। डर, भय सब खतम हो गया है। यह बेशर्मी है कि एक दिन बाद यह प्रस्ताव पारित हो जाता है कि अमुक व्यक्ति को, अमुक संस्था को यह भूमि देने पर प्रबन्ध समिति को कोई आपत्ति नहीं है। मैं नाम का उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ लेकिन जिस भी व्यक्ति या संस्था को यह भूमि दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर आज इस तरह भूमि बाँट दी जायेगी कि कितने शंकराचार्य हुए हैं, रोज मैं हरिद्वार में कुम्भ मेले में पढ़ रहा हूँ कि फर्जी शंकराचार्यों को आवंटन कर दिया मेला प्रशासन ने। आज 108 पता नहीं कितने होंगे। 1 हजार 8 तथा 1 लाख 8, अब इस देश में ऐसे ही इतने महाराज, साधु संतों हर धर्म के लोग हैं, पादरी भी हैं, मौलवी भी हैं अब सबको इस तरह इस प्रदेश की जमीन बाँट दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मैं उत्तरकाशी में था, उत्तरकाशी के लोगों की पीड़ा थी कि रावत जी जब तक 2012 का चुनाव आयेगा कहीं ऐसा न हो कि इस उत्तराखण्ड का कोई पहाड़, कोई कंदरा न बच पाए। कुछ बचेगा ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, आज पी0जी0 कॉलेज मसूरी की भूमि बाँट दी जा रही है कल गढ़वाल विश्वविद्यालय की बाँट दी जायेगी। ऋषिकेश की बाँट दी, आपने प्रयाग फार्म को बाँट दिया। यह क्या सिलसिला इस प्रदेश में हो रहा है ?

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण इसलिए चाहिए क्योंकि जिस समय इस प्रदेश की, जोकि यहाँ के गरीबों के हिस्से की जमीन है, इस प्रदेश की अगर 85 लाख जनता है तो उनका हक इस उत्तराखण्ड की भूमि पर है, जंगलों पर है, नदियों पर है, हवा पर है। माननीय अध्यक्ष जी, आप ऐसे समय पर पीठ पर बैठे हैं, जब प्रदेश की सरकार इस प्रदेश की जमीनों को खुर्द–बुर्द कर रही है, तो आपका उत्तरदायित्व इस प्रदेश की जल, जंगल, जमीन को बचाने का है और आपका मार्ग दर्शन चाहिए, आपका संरक्षण चाहिए, एक ऐतिहासिक निर्णय चाहिए, सरकार के ऊपर सदन है और सदन के ऊपर पीठ का निर्णय सर्वोपरि है। मान्यवर, इसलिए आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहते हैं, यह केवल श्री हरक सिंह रावत को नहीं चाहिए, केवल श्री गुनसोला जी नहीं चाहिए, केवल श्री दिनेश जी को नहीं चाहिए, प्रतिपक्ष के नेताओं को नहीं चाहिए, सम्मानित सदस्यों को नहीं चाहिए, यह जमीन इस प्रदेश की जमीन है, इस प्रदेश की जनता की जमीन है, प्रदेश की जनता का हक इस जमीन पर है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से विनिश्चय चाहता हूँ, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और आपका विनिश्चय अना चाहिए।

*पर्यटन मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, माननीय श्री जोत सिंह गुनसोला जी, श्री दिनेश अग्रवाल और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा कार्य स्थगन के रूप में नगर पालिका परिषद्, मसूरी के द्वारा एम0पी0जी0 कॉलेज मसूरी की 32 बीघा जमीन के सम्बन्ध में विषय उठाया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद्, मसूरी के द्वारा अवगत कराया गया कि नगर पालिका परिषद्, मसूरी की बोर्ड की बैठक 27–11–2009 में सम्पन्न हुई थी, उसके प्रस्ताव संख्या 837 में वेद विज्ञान महाविद्यापीठ जो डिवाइन लाइफ सोसाईटी है, जिसकी चर्चा अभी माननीय सदस्यों ने की है को 2 बीघा जमीन देने हेतु एक प्रस्ताव उसमें रखा गया और वह वेद विज्ञान महाविद्यापीठ डिवाइन लाइफ सोसाईटी है जो निर्धन बच्चों को निशुल्क शिक्षा देती है और उस प्रस्ताव को वहाँ पर रखने के बाद बहुमत के आधार पर स्वीकृत करके और अग्रिम कार्यवाही करके अगली बैठक में विस्तृत रूप से लाया जाए अध्यक्ष को इसके लिए उन्होंने अधिकृत किया। तत्पश्चात् पालिका की पुनः मासिक बैठक 29–12–09 के प्रस्ताव संख्या 848 में निर्णय अगली बैठक हेतु रखा गया, उसमें बोर्ड की बैठक 19 जनवरी, 2010 को हुई उसके प्रस्ताव संख्या 946 द्वारा पूर्व पारित प्रस्ताव संख्या 848 के अनुसार एवं सम्पत्ति विभाग समिति की संस्तुति पर उक्त महाविद्यापीठ को गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, क्रीड़ा, तकनीकी शिक्षा आदि हेतु दो बीघा जमीन के अतिरिक्त 33.40 बीघा यानी 30000 वर्ग गज भूमि उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया तथा संस्था के अनुबन्धनामा हेतु प्रस्ताव किया कि विधिक राय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकर नगर पालिका सदन के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया। तदोपरान्त नगर पालिका द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में शासन से मार्ग दर्शन माँग गया, जिसके क्रम में शासन द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कि यह जमीन नगर पालिका की है तो कब से है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, भूमि का वर्तमान में मूल्य क्या है तथा स्पष्ट प्रयोजन सहित विस्तृत आख्या कराने की अपेक्षा की गई। साथ ही यह भी स्पष्ट निर्देश दे दिये गये हैं कि जब तक यह सारी चीजें नहीं आतीं वह जो नगर पालिका का प्रस्ताव है उस पर रोक लगा दी गई है और अग्रिम आदेशों तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने इसमें नगर पालिका परिषद् के प्रस्ताव का जिक्र किया है जो प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव किया है और जो शासन को भेजा है उसका आपने कोई जिक्र नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, उसमें माननीय सदस्य ने खुद अवगत कराया कि वह हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय को भेजा, शासन में नहीं आया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्वर, आपके पास नहीं आया है ?

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शासन में नहीं आया, शासन में जो आया है उस पर तत्काल रोक लगाई गई है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत, श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री दिनेश अग्रवाल और माननीय मंत्री श्री मदन कौशिक जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो नगर विकास मंत्री जी का उत्तर आज सदन के सम्मुख आया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रकरण समाप्त हो चुका है और सूचना अग्राह्य हो चुकी है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, चूँकि भूमि नगर पालिका की है और विद्यालय एडेड है, इसके तहत ही उसे मान्यता मिली है। अगर उस भूमि को नगर पालिका चाहे भी तो भी उसको नहीं दे सकती है, जब तक विश्वविद्यालय की सहमति और शासन की सहमति न हो, उससे पहले वह दे ही नहीं सकती। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अवगत करा दिया है कि अभी हमने तत्काल प्रभाव से उसका परीक्षण कराने के लिए रोक लगा रखी है। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन जब माननीय गुनसोला जी ने कहा कि नगर पालिका ने प्रस्ताव पास कर दिया है, इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर दिया कि प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव पास नहीं किया। अब जब प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव पास कर दिया तो नगर विकास मंत्री जी कह रहे हैं कि नगर पालिका ने प्रस्ताव निरस्त कर दिया, रोक लगा दी। यह तो विरोधाभास हो गया। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विरोधाभास नहीं हुआ है। अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष सुनना चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। (घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को भी बहुत ही गम्भीरता से सुना था और माननीय नगर विकास मंत्री को भी गम्भीरता से सुना है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप खुद अपने भाषण में कह रहे हैं कि एम0पी0जी0 कॉलेज की कार्यकारिणी उसे बाद में लायी। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, क्या उस दिन आप सदन में उपस्थित थे ? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जी नहीं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर नेता प्रतिपक्ष सुनना चाहें तो मैं उत्तर दे सकता हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं। जब वे बैठ जायेंगे, तब आप खड़े हो जाना।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक साधारण सा सवाल कर रहा हूँ कि जब माननीय गुनसोला जी ने कहा कि नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि यह भूमि इस संस्था को दी जाय उस दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि कोई चिंगारी नहीं है और चिंगारी इसलिए नहीं है क्योंकि वह भूमि डिग्री कॉलेज की है और नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया है प्रबन्ध समिति ने नहीं पारित किया है। जो उत्तर आज आया है यही उत्तर उस दिन आ जाता तो नियम–58 के अन्तर्गत इस सदन का समय आज बर्बाद करने की आवश्यकता क्यों पड़ती।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिस भूमि पर महाविद्यालय स्थापित है वह भूमि नगर पालिका परिषद् की है और नगर पालिका की भूमि पर स्थापित उस महाविद्यालय की अपनी प्रबन्ध कारिणी समिति है। प्रबन्ध कारिणी समिति के जो अध्यक्ष हैं, वह नगर पालिका के मनोनीति अध्यक्ष हैं और चूँकि नगर पालिका के बोर्ड में जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया कि नगर पालिका के बोर्ड में प्रस्ताव आया कि इस भूमि को दिया जाय। लेकिन उच्च शिक्षा के उस संस्थान की भूमि का अगर किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग होना है तो उसके लिए विधिवत प्रबन्ध कारिणी का प्रस्ताव वी0सी0 के पास विश्वविद्यालय में आयेगा और उस विश्वविद्यालय में उस प्रस्ताव के बाद वह शासन में आयेगा। जो उस दिन मैंने उत्तर दिया था। चूँकि प्रबन्ध कारिणी समिति की बैठक हुई ही नहीं थी, इस विषय को लेकर के। उस तिथि को कोई बैठक ही नहीं हुई थी तो उस दिन मैं क्या उत्तर देता। आज की तिथि पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि नगर पालिका परिषद् की बैठक में वह प्रस्ताव पारित हुआ है। चूँकि भूमि नगर पालिका की है। अब इसमें शासन ने जब कह दिया कि हम इसका परीक्षण करा देंगे, तभी इसमें कुछ कार्यवाही करेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, एक छोटा सा स्पष्टीकरण है, जो एम0पी0जी0 कॉलेज की भूमि है, यह नगर पालिका परिषद् की भूमि है ही नहीं। वह तो नगर पालिका द्वारा क्रय करके प्रबन्ध समिति को दी गयी है। नगर पालिका की कोई भूमि नहीं है क्योंकि अगर नगर पालिका की भूमि होती तो नगर पालिका को अधिकार था। लेकिन यह नगर पालिका की भूमि नहीं है, इसलिए तो हम कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विषय आ तो गया। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य श्री गुनसोला जी को बताना चाहता हूँ कि नगर पालिका परिषद् ने भूमि प्रबन्ध कारिणी समिति को दी है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि नगर पालिका परिषद् ने परचेज करके डिग्री कॉलेज को भूमि दे दी। जब भूमि डिग्री कॉलेज को दे दी गयी, जैसे गढ़वाल विश्वविद्यालय को भूमि दी गयी, तो वह उत्तर प्रदेश सरकार ने दी होगी, लेकिन आज उस पर स्वामित्व गढ़वाल विश्वविद्यालय का है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यही तो उत्तर मैंने दिया। (व्यवधान) अब आप जबरदस्ती हमसे ये कहने को क्यों कह रहे हैं ? जो स्थिति है, उसमें हम आपको अवगत करा रहे हैं। आज की तिथि में इस विश्वविद्यालय का कोई भी प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित नहीं है। जहाँ तक नगर विकास के बोर्ड की बात माननीय सदस्य संज्ञान में लाए हैं तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हमने परीक्षण तक उस पर रोक लगा दी है। हम उसके गुण–दोष का परीक्षण करायेंगे, उसके बाद इसको करेंगे।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, नगर विकास के प्रस्ताव पर रोक लगने से समस्या का समाधान नही होना है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, किस चीज से होना है, यह बताईये ना।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, सरकार यह कहे...........

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, भविष्य का कैसे बताएंगे ? आप कहेंगे कि ऐसा कहो, ऐसा कहो, श्रीमन्, आप जबरदस्ती यह नहीं उलगवा सकते।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, उस दिन इन्होंने यही उत्तर दिया था कि प्रबन्ध समिति ने प्रस्ताव पारित ही नहीं किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जब शासन में प्रस्ताव आएगा तभी तो विचार करेंगे। अभी प्रस्ताव ही शासन में नहीं आया तो क्या विचार करें, क्या निर्देश दें ? (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद महसूस करेंगे नगर पालिका ने प्रस्ताव पारित किया।

श्री दिनेश अग्रवाल–

नगर पालिका के प्रस्ताव से आपका क्या सम्बन्ध है ? वह तो प्रबन्ध कारिणी जाने। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इस सदन का समय क्या एक ही समस्या के लिए है ? एक प्रस्ताव पारित हुआ तो हमने क्वैश्चन के माध्यम से लगाया। फिर प्रबन्ध समिति ने पास किया तो हमने नियम–58 में लगाया। फिर विश्वविद्यालय जब प्रस्ताव शासन में भेजेगा तो नियम–310 में लगाएंगे। रोज यह विषय सदन के सम्मुख आता रहेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जो विषय उठाए गये हैं, उन सारें विषयों का संज्ञान ले लिया गया है। इसलिए तो कहा कि हम परीक्षण करा रहे हैं। एडवांस में हम कैसे कह दें कि रोक लगाएंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कार्य कारिणी के प्रस्ताव पर रोक लगा दीजिए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यहाँ उठाने के एक दिन बाद प्रबन्ध समिति ने पास कर दिया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उस तिथि तक नहीं किया था।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, दूसरे दिन तो पास कर दिया।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, हम भविष्य का कैसे बताएं कि कल क्या होगा ? हम किस तरह से भविष्य की बात बताएं ? (व्यवधान) श्रीमन, आप भविष्यवेत्ता हैं, हम भविष्यवेत्ता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, भविष्यवेत्ता वाली बात नहीं है। यह प्रस्ताव तो आपके सामने रखा है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, निश्चित रूप से हम भविष्यवेत्ता हैं। हमने उसी दिन यह कह दिया था, किया या नहीं प्रबन्ध समिति ने पास ? निश्चित रूप से हम हैं, भविष्यवक्ता। हमें मालूम है यह सरकार किस दिशा में जा रही है। जमीन को खुर्द–बुर्द करने में लगी हुई है।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, यह आरोप निराधार है। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, प्रबन्ध समिति द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है, उसको सरकार को रोकना चाहिए।

*श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आपने नियम–58 की सूचना पर मुझे बोलने की आज्ञा दी, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, 01 सितम्बर, 1994 का दिन था। खटीमा में एक बहुत बड़ा जुलूस उत्तराखण्ड आन्दोलन को लेकर चल रहा था, जिसमें 10–15 हजार की संख्या में भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं, नौजवान विद्यार्थी भी थे, बहुत बड़ा जुलूस चल रहा था। जब जुलूस खटीमा थाने के पास पहुँचा, तो वहाँ पर बी0के0 केन, जो तत्कालीन कोतवाल थे, उन्होंने गोली चलाने के आदेश दिये, जिसमें लगभग 10–15 व्यक्ति शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। वहाँ पर मेरे और ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह पाटनी तथा शेर सिंह दिगारी के नेतृत्व में जुलूस चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने जुलूस में पत्थरबाजी कर दी, उसके जवाब में पुलिस ने गोली चला दी। कई राउण्ड गोलियां चली और आगजनी भी हुई और उस समय मैं भी 40 दिन तक नेपाल में भूमिगत रहा था। मेरे साथ और कई लोग 40 दिन तक भूमिगत रहे, (व्यवधान) क्योंकि हमारे यहाँ से नेपाल नजदीक पड़ता है और यदि नेपाल नहीं जाते तो हमारा भी नाम शहीदों की लिस्ट में होता। क्योंकि पुलिस का सख्त आदेश था कि चार–पाँच आदमियों को गोली मार दो, जिसमें मेरा भी नाम था कि गोपाल सिंह राणा, बहादुर सिंह पाटनी.........।

श्री अध्यक्ष–

जो लोग भूमिगत रहे, सब नेपाल गये, तभी जान बची क्या ?

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, जो लोग हमारे साथ गये थे, उनकी जान बच गई, वहाँ पर गोलीकाण्ड हुआ था, आप सभी लोगों को मालूम है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

किशोर उपाध्याय जी तो नेपाल नहीं गये।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, इस सरकार के कारण नेपाल तो क्या, पता नहीं कहाँ–कहाँ जाना पड़े।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, आप सब लोगों को पता है कि वहाँ पर 16 दिन कर्फ्यू रहा। मान्यवर, मुलायम सिंह की सरकार थी, पुलिस का बहुत दबाव था और डी0के0 केन कोतवाल थे और उसने सख्त निर्देश दिये थे और स्पष्ट आदेश दिये थे कि गोपाल सिंह राणा, बहादुर सिंह पाटनी और दान सिंह रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, यह जहाँ भी मिले, इनको गोली मार दीजिये। हम लोग 3–4 दिन तक गड्डा चौकी में रहे, फिर वहाँ से किसी गाँव में छिपे और पुलिस की डर से ऐसे ही छिपते हुए आन्दोलन चला रहे थे और 40 दिन तक भूमिगत रहे। हमारे खिलाफ पुलिस ने आई0पी0सी0 की 10 संगीन धाराओं में, जिसमें आगजनी, जान से मारने का प्रयास आदि शामिल था, एफ0आई0आर0 दर्ज कर रखी थी। उसके बाद लगातार 16 दिन तक कर्फ्यू रहा और कर्फ्यू को तोड़कर महिलायें, छात्र और सभी लोग शहर में जुलूस निकाल रहे थे। आन्दोलन चलता रहा, कई लोगों को गिरफ्तार करके फतेहगढ़ और बनारस जेल में 22–22 दिन तक रखा गया और जब तक उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण नहीं हो गया, तब तक आन्दोलन नहीं रूका। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य बन गया, सरकार बन गई और अब दूसरी सरकार भी बन गई। मान्यवर, बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैंने पहले भी कहा कि सरकार के द्वारा बहुत भेदभाव बरता जा रहा है।

पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय एक शासनादेश जारी हुआ था, 516/20/जे ए/ उत्तराखण्ड, 2007 दिनांक 14–04–2007, जिसमें 585 आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये थे। इस आन्दोलन में हजारों–हजार की संख्या में मातृ शक्ति, छात्र शक्ति, युवा शक्ति शामिल थी, उसमें कार्यवाही होती रही और मौजूदा लिस्ट जो सरकार ने जारी की है उसमें मात्र 78 व्यक्ति हैं और उसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हैं, जिस दिन यह आन्दोलन चल रहा था, वह उस दिन फौज में सर्विस कर रहे थे। उसके बाद वह रिटायर हुए, उस आन्दोलन से उनका कोई लेना–देना नहीं था, लेकिन वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उन्हें प्रमाण–पत्र दे दिया गया है कि वे आन्दोलनकारी हैं। मान्यवर, जो आदमी सर्विस कर रहा था, उसको भी इन्होंने आन्दोलनकारी बना दिया है और जो वास्तव में उस आन्दोलन में शरीक थे, चाहे भूतपूर्व सैनिक हों या मैं, मेरे खिलाफ तो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी मैंने जमानत करवाई है, 40 दिन भूमिगत रहने के बाद।

मेरा भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। मान्यवर, मुझे लगता है कि गोपाल सिंह पुत्र श्री तेज सिंह लिखा है। पता नहीं मैं हूँ, कौन है ? (व्यवधान) मेरा भी नाम उसमें संभवतया नहीं है। अगर है तो किसी गलत नाम से होगा। गोपाल सिंह तो कई इसमें हैं, माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल सिंह कई हैं, लेकिन वल्दियत गड़बड़ है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपको कौन नहीं पहचान रहा, आप इतने बड़े आन्दोलनकारी हैं।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, गोपाल सिंह पुत्र करन सिंह होना चाहिए था, लेकिन इसमें गोपाल सिंह तो कई हैं। एक गोपाल सिंह, तेज सिंह भी है, कई तीन–चार गोपाल हैं। वास्तव में मेरा नाम इसमें नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो व्यक्ति आप ही हैं जिसका इसमें नाम लिखा हुआ है। अगर आपको अपने पर कोई संदेह है तो उस संदेह को दूर कर लें।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, वो तो माननीय मंत्री जी बताएंगे, सरकार बतायेगी। पिता का नाम गड़बड़ है। ये भी सूची अभी जारी की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, पत्र संख्या एस0सी0 उत्तराखण्ड, 2009 दिनांक 9–8–2009 की एक सूची जारी की गयी है। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मात्र जो उनके अपने नजदीकी थे, उनका लिस्ट में नाम जोड़ दिया, जिनका उस आन्दोलन से कोई लेना–देना नहीं था और आज भी वहाँ की हमारी महिलाएं, वहाँ की मातृशक्ति, वहाँ के भूतपूर्व सैनिक, वहाँ के छात्र, वहाँ के युवक आन्दोलनरत हैं और माँग कर रहे हैं कि जो वहाँ मौजूद थे, उस आन्दोलन में शरीक थे, जिन्होंने पूरी तरह से सक्रिय रूप से भाग लिया, हमारा नाम उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है। कभी–कभी माननीय मंत्री जी वहाँ पहुँच जाते हैं, माननीय प्रकाश पन्त जी, तो उनका घेराव होता है, उस आन्दोलन की महिलाओं के आक्रोश को देखा भी है उनको पता है। आप भी गये थे, आपके सामने भी हमारी राजस्व मंत्री जी, दिवाकर भट्ट जी भी गये हैं, उनको भी खरी–खोटी सुननी पड़ी थी। तो बहुत दिनों से माननीय अध्यक्ष जी, मामला चल रहा है। मेरा कहना है माननीय अध्यक्ष जी, कि एक साफ तस्वीर उभर

कर सामने आये कि कौन आन्दोलनकारी थे। उसमें जो एल0आई0यू0 की जो रिपोर्ट है उसमें जो दिशा निर्देश, जो गाईड लाईन्स दी गयी हैं, उसमें स्पष्ट नहीं दिया है कि किन मानकों पर आन्दोलनकारी चिन्हित किये जाएं। तो इस तरह सरकार का एक स्पष्ट निर्देश जाए, एक मानक तय हो जिससे कि वास्तव में जो आन्दोलनकारी हैं, जिन्होंने आन्दोलन में भाग लिया है, जो जेल गये हैं, जो गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, उनको प्रमाण–पत्र जारी होना चाहिए। आज क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, सरकार की तरफ से कई घोषणाएं की जा रही हैं कि हम नौकरी देंगे और हम इतनी सुविधाएं देंगें, पेंशन देंगे तो बहुत बड़ी फेहरिस्त आ रही है। मैं इस गम्भीर विषय पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गोपाल सिंह राणा जी ने खटीमा क्षेत्र के आन्दोलनकारियों से सम्बन्धित, उनके चिन्हींकरण से सम्बन्धित श्रीमन्, यह नियम–58 में सदन का ध्यानाकर्षण से सम्बन्धित सूचना रखी है। माननीय गोपाल सिंह राणा जी के संघर्ष को और खटीमा क्षेत्र के सभी आन्दोलनकारियों के द्वारा किये गये त्याग, तपस्या और बलिदान को राज्य के सभी बाल, वृद्ध नर, नारी भली–भाँति से जानते हैं और इस राज्य आन्दोलन के दौरान श्रीमन्, हम सब लोग जानते हैं कि जनपद ऊधम सिंह नगर में 7 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे, 7 आन्दोलनकारियों की मौत हुई थी, वे शहीद हुए थे और कई आन्दोलनकारियों को विभिन्न जेलों में, विभिन्न धाराओं में निरूद्ध किया गया था। राज्य बनने के उपरान्त ऐसे सभी आन्दोलनकारियों, जिन पर उत्पीड़नात्मक कार्यवाही हुई थी, या जिनकी शहादत हुई थी मान्यवर, राज्य के गठन के उपरान्त यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे सभी आन्दोलनकारियों के परिजनों को, जो शहीद आन्दोलनकारी हैं उनके परिजनों को उचित सहायता श्रद्धासुमन के रूप में दी जाय। इसी के तहत मृत व्यक्तियों के परिजनों को 11 लाख रुपये प्रति परिवार, घायल व्यक्तियों को 25 हजार रुपया प्रति व्यक्ति और जेल में निरूद्ध व्यक्तियों को 5 हजार रुपया प्रति व्यक्ति के रूप में आर्थिक अनुदान दिया गया। उसके बाद 22 अक्टूबर, 2008 को हमारी सरकार ने एक शासनादेश निकाला उसके तहत राज्य के सभी आन्दोलनकारियों को सम्मान दिये जाने के उद्‌देश्य से उनको परिचय–पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया निर्धारित हुई और चिन्हीकरण के पाँच प्रमुख आधार रखे गये, पहला आधार तो एल0आई0यू0 की रिपोर्ट थी, आन्दोलन के दौरान जिन–जिन आन्दोलनकारियों की गतिविधियों के नाम अंकित थे उनको स्वतः उनके आवेदन–पत्र के साथ प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई। दूसरा आधार पुलिस की डेली डायरी।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, भट्ट जी को प्रमाण–पत्र दिया गया ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, दिवाकर भट्ट जी को कौन नहीं पहचानता, उन्हें फील्ड मार्शल की पदवी राज्य की जनता ने दी है, इससे बड़ा प्रमाण–पत्र और क्या होगा। मान्यवर, जिन्होंने आन्दोलन के दौरान जितना अधिक त्याग, तपस्या और बलिदान किया, उनमें दिवाकर भट्ट जी की गिनती है। लेकिन जितना त्याग उन्होंने किया, उन्होंने अपना परिवार खो दिया और भी अनेकों उत्पीड़न उन्होंने सहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने कहा नर नारी अवगत हैं, उसके अलावा और अवगत नहीं हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाल, वृद्ध, नर और नारी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इन्हें भी इसमें सम्मिलित कर दीजिए।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाल, वृद्ध, नर, नारी और किशोर।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नारायण पाल जी, आप भी इनके साथ सम्मिलित होना चाहते हैं ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, बाल, वृद्ध, नर, नारी, नारायण और किशोर हो गये सम्मिलित।

श्रीमन्, जो दूसरा आधार था चिन्हीकरण का, वह पुलिस के अन्य अभिलेख जैसे डेली डायरी का अंश, डेली डायरी में पुलिस क्षेत्र के अन्तर्गत गतिविधियाँ अंकित होती हैं वह भी इसका आधार रखा गया। अगर आन्दोलनकारियों के विरूद्ध कोई एफ0आई0आर0 उस समय कायम हुई है उसको भी जिस रूप में दर्ज हुई हो, उसको भी इसका आधार रखा गया। चौथा आधार यदि आन्दोलनकारी चिकित्सालय सम्बन्धी रिपोर्ट दिखा देते हैं अपने आवेदन के साथ तो इसको भी मानक में स्थान दिया गया, इसके साथ एक छूट यह भी दी गई जो पाँचवा आधार रखा गया वह यह कि ऐसे अन्य अभिलेख जिनको वह सूचना के साथ प्रस्तुत करते हैं। उसकी प्रमाणिकता की जिलाधिकारी द्वारा पुष्टि की जाती है। तो यह पाँच आधार आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण के रखे गये हैं।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, रजनी रावत जी उत्तराखण्ड की बहुत बड़ी आन्दोलनकारी हैं और हमारी पार्टी की हैं। माननीय मंत्री जी ने नर–नारी का जिक्र किया है।

श्री अध्यक्ष–

कह तो दिया कर देंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, खटीमा क्षेत्र के जिन आन्दोलनकारियों का उल्लेख माननीय सदस्य राणा जी ने किया। मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि आन्दोलनकारियों की चिन्हीकरण की प्रक्रिया सतत् चलने वाली प्रक्रिया है और अभी कोई इसकी अन्तिम तिथि निर्धारित नहीं हुई। इसलिए ऐसा संशय करना जैसा कि आपने अपनी सूचना दी है कि मात्र 78 आन्दोलनकारियों को ही चिन्हित किया गया है। श्रीमन्, गुण–दोष के आधार पर सभी आवेदन–पत्रों का निस्तारण होगा। यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है, सरकार स्वयं गम्भीर है। इसलिए इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गोपाल सिंह राणा और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद इसे मैं अग्राह्य करता हूँ।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय गोपाल सिंह राणा जी का नाम है या नहीं ? और मेरा ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इनका नाम तो सूची में होगा ही फिर भी मैं परीक्षण करवा लूँगा। आपका तो होगा ही। आप भी आन्दोलनकारी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तो स्वयं में अपने आप में प्रमाण–पत्र हैं। आपको आईडैन्टिटी देने की आवश्यकता क्या है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण में भेदभाव किया जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको प्रमाण–पत्र निर्गत किये जा रहे हैं, दूसरी विपक्षी पार्टी का कार्यकर्ता है तो प्रमाण–पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह आरोप निराधार है। चूँकि जिलाधिकारी के स्तर पर इसका निस्तारण होता है जो भी आवेदन–पत्रों के साथ पाँच प्रमाण–पत्रों में से कोई भी प्रमाण–पत्र जिलाधिकारी के यहाँ प्रस्तुत करे। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, राजनीतिक द्वेष के कारण प्रमाण–पत्र देने में भेद–भाव बरता जा रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यदि कोई स्पैसिफिक जानकारी हो तो वह उपलब्ध करा दें, परीक्षण करा लूँगा।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह आन्दोलन उत्तराखण्ड के लिए हो रहा था तो जो लोग उसमें ढोल और अन्य वाद्य यन्त्र बजाने का काम कर रहे थे, लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिए काम करते थे उन्हें एक प्रमाण–पत्र नहीं दिया गया। वे चूँकि दलित समाज के या गरीब लोग थे इसलिए।

श्री अध्यक्ष–

सूचना अग्राह्य हो गई है। अब यह बात खत्म हो गई। अब ये क्यों आप कह रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने आवेदन करने के मानकों से सदन को अवगत करा दिया है, जो उन मानकों में आयेगा उसे चिन्हित किया जायेगा।

श्री शहजाद–

मान्यवर, सरकार से उम्मीद तो है नहीं कि ये ढोल बजाने वालों को भी देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम–58 में मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, यह मुद्दा सदन में कई बार आ चुका है और सरकार कहने के बाद भी और आश्वासन के बाद भी अमल नहीं करती है। मान्यवर, हमें दोबारा सदन में यह मुद्दे उठाने पड़ते हैं और कई बार इस सदन में उठाते रहे हैं, फिर भी सरकार गम्भीर नहीं है। मान्यवर, मैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बात कर रहा हूँ, जो उनका बैक–लॉग लागू है वह प्रदेश में कई हजार की संख्या में है। उस पर सरकार की नीयत साफ नहीं होती है। मान्यवर, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको इस बैक–लॉग के माध्यम से रोजगार दे सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, वह उनका अधिकार है, सरकार बैग बैक–लॉग भरने का काम नहीं कर रही है और न ही बजट में इसकी व्यवस्था की कि हम उसको भरेंगे। मान्यवर, कई बार यह मुद्दा आ चुका है। हम चाहते हैं कि इस पर सरकार ठोस निर्णय लें क्योंकि बार–बार सदन का टाईम वर्बाद होता है हम उसी मुद्दे पर बोलते रहते हैं। मान्यवर, कई मुद्दे ऐसे होते हैं, जिसमें सरकार

आश्वासन देती है और उन पर कारगर कदम नहीं उठाये जाते हैं। मान्यवर, आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ सरकार से, जो बैक–लॉग है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का, इस पर ठोस निर्णय सरकार ले, जिससे हमारे प्रदेश में जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके हित में अच्छा रहेगा। यह कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, मैं अपने आप को भाई श्री शहजाद जी के साथ सम्बन्द्ध करता हूँ। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से उम्मीद तो की नहीं जाती है, लेकिन आप ही सरकार की तरफ से इस विषय पर आश्वासन दे दें की इस पर कार्यवाही होगी। मान्यवर, इस पर टाईम बॉन्ड कर दें कि 1 माह में, 6 माह में या साल भर में, जो यह बैक–लॉग खाली पड़ा है, उसको पूरा करा दें। मान्यवर, सरकार का इसमें क्या खर्च हो रहा है ? यह विषय भारत सरकार से भी नहीं लेना पड़ रहा हैं, यह उत्तर प्रदेश में भी पूरा हो गया है। मान्यवर, प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, बैक–लॉग अज तक किसी ने पूरा नहीं किया। मान्यवर, जो दलित समाज के लोग हैं उनको दो रोटी खाने को मिल जाय या जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार मिल जाय, कोई व्यवस्था यह सरकार नहीं कर रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के सारे विभागों में यह पद खाली पड़े हैं, वे पद आज तक भरे नहीं गये। आज यहाँ दस साल सदन को चले हुए हो गये हैं जहाँ हम बैठे हैं। मान्यवर, मेरा मानना है सारे सदन से, चूँकि इधर भी हमारे दलित समाज के लोग हैं, जो पीड़ित हैं, अगर चाहें तो इस सदन में पूरे लोगों से चर्चा करा ली जाय और चर्चा करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि सरकार कहे की हम एक माह में या 6 माह में यह काम कर लेंगे, इस प्रकार से सरकार बाँड कर ले। धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं अपने आपको नेता दल बसपा श्री शहजाद जी और विधायक हरिदास जी से सम्बद्ध करते हुए, मान्यवर, विशेष रूप से उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति सरकार, जब से इस प्रदेश का निर्माण या गठन हुआ है, तब से तीन सरकार आ गयी हैं। मान्यवर, तीनों सरकारों ने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है। जबकि यह विषय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के मौलिक अधिकार का विषय है आरक्षण का, यह हमें हर हाल में मिलना चाहिए। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा भी समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते है। और अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा भी प्रत्येक प्रदेश में जाकर समीक्षा की जाती है और सरकार को निर्देशित किया जाता है कि आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पदों पर विशेष अभियान चलाकर भर्ती करें, जिससे कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनका जो हक है या अधिकार है वह उनको मिलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस प्रदेश में है माननीय अध्यक्ष जी, कि बहुत से पदों पर संविदा के रूप में अधिकारी और कर्मचारी को यहाँ रखा जाता है और जब अनुसूचित जाति के लोगों को रखने की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि संविदा पर कोई प्रावधान आरक्षण का नहीं है।

मैं कहना चाहता हूँ कि जब आप संविदा में रख रहे हैं तो क्यों नहीं इसमें भी आप हमें हिस्सेदारी देते हैं। आप उसमें कह देते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। बहुत से विभाग ऐसे हैं जिसमें संविदा पर कर्मचारी को रखा गया लेकिन वहाँ हमें वंचित कर दिया गया। कुछ पदों पर तो यहाँ तक है कि अनुसूचित जाति के पदों पर सामान्य जाति के लोगों की भर्ती कर दी जाती है। विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ जो सबसे बड़ा जो नौकरी देता है पूरे उत्तराखण्ड के लोगों को लोक सेवा आयोग, जिसमें 4 पद हैं उन चारों पदों में कम से कम 1 पद पर अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए उस आयोग में, जो पहले भी रहा है, पिछली सरकारों में भी रहा है लेकिन दुर्भाग्य है माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार में अनुसूचित जाति का लोक सेवा आयोग में एक भी सदस्य नहीं है। सारे पद जनरल लोगों से भर दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस प्रकार का कृत्य यह सरकार करती है तो निश्चित रूप से दलित और अनुसूचित जाति के लोगों पर कुठाराघात है। उनके साथ धोखा है, उनके साथ बेईमानी है कि जो उनका हक है उसको नहीं मिल पा रहा है। बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनमें अनुसूचित जाति के सभी पद खाली पड़े हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक पूरे उत्तराखण्ड में लगभग 8 हजार पद खाली हैं जिनमें बैक-लॉग भरा जाना है।

अभी माननीय अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री काम्ले जी 29 जनवरी, 2010 को उत्तराखण्ड में समीक्षा के लिए आये थे। उस दौरान भी यह मामाला उठा था और कहा गया था। उसमें बताया गया था कि सेवा में आरक्षण की स्थिति से स्पष्ट हुआ है कि सभी सेवा समूह में संयुक्त रूप से अभी 8 हजार से ज्यादा अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं तथा किसी भी विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाए जाने की सूचना नहीं है। विभागीय नियुक्ति अधिकारी के स्तर पर रोस्टर रखने की प्रक्रिया भी नहीं हो पायी है। चूँकि आरक्षित रिक्त पदों पर भर्ती हेतु प्रतिबन्ध का नियम लागू नहीं होता है। माननीय आयोग द्वारा सूचित किया गया कि राज्य सरकार आरक्षित पदों को भरने के लिए विशेष अभियान चलाए और समयबद्ध कार्यवाही करते हुए आयोग को सूचित करे। यह 20 जनवरी, 2010 को माननीय अनुसूचित आयोग द्वारा निर्णय लिया गया और उसमें सचिव, समाज कल्याण विभाग द्वारा यह आश्वसन किया गया, सरकार के मंत्री भी उसमें उपस्थित थे और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे और इसका लिखित में जारी किया हुआ कार्यवृत्त है इसमें यह कहा गया है कि हम 1 महीने के अन्दर इन सभी बिन्दुओं

पर कार्यवाही कर आपको सूचित कर देंगे। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि जनवरी से अब तक तीन महीने हो चुके हैं किसी भी विभाग द्वारा काई विज्ञप्ति जारी नहीं की गयी है और न कोई ऐसा संदेश सरकार से मिल रहा है कि विशेष अभियान चलाकर अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षित पद भरने का काम यह सरकार करेगी। निश्चित रूप से यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए दुर्भाग्य है।

अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जिन्होंने इसमें सहयोग किया था उत्तराखण्ड बनने के बाद उन्हें यह आशा थी कि हमें भी नौकरी मिलेगी। जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास रोजी रोटी का कोई जुगाड़ नहीं है वे लोग आज प्रतीक्षा में हैं कि सरकार कब विशेष अभियान चलाए और कब हमें नौकरी दे और कब हम नौकरी प्राप्त करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। लेकिन यह सरकार किसी भी प्रकार से चिंतित नहीं है। विभिन्न विभागों द्वारा, अभी जल संस्थान विभाग के द्वारा इसी सदन में पिछले सत्र के दौरान यह मामला उठा था और माननीय मंत्री जी द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि यह जो पद 11 सौ हैं इन पर अतिशीघ्र कार्यवाही कर देंगे, इन पर भर्ती का काम अतिशीघ्र कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई विज्ञप्ति और ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। अन्य विभाग भी बहुत से ऐसे हैं जिनमें यह नहीं हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस उत्तराखण्ड में अनुसूचित जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो हक उन्हें मिलना चाहिए वह उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर नियुक्ति की जाती है, प्रमोशन किये जाते हैं तो उसमें पद खाली होंगे और नीचे के पद खाली होंगे तो उसमें नीचे नये लोगों की नियुक्ति होगी और ऊपर के पदों पर भर्ती की जा सकती है, लेकिन उनको प्रमोशन समयबद्ध नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से शिक्षा विभाग में 26 पद ए0डी0 के हैं लेकिन एक भी पद पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं है, जे0डी0 के 5 पद हैं, पर शिक्षा विभाग में शून्य हैं, इस प्रकार से अन्य बहुत से पद हैं जिन पर अनुसूचित जाति के लोगों को नहीं रखा जा रहा है, संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है और हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि लोक निर्माण विभाग में भी कुछ इंजीनियर लोगों को समयबद्ध प्रमोशन नहीं दिया गया, यदि प्रमोशन दिया जाता तो नीचे के पद खाली हो जाते तो उन पदों पर नये लोगों की नियुक्ति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। पूरे विभाग में इसकी समीक्षा होनी चाहिए, अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति सरकार का दायत्वि बनता है और सरकार का दायित्व इसलिए बनता है कि यह हमारा मौलिक अधिकार है, आरक्षण हमारा मौलिक अधिकार है, यह हमें मिलना चाहिए, इसे हम हर हाल में लेकर रहेंगे। आपके माध्यम से यह बात सरकार से कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों में बहुत ही रोष है कि उत्तराखण्ड में हमारी उपेक्षा की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ,

कि इस अति लोक महत्व के विषय पर सरकार आज ही तत्काल यह निर्णय ले कि हम बैक–लॉग समयबद्ध तरीके से भरेंगे। धन्यवाद

*हाजी तस्लीम अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 पर माननीय नेता दल श्री शहजाद, माननीय विधायक श्री हरिदास, श्री सुरेन्द्र राकेश से अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ, इस पर चर्चा तो बहुत कुछ हो चुकी है, अभी अनुसूचित जाति जनजाति के बैक–लॉग भरने की बात आई है और बताया है कि उत्तराखण्ड में लगभग 8 हजार पद ऐसे हैं जो अभी खाली हैं तो आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि सभी विभागों में कितने पद ऐसे हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों की क्या तादाद है और जो पद खाली हैं उसे सरकार कब तक पूरा कर देगी, मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ।

*समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री हरिदास, हाजी तस्लीम अहमद जी ने आरक्षण का बिन्दु नियम–58 में उठाया, आपकी पीड़ा जायज है, हम स्वीकार करते हैं। मगर दो प्रकार से भर्तियाँ, दो प्रकार से नियुक्तियाँ दी जाती हैं। पहला बिन्दु तो यह है कि लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किया जाना, 4 हजार पद का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, कार्यवाही प्रगति पर है और लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती होनी है। दूसरा बिन्दु लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर जिन पदों को भरना है उन पदों को भरने के लिए सभी विभागों को निर्देशित किया है और विशेष अभियान, मेरा अभियान सुन लें।

श्री हरिदास–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग में कितने पद दिये हैं ?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, चार हजार पद हैं।

श्री हरिदास–

मान्यवर, लोक सेवा आयोग में जो पद हैं वो भर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, इसका परीक्षण करवा लेंगे। आप मेरे संज्ञान में बात लाए हैं तो आपकी बात का संज्ञान लेते हुए सरकार उस पर कार्यवाही करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

श्री नारायण पाल जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। आपकी बात का संज्ञान नही लिया जायेगा। (व्यवधान)

मैं माननीय श्री शहजाद, माननीय हरिदास, (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री शहजाद–

मान्यवर, अभी उत्तर नहीं आया है, क्या समय दे रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उत्तर क्या नहीं आया, यह बताईये। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, 27 प्रतिशत ओ0बी0सी0 आरक्षण को लेकर, यहाँ पर सारे छात्र सड़कों पर आ गये थे। उत्तराखण्ड आन्दोलन की मेन जड़ 27 प्रतिशत ओ0बी0सी0 आरक्षण थी। मान्यवर, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी, आप संविधान से ऊपर नहीं हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

माननीय शहजाद जी, आप क्या चाहते हैं, बता दीजिए।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह बता दें कि एक महीने–दो महीने, छः महीने कितने महीने में पद भरे जायेंगे ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संविदा पर भर्ती हो रही है उनमें आरक्षण होगा या नहीं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों की पीड़ा को हमारी सरकार महसूस करती है। हमारी सरकार विशेष अभियान चलाकर इनको भरेगी। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शहजाद, माननीय हरिदास, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी तथा हाजी तस्लीम अहमद को और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ। (घोर व्यवधान के मध्य)

अब हम उठते हैं 3:00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर पुनः चर्चा कराये जाने की माँग

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 की सूचना है। अल्मोड़ा के अन्दर कल बहुत भीषण अग्निकांड हुआ है। (व्यवधान) लोगों की सम्पत्ति को बचाया जा सकता था, लेकिन फायर बिग्रेड के बिलम्ब से आने के कारण बहुत क्षति हुई। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, दोनों महत्वपूर्ण मामले हैं, आपके निर्देश हो जाएं। एक अनुसूचित जाति के बैक–लॉग के सम्बन्ध में और दूसरा, अल्मोड़ा में अग्निकांड हुआ है। बहुत तात्कालिक घटना है, भीषण अग्निकाण्ड हुआ, 62 कमरों का मकान जलकर खाक हो गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका इसमें विनिश्चय हो जाय।

('वेल' में खड़े माननीय सदस्य अपनी बात कहते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) बता तो दिया। आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि कोई विशेष अभियान नहीं चलाया गया। उन्हीं बातों को ध्यान में रहते हुए माननीय मंत्री जी ने कहा कि विशेष अभियान चलाया जाएगा। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उत्तरित किया कि जो रिक्त पद हैं, बैक–लॉग भरने के लिए विशेष अभियान के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। (व्यवधान) 4000 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है, उन पर लोक सेवा आयोग भर्ती करेगा और जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर हैं, उनके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। (व्यवधान) शीघ्र से शीघ्र करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय शहजाद जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आप खुद इस बात को कह रहे हैं कि विशेष अभियान नहीं चलाया गया। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उन्होंने नहीं किया, इसीलिए तो जनता ने हमको चुनकर यहाँ भेजा है। (व्यवधान) वे सारे काम करेंगे जो 6 साल पहले नहीं हुए। (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, पन्त जी कह तो रहे हैं कि 2012 के बाद हम लोग कर देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, विशेष भर्ती अभियान चलाएंगे और जितना बैक–लॉग है, उसको भरने का प्रयास करेंगे। (व्यवधान) इस वित्तीय वर्ष में विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से करना प्रारम्भ कर देंगे।

('वेल' में खड़े बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर चले गये।)

*श्री मनोज तिवारी–

मान्यवर, बहुत तात्कालिक मामला है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं कौन सा मना कर रहा हूँ कि तात्कालिक नहीं है। बैठिए तो। आज 2:58 बजे नियम–310 के अन्तर्गत माननीय मनोज तिवारी, माननीय रणजीत रावत, माननीय गोविन्द सिंह कुंजवाल जी, माननीय मयूख महर और माननीय महेन्द्र सिंह माहरा द्वारा नियम–310 की सूचना दी गयी है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि अल्मोड़ा नगर में दिनांक 24–03–2010 को लगभग 04:00 बजे बक्सी खोला में हेम जोशी, नवीन चन्द्र जोशी, भैरव दत्त जोशी, मोहन चन्द्र जोशी, कैलाश चन्द्र जोशी के मकान में भीषण आग लग गई। जिस वजह से उस पूरे मकान में रह रहे पाँचों परिवारों का सामान पूरी तरह जल कर राख हो गया, माननीय मंत्री जी।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसकी जानकारी मंगवा लेता हूँ और उससे सदन को अवगत करा देता हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश में शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत प्राप्त सूचना को मैंने नियम–58 में परिवर्तित किया है। माननीय नेता प्रतिपक्ष इस पर आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचना आपके द्वारा विनिश्चय के माध्यम से नियम–58 में परिवर्तित की गई और उसकी ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ।

मान्यवर, यह केवल मेरी पीड़ा नहीं, केवल प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की पीड़ा नहीं है, यह इस सदन की ही पीड़ा नहीं है, यह पूरे उत्तराखण्ड के लोगों की पीड़ा है। अभी किसी एक मुद्दे पर माननीय विधायक श्री ओम गोपाल जी के साथ मेरी बात हो रही थी, तो जिस समय उत्तराखण्ड का आन्दोलन चल रहा था, मैं उस समय उत्तर प्रदेश में विधायक था। इस राज्य के आन्दोलन के जन आन्दोलन में बदलने के पीछे जो मकसद था, क्योंकि राज्य की लड़ाई तो बहुत लम्बे समय से चल रही थी। लेकिन अचानक 1994 में 50–50 साल की लड़ाई एक वृहद जन आन्दोलन का रूप इसलिए ले पाई क्योंकि तत्कालीन सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण को लागू करने की घोषणा की तो एक माहौल उत्तराखण्ड में बना कि अब हमारे बच्चे स्कूलों में नहीं पढ़ सकेंगे, हम लोगों को नौकरियाँ नहीं मिल पायेंगी। तो उस आन्दोलन की देखा–देखी, जब उत्तराखण्ड के लोगों

को यह लगा कि हमारे हित उत्तर प्रदेश में नहीं हैं, हमें अपने अलग राज्य के लिए संघर्ष करना चाहिए। तब वह आन्दोलन उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलन में परिवर्तित हो गया और उसी संघर्ष और बलिदान के बलबूते पर यह उत्तराखण्ड राज्य बना। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आज भी याद है कि 2 सितम्बर, 1994 को पौड़ी में उत्तराखण्ड की ऐतिहासिक रैली हुई थी। उत्तराखण्ड के इतिहास में इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी, उस रैली में लगभग 2 लाख से अधिक लोग थे, जब कि पौड़ी की जनसंख्या 20 हजार है, वहाँ पर दो लाख लोग इकट्ठा हो गये। तो इसके पीछे यह भावना थी कि हमारा अपना राज्य बनेगा और हमारे हाथ को काम मिलेगा। सबके मन में एक बात थी कि राज्य बनने के बाद हमारे नौजवानों के हाथों को काम मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगारों की समस्या को माननीय सदन के सामने उठाने का जो हमने काम किया है, केवल 3 वर्षों से नहीं, पिछले 10 वर्षों से इस सदन के सम्मुख, कोई भी सत्र ऐसा नहीं जाता है, किसी न किसी नियम के तहत या किसी प्रश्न के माध्यम से यह विषय सदन के सम्मुख नहीं आता हो। मान्यवर, जब से यह सरकार आई है, हमारे द्वारा हर सत्र में किसी न किसी नियम के तहत यह सवाल उठाया जाता है। आज चाहे धारचूला हो, काशीपुर हो, पिथौरागढ़ हो, रूद्रपुर हो, ऋषिकेश हो, पौड़ी हो, चाहे हरिद्वार हो, प्रशिक्षित बेरोजगार अपनी माँगों को लेकर धरने और प्रदर्शन कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रशिक्षित बेरोजगारों का एक प्रतिनिधि मण्डल मुझको उत्तरकाशी में बड़कोट में मिला था। मैंने उनसे पूछा कि भाई जब भी विधान सभा सत्र होता था, तुम्हारे धरने–प्रदर्शन होते थे। इस बार तुम्हारे धरने–प्रदर्शन अपने रोजगार की माँग को लेकर नहीं हो रहे हैं। तो सरकार ये खुश हो सकती है, सरकार को लगता होगा कि सारी समस्याओं का समाधान हो गया इसलिए प्रशिक्षित बेरोजगारों के धरने–प्रदर्शन बन्द हो गये, लेकिन सच्चाई अलग है माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने हमसे कहा रावत जी, हम धरने–प्रदर्शन करते–करते इतने निराश हो गये हैं कि हमको अब आशा की कोई किरण इस सरकार से नहीं दिखाई दे रही है। अब माननीय अध्यक्ष जी, बी0एड0 कॉलेज हमने खोल दिये। अब ये सरकार कह सकती है कि पिछली सरकार ने खोले। हर साल बी0एड0 कॉलेज हमने खोले, पॉलीटेक्निक हमने खोल दिये, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिये हैं, मैनेजमेंट कॉलेज खोल दिये हैं, खुलने चाहिए। अपने प्रदेश के नौजवानों को व्यवसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, हो भी नहीं सकता है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 2–2 लाख रुपया खर्च करके, 5 लाख रुपया खर्च करके, 10 लाख रुपया खर्च करके, बैंक से लोन लेकर, अपनी माँ के, बहनों के, भाभियों के गहने बेच करके इन व्यवसायिक इंस्टीट्यूट से बी0एड0 की डिग्री, एम0बी0ए0 की डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, एम0बी0बी0एस0, बी0ए0एम0एस0 की डिग्री हमारे उत्तराखण्ड का नौजवान अर्जित कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब बच्चा बी0टेक0 में एडमिशन लेता है, बी0एड0 में एडमिशन लेता है तो माँ–बाप खुशी–खुशी ये सोच करके कि जितनी सम्पत्ति मेरे पास है अगर उसको बेच कर भी हम अपने बच्चे को बी0एड0 करा सकते हैं तो माँ–बाप बी0एड0 कराने को कोशिश करते हैं, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब बी0एड0 करने के बाद डिग्री लेने के बाद ये मालूम है अभिभावक को कि हम अगर एकेडमिक डिग्री दिला रहे हैं, बी0ए0 की डिग्री, बी0एस0सी0 की, बी0काम0 की, एम0ए0, एम0काम0 की, एम0एस0सी0 की डिग्री दिला रहे हैं तो अभिभावक अब ये जानने लगा है कि एम0ए0 करने से, बी0ए0 करने से, बी0एस0सी0 करने से रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन जब वो व्यावसायिक डिग्री दिलाता है तो उसकी एक आशा की किरण, जो अविवाहित बहन होती है, उसके मन में भी होता है कि मेरा भाई नौकरी में लग जायेगा तो मेरी शादी के लिए कोई व्यवस्था हो सकेगी। छोटे भाई होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बड़ा भाई नौकरी में लगेगा, अगर वो हाई स्कूल में होते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमारा भाई बी0एड0 करने के बाद टीचर बन जायेगा, इंजीनियर बन जायेगा, जूनियर इंजीनियर बन जायेगा, फार्मासिस्ट बन जायेगा तो निश्चित रूप से मैं इण्टर कर सकूँगी, मैं इण्टर कर सकूँगा। एक आशा की किरण बच्चों के मन में भी और अभिभावक के मन में भी जग जाती है, लेकिन वो आशा की किरण कब बुझती है माननीय अध्यक्ष जी, जब डिग्री लेने के बाद ये बच्चे नौकरी के लिए सोचते हैं।

मैं मानता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, कि रोजगार की समस्या केवल उत्तराखण्ड के सामने नहीं है, ये पूरे हिन्दुस्तान के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया की सरकारें, पूरे देश में भी हमेशा समय–समय पर रोजगार के लिए अभियान चलाये गये, विचार किये गये, नियोजन किया गया, उसके लिए आर्थिक प्रबन्ध किये गये और कोई न कोई रास्ता निकालने की कोशिश हमेशा की गयी। वैसे भी माननीय अध्यक्ष जी, हमारा उत्तराखण्ड सीमान्त प्रदेश है। दो–दो पड़ोसी देश की सीमाएं हमारे प्रदेश से लगी हुई हैं, चाईना की है, नेपाल की है। अब ऐसी स्थिति में जब माँ–बाप ने सब कुछ अपनी सम्पत्ति को लुटवा कर, बेच करके अपने बच्चे को प्रशिक्षित किया है और जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो उस बच्चे के सामने ऐसी स्थिति होती है। हमने बहुत सारे बच्चे यहाँ देहरादून में देखे हैं मान्यवर, जिन्होंने बी0एड0 की डिग्री ली और डिप्लोमा लिया और वह घर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वह घर जाते हैं तो माँ–बाप पूछते हैं कि तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ ? इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बजट भाषण में कहा था कि 60 हजार पद खाली हैं इस प्रदेश के अन्दर सरकारी और अर्द्धसरकारी विभागों में। मैंने बजट भाषण में यह भी कहा था कि लगभग 24739 पद शिक्षा विभाग में शिक्षकों के, बाबुओं के और फोर्थ क्लास के खाली हैं। यह मेरे आकड़े नहीं हैं, यह जो सरकारी गजट है, जो सरकारी सूचना है उसके आधार पर

मैंने यह आकड़े दिये थे। अगर आपके पास पद खाली है, माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान होगा कि वह शिक्षा मंत्री जी जो अब आबकारी मंत्री हैं, शराब मंत्री हैं, आबकारी से लोगों के समझ में नहीं आता है, जो शराब मंत्री हैं, उन्होंने इस सदन के सम्मुख कहा था, माननीय अध्यक्ष जी, ये पदों की रिक्तियाँ हैं जो उत्तराखण्ड सरकार के ये पद खाली हैं, ये मेरे आकड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा था जब हमने नियम–310 के तहत नियम–58 के तहत इसी सदन के सम्मुख यह विषय उठाया था, इन्होंने सदन के अन्दर खड़े होकर कहा था कि हम बहुत जल्दी एल0टी0 की विज्ञप्ति जारी करेंगे और विशिष्ट बी0टी0सी0 की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक उत्तर में कह रहे थे शीघ्र से शीघ्र बैक–लॉग भरने के लिए, तो मुझे माननीय शराब मंत्री जी के शीघ्र में....... (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हमने 12 हजार नियुक्तियाँ की।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह जी, कृपया सीमित करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जो वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी पिछले सत्र में कहा था हम जल्दी विशिष्ट बी0टी0सी0 की नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी करेंगे। अब सरकार यह कह सकती है कि हमने जो बी0टी0सी0 में नियुक्तियाँ, बैच शुरू किया है, मैंने आंकड़े दिये थे, मैं समय नहीं बर्बाद करना चाहता हूँ, पिछले सत्र में आंकड़े दिये थे, आर0टी0आई0 के तहत हमारे पास सूचना थी कि किस जिले में कितने प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, हाई स्कूलों में और इण्टर में एल0टी0, लैक्चरर और अशाकीय विद्यालयों में कितने पद खाली हैं, आपने अपनी बात कही थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि एक लाख से अधिक बी0एड0 धारी प्रदेश में डिग्री लेकर घूम रहे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? जो दस हजार की बात माननीय शराब मंत्री जी कह रहे हैं। मैं माननीय अध्यक्ष जी, कहना चाह रहा हूँ कि जो सारे पद भरने का दावा, वायदा सरकार कर रही है वह कांग्रेस शासन काल में 2005 में विज्ञप्ति निकाली थी और उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, इस सदन को कोई विज्ञप्ति 2007 के बाद उन दस हजार पदों को भरने की विज्ञप्ति यदि सरकार दिखा दे तो मैं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 12 हजार की पूरी नियुक्ति हमने पारदर्शी ढंग से की।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, विज्ञप्ति हमारी सरकार के समय में निकल गई थी, मैरिट लिस्ट बन गई थी, विज्ञान के सब्जेक्ट में नियुक्तियाँ हो गई थीं, इन्होंने केवल जो हमने मैरिट लिस्ट बना दी थी, हमने साइंस के सब्जेक्ट में मेरिट लिस्ट बना दी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय हरक सिंह रावत, कृपया सीमित करें।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल सही है जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, वह बहुत कुछ करना चाहते थे, श्रीमन्, लेकिन कर नहीं पाये।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रदेश के नवजवानों के भविष्य का सवाल है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की नियुक्तियों का कोई कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम है ? मैंने पहले भी कहा था कि हरक सिंह रावत को केवल संतुष्ट करने का सवाल नहीं है, ये इस समय विधान सभा की पीठ को संतुष्ट करने का सवाल नहीं है, सदन को संतुष्ट करने का सवाल नहीं है। आज अगर आपको संतुष्ट करना है तो उत्तराखण्ड के नौजवानों को संतुष्ट करने का सवाल है।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पहले भी आ चुकी है। एक सूचना पर आप बोल चुके हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं किसी सूचना पर नहीं बोला हूँ। आप रिकार्ड देख लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बड़े विस्तार से अपनी बात कही, सारा विषय आ चुका है। समय का ध्यान रखें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, सूचना पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। मान्यवर, वैसे तो हमारे 6 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। अनुमति हो तो अपनी बात को सदन के समक्ष प्रस्तुत करूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में अपनी बात को कहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का अवसर दिया। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो अभी यहाँ पर कहा है उस पर बल देते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा कि उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में इतने अधिक पद रिक्त हैं फिर भी सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यही नहीं इस प्रदेश को जो औद्योगिक पैकेज मिला उसका जो लाभ इस प्रदेश को मिला उसमें यहाँ पर जो इकाइयाँ लगी हैं, पिछली सरकार ने उसमें आदेश किया था कि 10 प्रतिशत यहाँ के बेरोजगारों को काम करने के उन इकाइयों में अवसर दिये जायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। उसमें जो आज स्थिति पैदा हो गई है कि उनमें ठेकेदारों के माध्यम से दो हजार–तीन हजार रुपये प्रतिमाह में नौजवानों को रखा जा रहा है। आज दो हजार–तीन हजार में किसका घर चल सकता है। मान्यवर, यहाँ पर जितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं चाहे वह एन0टी0पी0सी0 चला रही हो या एन0एच0पी0सी0 चला रही हो, या टी0एच0डी0सी0 चला रही हो या चाहे व्यक्तिगत योजनायें हों मान्यवर, वह 70 प्रतिशत का आदेश अगर यहाँ की उन परियोजना पर भी लगू होता मेरी पक्की जानकारी है कि वे जितनी कम्पनियाँ है, और उसमें जो अधिकारी हैं उनके सी0एम0डी0 होते हैं जनरल मैनेजर होते हैं वे अधिकतर कैम्पस सलैक्शन के माध्यम से आते हैं। यहाँ का जो बेरोजगार है, जो प्रशिक्षित बेरोजगार है उसकी अवहेलना करके वहाँ कैम्पस सलैकशन के माध्यम से नियुक्ति की जा रही है।

मान्यवर, हमारी पिछली सरकार ने, जब मैं राज्य मंत्री था और जब विशिष्ट बी0टी0सी0 का प्रकरण आया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और शिक्षा मंत्री के साथ 7500 विशिष्ठ बी0टी0सी0 की नियुक्तियों का एक आदेश एक घण्टे के अन्दर निकलवाया था। आप चाहें तो पत्रावली देख सकते हैं। मान्यवर, इसका असर दो तीन चीजों पर पड़ेगा। एक तो यह कि यहाँ पर जो इतने इंस्टीट्यूट खोल दिये हैं अगली बार तो उनमें ताले लग जायेंगे। जब यहाँ के बेरोजगार को जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो चाहे आप जितने बी0एड0 कालेज खोलें, पालीटैक्निक खोलें, इंजीनियरिंग कालेज खोलें या चाहे फार्मा के कालेज खोलें, अगर उन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वे भी सारे के सारे बेरोजगार हो जायेंगे।

मान्यवर, इसलिए मेरा निवेदन है इस सरकार से, कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए हमारे प्रदेश में जितने पद रिक्त हैं उन पर नियुक्ति करें। अगर वे एन0टी0पी0सी0 पर, टी0एच0डी0सी0 पर, एन0एच0पी0सी0 पर अंकुश नहीं लगा

सकती है तो कम से कम जो अपने अधिकार क्षेत्र में नियुक्तियाँ हैं, उनको संज्ञान में लेते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ कर देनी चाहिए। मान्यवर, चाहे वे बी0टी0सी0 के हों या बी0फार्मा के हों, इंजीनियरिंग के हों, हम तो केवल प्रशिक्षित की बात कर रहे हैं। मान्यवर, जो प्रशिक्षित बेरोजगार नहीं हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनके लिए भी कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों पर बल देते हुए, अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप गुस्सा मत हुआ करें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आप मुस्कारा दिये हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

आप गुस्सा होते हैं तो नेता प्रतिपक्ष खुश हो जाते हैं। यह मामला क्या है ? (हंसी)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय किशोर उपाध्याय जी ने आज इस विषय को सदन के अन्दर अपनी ग्राह्यता पर बोलते हुए रखा। श्रीमन्, शिक्षित और प्रशिक्षित बेरोजगार लोगों के सम्बन्ध में, मैं सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। मान्यवर, अगर हम सम्पूर्ण राज्य का परिदृश्य देखते हैं, जो वर्ष 2007–08 को जो फिगर हमारे पास है, उसके आधार पर जो बेरोजगार नवयुवक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत थे। मान्यवर, वह 4 लाख 84 हजार 450 थे और इस तिथि को जो राज्य में सेवारत् कर्मचारी हैं उनकी संख्या 1 लाख 60 हजार 333 है। श्रीमन्, इस समय जो वर्तमान में सरकार है, जैसा कि पूर्व मंत्री जी ने अपने उत्तर भाषण में बताया। मान्यवर, जो लोक सेवा आयोग के वर्तमान में पद रिक्त हैं, उनमें से विभिन्न विभागों के चार हजार पदों के अधियाचन के लिए लोक सेवा आयोग को कार्यवाही हेतु भेजा गया। श्रीमन्, जो पद लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर हैं, उनके चयन की कार्यवाही सम्बन्धित संवर्गो की समय–समय पर विज्ञापन निकाल करके पारदर्शीय प्रक्रिया के तहत नियुक्ति हो रही है। श्रीमन्, यह हमारी सरकार है जिसने राज्य के अन्दर पारदर्शीय नियुक्ति कायम की और उस प्रक्रिया के तहत आज तक नियुक्तियों में लिखित परीक्षा करने का प्रविधान किया और साक्षात्कार को बिल्कुल समाप्त किया गया है। ताकि जो भी कर्मी चयन करके आये वह बिना किसी सिफारिश के आये और अपनी शिक्षा की योग्यता के आधार पर आये। इस प्रकार सीधी भर्ती में साक्षात्कार को समाप्त किया।

मान्यवर, भर्ती में रोक लगाने का जो विषय कहा, इस तरह का प्राविधान नहीं है। मान्यवर, इससे अलग हटकर विचार करें, जो राज्य के अन्दर बेरोजगार नवयुवक हैं और सरकारी नौकरी में आवेदन करने के बाद भी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे उस चयन प्रक्रिया में सफल नहीं हो पाते या परीक्षा में सफल नही हो पाते हैं। इनके लिए श्रीमन्, हमने यह निर्धारित किया कि जो औद्योगिक आस्थान हैं, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार सुनिश्चित कराये जाने के लिए, यह बात नारायण पाल जी जो बसपा के सदस्य हैं बार–बार कहते हैं कि इसका कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए, हम भी स्वीकार करते हैं। इस अनुपालन को सुनिश्चित किये जाने के लिए हमने सिडकुल को निर्देशित किया है कि वे अपनी इकाई अथवा उद्योग में स्थानीय व प्रदेश के लोगों को 70 प्रतिशत रोजगार एवं सेवायोजन उपलब्ध कराए। शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु हमने जिलाधिकारी द्वारा एक समिति का गठन किया है जिसमें सम्बन्धित उप जिलाधिकारी, क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल, महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, सहायक श्रमायुक्त एवं उप सेवायोजन अधिकारी को नामित किया गया है। मान्यवर, यह समिति सिडकुल द्वारा स्थापित औद्योगिक आस्थानों में स्थापित हो रहे उद्योगों में शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही करती है। श्रीमन्, सिडकुल द्वारा विकसित किये जा रहे विभिन्न औद्योगिक आस्थानों में 28–2–2010 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 60011 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया हैं जिनमें उत्तराखण्ड के कुल 41190 कार्मिक हैं जिनका प्रतिशत 69 है।

श्रीमन्, जहाँ तक प्रश्न आपने शिक्षा विभाग से सम्बन्धित उठाया है, 12 मार्च, 2010 को प्रधानाचार्य के 352 पदों पर प्रधानाध्यापकों की तैनाती और 149 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही गतिमान है और इसी तरह से प्रवक्ता के 3398 पद रिक्त हैं। रिक्ति के सापेक्ष 1404 पर लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है और 1689 पदों पर एल0टी0 से प्रोन्नति की औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं जिनकी मई, 2010 तक तैनाती कर दी जायेगी। श्रीमन्, एल0टी0 के अध्यापकों के वर्कलोड का अध्ययन किया जा रहा है जो माह अप्रैल में पूरा हो जायेगा। उसके बाद इन पर भी नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी। 290 पदों पर विभागीय लिखित परीक्षा से सीधी भर्ती की जा रही है। श्रीमन्, जैसा कि जूनियर हाई स्कूल के सहायक अध्यापकों के 1638 पद हैं उनमे उच्चीकृत जू0हा0 स्कूल से 1544 पद सरप्लस हो गये हैं अतः रिक्ति मात्र 94 रह जायेगी। हम कार्यवाही इसको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। श्रीमन्, सहायक अध्यापक प्राइमरी के 2770 रिक्त पदों के सापेक्ष बी0टी0सी0 के माध्यम से तैनाती की कार्यवाही गतिमान है और अप्रैल 2010 में 2100 में से 1300 बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जायेगा और 3386 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षितों की नियुक्ति की जा चुकी है। श्रीमन्, ये जो आपने प्रशिक्षित बेरोजगारों का विषय कहा उनके लिए हम

किस तरह से योजना पूर्वक कार्यवाही कर रहे हैं यह मैंने सम्मानित सदन को अवगत कराया है। श्रीमन्, जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनके लिए नियमित चयन की प्रक्रिया हुई है। लोक सेवा आयोग की परिधि के 4 हजार पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका है। 70 प्रतिशत ऐसे सभी बेरोजगार जो उद्योगों में काम करना चाहते हैं उनके लिए हमने अनिवार्य आरक्षण वहाँ पर लागू किया है जिसके तहत वे उद्योगों में सेवायोजन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह से हम पूरी तरह से गम्भीर हैं कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हम रोजगार का सृजन करें और यहीं के बेरोजगारों नवयुवकों को रोजगार मिले, इसलिए सूचना अग्राह्य किये जाने योग्य है। (घोर व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आकर अपनी–अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

डा0 हरक सिंह रावत, माननीय श्री किशोर उपाध्याय और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य पूर्ववत 'वेल' में खड़े होकर नारे लगाते रहे।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार नौजवान विरोधी है, रोजगार विरोधी है इसलिए मैं और मेरा दल सदन से वाक वाऊट कर रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये।)

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के माननीय सदस्य सदन में पुनः अपने स्थान पर वापस आ गये।)

वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान की माँग पर चर्चा एवं मतदान

अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास विभाग

संसदीय कार्य एवं पेयजल मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13, जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक

धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7481061 हजार (रुपये सात सौ अड़तालीस करोड़ दस लाख इकसठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, आज पेयजल विभाग के इस बजट को प्रस्तुत करते हुए आपके और सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पेयजल विभाग द्वारा 3 प्रकार से योजनाओं का निर्माण किया जात है जिसमें गुरूत्व आधारित पेयजल योजना, नलकूप एवं पम्पिंग पेयजल योजनाओं का निर्माण, जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण तथा गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत गंगा प्रदूषण नियंत्रण कार्यों का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया है और राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हैं। इसके साथ–साथ योजनाओं का रख–रखाव कार्य भी कार्यदायी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत कुछ मैदानी क्षेत्रों के अति दुर्गम एवं कठिन पर्वतीय क्षेत्र हैं। प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सुधार हेतु सरकार पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से जन सहभागिता के आधार पर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के साथ–साथ स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में समग्र विकास किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2009–10 में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य एवं भारत सरकार द्वारा रु0 29560.54 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया जिसके सापेक्ष रु0 224.62 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अब तक रु0 279.98 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है, इसमें भारत सरकार से सीधे प्राप्त धनराशि भी सम्मिलित है। अब तक रु0 298.63 करोड़ का व्यय करते हुए 938 बस्तियों में पेयजल सुविधा एवं 96 पेयजल विहीन स्कूलों में पेयजल उपलब्ध कराया गया।

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में 783 हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन कार्य किया गया। 552 ग्रामीण एवं 26 नगरीय पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार एवं पुनर्गठन कार्य किया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में 11 मिनी नलकूप एवं 34 नलकूपों को पूर्ण कर पेयजल आपूर्ति में वृद्धि की गयी। ग्रामीण सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत 105002 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया है। पेयजल की कमी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 76 डिग्गियों का निर्माण कार्य किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी लोकप्रिय सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य की पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए निम्न उपलब्धियाँ रहीं :– 938 बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया गया तथा 552 पेयजल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया गया। 783 नये हैण्डपम्पों की स्थापना की तथा 11 मिनी नलकूप एवं 34 नलकूपों का अधिष्ठापन किया।

पेयजल के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु स्थानीय जल स्रोतों पर डिग्गी निर्माण, बेलेन्सिंग जलाशय के निर्माण हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्य किया जा

रहा है तथा स्रोतों के संवर्द्धन हेतु विभिन्न विभागों के सहयोग से वृक्षारोपण, कन्टूरट्रेंच, चैक डैम आदि का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। 76 डिग्गियों का निर्माण कार्य किया गया। स्वर्गाश्रम में 3.00 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट पूर्ण। हरिद्वार में 27 एम0एल0डी0 क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण। देहरादून महानगर में एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से 68 एम0एल0डी0 क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट का कार्य शीघ्र आरम्भ कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2009–10 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत फरवरी, 2010 तक 103938 व्यक्तिगत शौचालय तथा 1064 विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 में आपको सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि इसके अन्तर्गत विभाग की स्वजल परियोजना इकाई को उत्कृष्ठ कार्य हेतु सूचना आयोग द्वारा पुरस्कृत किया गया। भारत सरकार के शहरी मंत्रालय द्वारा रिवर बैंक फिल्ट्रेशन के कार्यों पर वर्ष 2009 में पेयजल विभाग को नेशनल वाटर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है।

श्रीमन्, उपरोक्त के अतिरिक्त ए0डी0बी0 द्वारा प्रदेश के 23 नगरों को पेयजल/जलोत्सारण व्यवस्थाओं की अवस्थापना/विकास हेतु चयनित किया गया है। प्रथम चरण में क्रमशः देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में उपरोक्त व्यवस्थाओं में सुधार हेतु ए0डी0बी0 एवं भारत सरकार के मध्य ऋण अनुबन्ध निष्पादित किया जा चुका है। जिसके अनुसार उत्तराखण्ड पेयजल एवं संसाधन विकास विभाग कार्यदायी संस्था है और हम बेहतर तरीके से कार्य को सम्पादित करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमन्, पिछले कुछ वर्षों से वर्षा ऋतु में प्रदेश में पर्याप्त वर्षा एवं हिमपात न होने के कारण घटते जल स्तर एवं जल संरक्षण की महत्ता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय जल संवर्द्धन मिशन का गठन दिनांक 19 जून, 2007 को किया गया था। इसी प्रकार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी है। राज्य स्तर पर गठित मिशन के मार्ग–दर्शन के अनुसार कार्यवाही करते हुए घटते जल स्रोतों के स्रावों में वृद्धि करने के लिए वन विभाग, पेयजल विभाग, जलागम विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई इत्यादि विभागों द्वारा 221 पेयजल स्रोतों के संवर्द्धन का कार्य किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त द्वितीय चरण में 500 जल स्रोतों के स्रावों को रिचार्ज करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2010–11 में पेयजल एवं जलोत्सारण कार्यों हेतु रु0 350.31 करोड़ का प्राविधान किया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र पोषित पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु प्राविधानित राज्यांश भी सम्मिलित हैं इस धनराशि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में रु0 15.00 करोड़, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हेतु एवं ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत समाज कल्याण प्रकोष्ठ द्वारा अलग से धनराशि पेयजल विभाग को दी जाती है।

ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार के लिए रु0 32.99 करोड़ राज्य सैक्टर ग्रामीण के अन्तर्गत वृहद योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 15.00 करोड़, यात्रा मार्गों एवं यात्रा स्थानों पर पेयजल व्यवस्था हेतु रु0 0.50 करोड़, केन्द्र पोषित योजनाओं पर देय सेंटेज रु0 2.00 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। ग्रामीण जलापूर्ति में रु0 249.66 करोड़ तथा शहरी जलापूर्ति में रु0 31.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। श्रीमन्, सकल क्षेत्र में समरूप नीति स्वैप कार्यक्रम के अन्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर पेयजल योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्त एकल योजनायें दिनांक 01–04–2006 से तथा बहुग्रामी पेयजल योजनाएं दिनांक 30–11–2007 से सकल क्षेत्र में समरूप नीति के सिद्धान्त तथा जनसहभागिता के आधार पर प्रारम्भ की गयी हैं। इन योजनाओं का संकल्पना, आगणन गठन एवं निर्माण कार्य लाभार्थियों की सहमति एवं सहभागिता से किया जाता है। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत रु0 13.60 करोड़ का प्राविधान रखा गया है। वाह्य सहायतित परियोजना के अन्तर्गत स्वैप के आधार पर पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रु0 175.00 करोड़ का प्राविधान है। श्रीमन्, हमने जो इस समय नई पहल की है इसमें हमने रिवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीकी का विस्तार राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के को–आपरेशन सेंटर फॉर रिवर बैंक फिल्ट्रेशन हरिद्वार के सहयोग से किये जाने का निर्णय लिया है, जिसके प्रथम चरण में श्रीनगर, रूद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अगस्त्यमुनि–सतपुली एवं बागेश्वर में यह कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। श्रीमन्, इस समय निश्चित रूप से एक संकट जो राज्य और देश के अन्दर ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व के अन्दर है, वह भू–गर्भीय जल स्तर का घटना है इसको ध्यान में रखते हुए हवा की नमी को शुद्ध पेयजल में परिवर्तित करके वंचित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस हवा से जो हम अभिनव प्रयोग करने जा रहे हैं इसको अटल जल धारा के नाम से प्रस्तावित किया है।

इस वर्ष हम ऐसे गाँवों में जिनमें कोई पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं हैं उसमें हम इस योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। श्रीमन्, इसी तरह से हमने हेल्प लाईन सेवा 1 अप्रैल, 2010 से प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है। इस हेल्प लाईन सेवा के अन्तर्गत हमारे राज्य के अन्तर्गत जितने भी विभागीय कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके टेलीफोन नम्बर, हमारे जो राज्य स्तरीय अधिकारी हैं उनके टेलीफोन नम्बर इन सभी टेलीफोन नम्बरों को प्रचारित–प्रसारित करेंगे, जिसके माध्यम से यह प्रयास किया जायेगा कि कोई भी जनता से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपनी समस्या को सीधे इनसे बता सकता है और उसके माध्यम से वह अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है और समय पर उसका निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा। इसलिए यह जो पेयजल विभाग अति महत्वपूर्ण विभाग है, इसके बजट को स्वीकृति प्रदान की जाय।

*श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उददेश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। माननीय अध्यक्ष जी, जलापूर्ति विभाग का बजट माननीय पेयजल मंत्री जी ने अभी सदन में प्रस्तुत किया और मान्यवर, जो विभाग का नाम अनुदान में लिखा गया है वह जलापूर्ति लिखा गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले सालों में जिस तरह से जल के स्रोत घट रहे हैं, बन्द हो रहे हैं और मैदानी क्षेत्रों में जिस तरह से जल का स्तर घट रहा है, उससे जो हमारी पुरानी पेयजल योजनाएं थीं, वह लगभग 75 प्रतिशत बन्द पड़ी हुई हैं और उनको पुनः संचालित करने की दृष्टि से कोई भी विचार इस बजट में प्रस्तुत नहीं किया गया। माननीय मंत्री जी ने केवल जल संवर्द्धन की दृष्टि से कुछ बातें यहाँ पर रखी हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर पूरे सदन को बहुत ही गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जिस तरह से जल स्रोत बन्द हो रहे हैं, घट रहे हैं। हमारे नदियाँ और नाले सूख रहे हैं। जिन नदियों और नालों में आज से 8–10 साल पहले घराट चलते थे, वहाँ आज पानी की एक बूँद नही हैं। यहाँ तक कि हमारी पवित्र गंगा नदी को भी खतरा हो गया हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण जल संवर्द्धन के विषय में सरकार गंभीर नहीं है तो मैं समझता हूँ कि जलापूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बजट को बढ़ाया जाए। जलापूर्ति बढ़ाने के लिए जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक ध्यान दिया जाय और ठोस नीति बनायी जाय। तो काम गत 3 सालों में जल स्रोतों को बढ़ाने के लिए किये भी गये, वह नहीं के बराबर हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बजट का पूरा दुरूपयोग हुआ है, उसमें पूरा भ्रष्टचार हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि किसी भी पेयजल योजना के जल स्रोत पर जाकर निरीक्षण करें कि वहाँ पर जल के स्रोतों को बढ़ाने की दृष्टि से किसी प्रकार का कोई काम नहीं किया गया है। नाममात्र को ही पेड़ लगाए गये हैं, एक भी पेड़ आपको नहीं मिलेगा। कहीं पर कोई खाल बनाये गये हैं तो ऐसा नहीं लगता कि उसमें कभी पानी रूक सकता है। यहाँ तक कि जल संचय की दृष्टि से जो दूसरे विभाग भी काम कर रहे हैं, वह विभाग भी इस तरह से काम कर रहे हैं, जिससे जल संचय होने के बदले वहाँ के ग्रामीण लोगों को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, तमाम पशु इनमें गिर जाते हैं और मर जाते हैं। यह शिकायत ग्रामीण क्षेत्रों से आ रही है। इसलिए मैं चाहूँगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि इस जलापूर्ति के बजट पर सबसे अधिक जोर, सबसे अधिक बजट जल संचय वाली मद में रखा जाना चाहिए, जिससे हमारे जल स्रोत बढ़ेंगे। हमारे नदी–नालों में पानी आएगा तभी हम जलापूर्ति कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में जो योजनाएं पूर्व मे संचालित थीं, उन योजनाओं में पानी का स्तर घटने से उनमें से 75 प्रतिशत योजनाएं बन्द हो गयी है। साथ में जो नई योजनाएं आप संचालित कर रहे हैं, कुछ नई योजनाएं आपने बनायी हैं, उन योजनाओं को भी विभाग ठीक से नहीं बना पा रहा है। जो योजनाएं स्वेप के माध्यम से बन रही हैं, वह योजनाएं अभी कागजों में ही सिमट गयी हैं। कहीं पर भी कोई विशेष काम उन योजनाओं का नहीं हो पा रहा है। तमाम विवाद जो गाँवों में चल रहे हैं, उससे योजनाएं बन नहीं पा रही हैं। यहाँ तक कि मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जो सरकार है वह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से,उन समितियों में उनको लाने की दृष्टि से वहाँ पर काम ढंग से नहीं होने दे रही है। जो समितियाँ आम सहमति के माध्यम से ग्राम सभा वाले तय करते हैं, अगर इनका कार्यकर्ता उनमें कोषाध्यक्ष या अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है तो उस गाँव में पानी पिलाने के लिए काम नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर ये लोगों को वंचित कर दे रहे हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अपने विधान सभा क्षेत्र का, मल्ला बिनौला गाँव हमारे यहाँ है, जिसकी पूर्व में एक समिति गठित हो चुकी थी, ठीक से लोगों ने समिति गठित करी। उसमें एन0जी0ओ0 का अधिकारी भी था, आपके विभाग के अधिकारी भी गये थे, कमेटी बन चुकी थी। बाद में जब आपको मालूम पड़ा कि हमारा एक मुख्य कार्यकर्ता है, वह कोषाध्यक्ष के पद पर आना चाहता था, लेकिन नहीं आ पाया। इस कारण से आपने आज तक उस गाँव की पेयजल योजना नहीं बनने दी। तो इस प्रकार का पक्षपात और इस प्रकार का दुर्व्यवहार आपके द्वारा योजनाओं के चयन में हो रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसी कमियों को दुरूस्त किया जाय और किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए किसी गाँव को आप लम्बे समय तक प्यासा रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह हम सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से पक्षपात इन योजनाओं में नहीं किया जाना चाहिये। इसके साथ ही एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब विपक्ष के विधायकों का आरोप है कि विपक्ष के विधायकों के क्षेत्र में कोई भी काम सरकार की ओर से किसी भी बिन्दु पर नहीं हो रहा है। लेकिन जो पानी जैसा विभाग है, जिसकी आवश्यकता सभी को पड़ती है, कहा गया है कि जल ही जीवन है, जल के बिना कोई आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है, उसमें भी आप पक्षपात कर रहे हैं, जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र में जल स्रोत घट रहे हैं, ग्रेविटी की योजना नहीं बन सकती है, ऐसे कई गाँव हैं। इसके लिए कांग्रेस की सरकार के समय पूरे उत्तराखण्ड में पाँच पम्पिंग

योजनायें स्वीकृत की गई थीं, इन तीन सालों में वह योजनायें अभी तक भी कागजों में ही घूम रही हैं। उनका अभी तक क्रियान्वयन नहीं किया गया है। मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी उनका क्रियान्वयन किया जाय।

इन पाँच योजनाओं में से 3 योजनायें गढ़वाल मण्डल और 2 योजनायें कुमायूँ मण्डल में और कुमायूँ मण्डल में भी विशेष तौर पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और मैं यह कहना चाहूँगा कि उन योजनाओं में भी जानबूझकर पक्षपात करके, क्योंकि कांग्रेस के विधायक के क्षेत्र में उन पम्पिंग योजनाओं को बनना है, इसलिए उनको रोका जा रहा है। यह मेरा सरकार के ऊपर स्पष्ट आरोप है, अन्यथा क्या कारण है कि यह योजनायें पूर्व में स्वीकार हो चुकी थीं और भारत सरकार ने भी लिखकर दे दिया था कि इसके लिए 50 प्रतिशत पैसा वह देने के लिए तैयार है। उसके बाद भी इस सरकार ने उस पर काम प्रारम्भ नहीं किया और आज उसको स्वैप के माध्यम से तैयार करने का आश्वासन दिया। लेकिन आज तक उसका आगणन शासन के पास तक नहीं पहुँच पाया है। तो ऐसी योजना जिसमें तोक, छोटे–छोटे राजस्व ग्राम मिलाकर 200 से अधिक ग्राम सभायें हैं, उनको सरयू–मेलख–दन्या पम्पिंग योजना से पानी दिया जाना है, इससे पूरे विकास खण्ड को पानी दिया जाना है। अगर वहाँ पर पानी नहीं दिया जाता है तो निश्चित रूप से किसी ग्रेविटी से वहाँ पर पानी नहीं आ सकता है, सारी जानकारियां हासिल कर ली गई हैं, विभाग ने हर स्रोत को ट्रेप करने की कोशिश कर ली है, उसके बाद भी पानी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पम्पिंग योजना की शुरूआत वहाँ पर की गई थी, लेकिन यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार उस योजना के लिए गम्भीर नहीं है, उस योजना को बनाना नहीं चाहती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि इसको गम्भीरता से लेकर इस योजना को बनाने का प्रयास करें। इसी तरह से जो और योजनायें गढ़वाल में हैं, जिनको पिछली बार अमृता रावत जी ने भी जोर देकर कहा था, उन योजनाओं को भी आज तक संचालित करने की कोशिश नहीं की गई है। इन सभी योजनाओं को चलाने का प्रयास किया जाय, यही मैं कहना चाहूँगा।

मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर ग्रेविटी से योजना नहीं बन पाती हैं, वहाँ पर निश्चित रूप से पम्पिंग योजनाओं की स्वीकृति सरकार को देनी चाहिये। अगर वह नहीं देती है तो इसका अर्थ है कि वह जलापूर्ति करने में अक्षम है, जलापूर्ति नहीं कर पायेगी और लोगों को पानी पिलाना नहीं चाहती है। एक पम्पिंग योजना की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि टिहरी गढ़वाल जिले की सारज्यूला–कोश्यारताल योजना है, इससे कई गाँवों को पेयजल की आपूर्ति होगी, इस योजना को भी बहुत जल्दी बनाया जाय। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तो इस उत्तराखण्ड का दुर्भाग्य यह है कि इस विभाग के अन्दर दो विभाग जल संस्थान और जल निगम काम करते हैं और दोनों में हमेशा विवाद रहता है। साथ

ही इन्होंने एक निर्णय कर दिया है कि जो एकल ग्राम सभा की योजना है, उनको ग्राम सभाओं को सौंप दिया गया है। मान्यवर, तो 3 स्तरों पर आपकी योजनाओं का रख रखााव होता है, निर्माण होता है, जिससे लगातार आपस में विवाद होता रहता है और आज सबसे बड़ी कठिनाई जो एकल ग्राम की योजनाएं हैं, उनको संचालित करने की गाँव वालों के सामने समस्या आ खड़ी हुई हैं, क्योंकि उसमें विभाग कोई पैसा नहीं देता है, जिला योजना से कोई पैसा नहीं मिलता है और बड़ी लम्बी योजनाएं भी एक गाँव की पेयजल मुहैया कराने वाली योजनाएं हैं और ग्राम सभा के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको ठीक कर सकें। तो इस पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। जो लम्बी एकल ग्राम समूह पेजल योजनाएं हैं, उनको बजट दे करके, उनके रख रखाव को करने की कोशिश विभाग को करनी चाहिए।

दूसरा, मैं तो ये कहूँगा कि जल संस्थान और जल निगम जब तक एक विभाग नहीं बनता है, तब तक ये विभाग संभल नहीं सकता है, काम ठीक से नहीं कर सकता है, क्योंकि कई विभाग हैं जो योजनाएं आपकी पूर्व से बनी हुई है, एक विभाग ने बना रखी है उसी स्रोत के ऊपर से दूसरी योजना विभाग बना करके आगे दूसरे गाँव को पानी देने की कोशिश करता है। जिसके कारण नीचे की जो योजना बनी हुई है, पानी गया है वो अपने आप में वहाँ पर जल स्तर घट जाता है। एक तो वैसे ही जल स्तर घट रहा है, दूसरा एक ही नाले, एक ही गदेरे से, स्रोत से कई योजनाएं विभाग बना देता है क्योंकि हर विभाग अपनी–अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करता है जिससे जो पुरानी योजनाएं हैं उन पर खतरा मंडरा गया है। मैं चाहूँगा कि निश्चित रूप से एक सर्वे पूरे राज्य के अन्दर हो, हमारा छोटा राज्य हैं, 13 जनपदों का राज्य है, इस 13 जनपद के राज्य को पानी पिलाने के लिए अगर हम ठीक से सर्वे करके ठोस नीति नहीं बना सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम प्रदेश को आगे नहीं बढ़ा सकते और इन तीन सालों में इस दिशा में कोई काम नहीं किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस दिशा में काम हो और काम आगे बढ़े, ये मैं कहना चाहूँगा और इसका बजट पेयजल जैसे महत्वपूर्ण विभाग हेतु बहुत कम रखा गया है। मैं चाहूँगा कि इस बजट को बढ़ाया जाय और इसमें भी विशेष रूप से जल के स्रोतों को बढ़ाने के लिए जल संचय करने के लिए और बरसाती पानी को रोकने के लिए और अधिक पैसे की व्यवस्था की जाय, उसकी ठोस नीति बनायी जाय, ये मैं कहना चाहूँगा। दूसरा, इसी शहरी विकास और आवास का मद भी इसी में है इसके लिए 473.7 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जिस तरह से शहरों का विकास सरकार कर रही है, वो बहुत ठीक नहीं है, विशेष रूप से जो गन्दगी आज दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रह है और उस कूड़ा–करकट को इकट्ठा करके उसका किस तरह से समाधान हो इसका कोई प्लांट आज तक उत्तराखण्ड के किसी भी बड़े शहर में नहीं लगाया गया है। एक

शहर का कूड़ा उठा करके सड़क के किनारे ले जा करके किसी नाले में फेंक दिया जाता है, विशेषरूप से पहाड़ में और उसके नीचे रहने वाले सारे लोग उससे परेशान रहते हैं। गन्दगी फैलती है, पानी गंदा होता है, बीमारियां फैलती हैं तो इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि जो कूड़ा हम अपने घर से, शहर से इकट्ठा करते हैं तो उसके निदान के लिए कोई ठोस नीति बना के कोई उसको खत्म करने की व्यवस्था उसी क्षेत्र में बने ताकि दूसरे को उसका नुकसान न उठाना पड़े, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे शहरों में जो बाल्मिकी समुदाय रहता है, कहीं–कहीं पर आज भी सर से मैला ढोने की प्रथा चालू है, ऐसे बाल्मिकी समाज के रहने के लिए, उनके आवास के लिए कोई विशेष कार्यक्रम सरकार ने इस बजट में नहीं रखा, मैं चाहूँगा कि हर शहर में उनको ठीक से आज के समय के अनुसार अच्छा मकान उस परिवार को मिल सके। जो आम सफाई को करने का काम करता है, गन्दगी को उठाने काम करता है, वह अपना जीवन ठीक से निभा सके, इस तरह का आवास उसको मुहैया होना चाहिए, इसके लिए भी इस बजट में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस बजट को बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा आज शहरों में यातायात को लेकर के बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और कई एक्सीडेन्ट शहरों के अन्दर होते हैं, कई स्कूल जाने वालों बच्चों के साथ हादसे हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंजवाल जी, सीमित करें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, उस यातायात की व्यवस्था को हम बढ़ती हुई आबादी के साथ शहरों में कैसे कन्ट्रोल कर सकें, इस पर भी सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यह कहना चाहूँगा कि इन तीन सालों के अन्तराल में सरकार ने उस दिशा में कोई काम करने की कोशिश नहीं की है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा, आगे इसको ठीक करने की कोशिश होनी चाहिए। मान्यवर, नगर पालिकाओं की स्थिति जो छोटी नगर पालिकायें हैं उनकी स्थिति आज बहुत दयनीय है क्योंकि उनके पास अपनी आमदनी बढ़ाने के कोई स्रोत नहीं हैं और कर्मचारी सरकार की अनुमति के बाद दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी आवशकयता भी है इसलिए उनको बढ़ाया गया, उनको तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और लगातार हड़तालें हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में विशेषकर जो छोटी नगर पालिकायें हैं, उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, उनके लिए अधिक बजट की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वहाँ की व्यवस्था ठीक हो सके ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। शहर के अन्दर रोजगार सृजन की योजना की बात आपने अपने बजट में कही, मैं समझता हूँ कि रोजगार सृजन की कोई व्यवस्था आज के दिन शहर के अन्दर नहीं है उसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष—

मानीय कुंजवाल जी, थोड़ा सीमित करें।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल—

मान्यवर, जनहित के जो बड़े शौचालय शहरों में हैं, क्योंकि शहरों के अन्दर गाँवों के लोग और जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं, अगर कहीं पर उनको परेशानी होती है, शौच जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इस तरह के शौचालय शहरों के अन्दर देखने को नहीं मिलते हैं, उनके निर्माण करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। मैं विशेष रूप से एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, सरकार विशेष जोरशोर से पथ प्रकाश की बात करती है, कुछ में पथ प्रकाश नगर पालिकायें करती है, उसकी भी व्यवस्था ठीक से नहीं है। अगर पथ प्रकाश के बल्ब लगे भी हैं तो शाम को आप शहर में घूमिये तो कई बल्ब आपको फ्यूज मिलते हैं, इसकी भी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए, यह मैं आपसे कहना चाहूँगा। विशेष रूप से शहरों के हित के लिए, मानव के हित के लिए स्वच्छता के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए बजट बढ़ाने की आवश्यकता है, उस दिशा में भी सरकार ने कोई काम नहीं किया, ये मैं कहना चाहूँगा। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री शहजाद—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो बजट शहरी विकास और पेयजल का दिया है, मैं समझता हूँ कि जल आज सबसे सस्ती चीज है, लेकिन सरकार पूरे प्रदेश को पेयजल देने में भी नाकाम है। यहाँ अनेक बार चर्चा होती रहती है, पहाड़ों पर तो वाकई थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन जो मैदान के क्षेत्र हैं वहाँ भी सरकार पूरी तरह नाकाम है आम आदमी को पेयजल उपलब्ध कराने में, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में हैण्डपम्प सबसे बड़ा माध्यम पेयजल के लिए है। माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में हैण्डपम्प के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। जिला योजना के माध्यम से हर विधान सभा क्षेत्र में 10 या 15 हैण्डपम्प लगते हैं, मैं समझता हूँ कि ये अपर्याप्त हैं, आम आदमी तक उनसे शुद्ध पेयजल नहीं पहुँच सकता। अनेक प्रदेश ऐसे हैं, जो हमारा पास का प्रदेश है उत्तर प्रदेश वहाँ पर प्रति विधान सभा क्षेत्र 300 हैण्ड पम्प की उन्होंने व्यवस्था की है, क्योंकि विधायक को अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट भी करना पड़ता है। मान्यवर, उसका भी काम होता है। चाहे वह विधायक सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का समस्या सभी की समान है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करें कि प्रति विधायक कम से कम 300 नहीं दे सककते हैं तो कम से कम

प्रति विधायक 100–100 हैण्ड पम्प देने का काम करें। माननीय मंत्री जी बंशीधर भगत जी, जब सुरेन्द्र राकेश जी बोल रहे थे तो उन्होंने कानों मे ऊँगली दे दी थी कि हम कुछ नहीं सुनते। मैं बोल रहा हूँ तो ये सर हिला रहे हैं कि हम कुछ देने वाले नहीं हैं। हमें भी उम्मीद इतनी नहीं है लेकिन माँग इसलिए कर रहे हैं कि प्रदेश की जनता यह कहे कि विपक्ष ने वाकई सत्ता को झकझोरने का काम किया था और वह इतने निर्दयी थे कि उन्होंने उसके बाद भी जागने का काम नहीं किया।

*परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

मान्यवर, माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं कि वे नौटंकी कर रहे हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, आज लिटरेचर नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

आज का विषय कल दे दिया गया था।

श्री शहजाद–

मान्यवर, हम नौटंकी नहीं कर रहे हैं। हम तो तुम्हारी आत्मा को झकझोरने का काम कर रहे हैं। कि आप इस प्रदेश की जनता को एक गिलास पानी तक देने में भी नाकाम हैं। कोई मंत्री इस सरकार का कान बन्द करता है तो कोई मुँह में हाथ रखता है कोई आँख बन्द करता है। बापू के तीन बन्दर वाली कहावत चरितार्थ होती है।

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, समय का ध्यान रखें। समय सीमित है हमारे पास।

श्री शहजाद–

मान्यवर, समय का मुझे पूरा ध्यान है। अधिक समय नहीं लूँगा। लेकिन जो कुंजवाल जी ने कहा कि जो छोटी–छोटी नगर पालिकायें हैं, नगर पंचायतें हैं, उन पर सरकार विशेष ध्यान दे और उनके लिए विशेष बजट की व्यवस्था करे। मान्यवर, जो हैण्ड पम्प की बात कही है अनेक हैण्ड पम्प प्रति गाँव, प्रति शहर के हिसाब से खराब हैं, उनके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की है कि हैण्ड पम्प ठीक कराने के लिए आप क्या करेंगे, न ही नये हैण्ड पम्प लगाने की व्यवस्था है। सरकार पेयजल लोगों को देने में नाकाम है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और निवेदन करूँगा कि माननीय मंत्री जी कितने हैण्ड पम्प प्रति विधान सभा देंगे इसकी घोषणा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कुंजवाल जी ने कुछ विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया और इसके साथ माननीय शहजाद जी ने भी ध्यान आकर्षित किया। मैं अवगत कराना चाहूँगा श्रीमन्, इस समय वर्तमान में राज्य के अन्दर ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम के तहत बृहद कार्यक्रम किये जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र इस कार्यक्रम से आच्छादित है। इसमें तीन तरह से कार्य होते हैं। पहला माँग आधारित पेयजल उपलब्ध कराना दूसरा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान और तीसरा पेयजल स्रोतों का संवर्द्धन और उसके आधार पर जल संवर्द्धन के कार्य करना। इस आधार पर जो कार्यक्रम हमारे माध्यम से संचालित हो रहे हैं। 25 मार्च, 2010 की सूचना हमारे पास है जो आई0एम0आई0एस0 के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में इसको एकत्र किया जाता है और सम्पूर्ण देश के केन्द्र शासित और राज्यों की संख्या 35 के आधार पर यह निर्धारण होता है कि किसने कार्यों की पूर्ति की। 25 तारीख अर्थात् आज की तारीख में जो सूचना हमारे पास है उसके अनुसार हमको 1218 गाँवों का टारगेट मिला था।

मान्यवर, आज की तिथि तक 938 गाँव के कार्य पूरे कर लिये हैं और पूरे भारत वर्ष में हमारे राज्य का प्रथम स्थान है, मान्यवर, 77.01 प्रतिशत के आधार पर हम प्रथम स्थान पर हैं। (तालियों की गड़गड़ाहट) जो पूरे भारत सरकार का डाटा एकत्रित किया जाता है। यदि माननीय सदस्यगण उचित समझें तो उनको उपलब्ध कराया जा सकता है।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, मैं यह कहूँगा कि यह धरातल पर कहीं नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, आपने जो प्रश्न उठाया था और जिन तीन योजनाओं का उल्लेख किया उनकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, आपने सारजुला पम्पिंग योजना की बात कही थी, उसके लिए 1.50 करोड़ अवमुक्त हो गये हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कुल कितने की योजना है और कब स्वीकृत हुई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सारजुला पट्टी पम्पिंग योजना 20 करोड़ 12 लाख रुपये की लागत की है, उसके सापेक्ष कुल अवमुक्त धनराशि और कौस्यार ग्राम पम्पिंग योजना जिसका जिक्र आपने अभी किया है वह भी 21 करोड़ 89 लाख रुपये की है, जिसकी पहली किस्त 1 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत हो गयी है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, कब स्वीकृत हुई है ?

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो स्वीकृति है वह 22–08–2006 की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आज 4 साल हो गये हैं, आप एक करोड़ रुपये स्वीकृत कर रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नम्बर, 2006 से पूर्व की जितनी भी योजना हैं और जो स्वैप की परिधि से बाहर हैं। मान्यवर, जिन पाँच योजनाओं के बारे में श्री कुंजवाल जी ने कहा है, वह योजनायें स्वैप के अन्दर आ गयी थी, जिसके चलते हुए इसकी कार्यवाही सम्पादित हो रही है, अभी पूरी नहीं हो पायी है। मान्यवर, जो मुंडनेश्वर ग्राम समूह पम्पिंग योजना आउट ऑफ स्वैप की योजना है, जिसकी अनुमानित लागत 11 करोड़ 96 लाख रुपये की है। वर्तमान में योजना के अन्तर्गत स्रोता कार्य, इंफ्रैन्टेशन वेल का कार्य पूर्ण हो चुका है बाकी का कार्य राईजिंग मैन इत्यादि का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसके साथ–साथ राईजिंग मैन आई0पी0एस0 सेकिन्ड का कार्य प्रगति पर है। मान्यवर, एम0पी0एस0 के विभिन्न कार्य निर्माणाधीन हैं। इसी तरह से चार जो योजनायें हैं डांडा नागराज ग्राम समूह पम्पिंग योजना, घन्टाकरण ग्राम समूह पम्पिंग योजना, सरयू–वैलक–दनिया ग्राम समूह पम्पिंग योजना और दोणम ग्राम समूह पम्पिंग योजना स्वैप के अन्तर्गत विरचित की जा रही है। मान्यवर चूँकि जो परकैपिट व्यय था वह विश्व बैंक के मानकों से अधिक हो रहा था, को संशोधन करने का प्रयास हम कर रहे हैं जिससे इसमें शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही हो, इसके साथ–साथ जो अन्य विषय आपने उठाये हैं कि स्वैप के अन्तर्गत कठिनाई आ रही है उस कठिनाई को दूर करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, जहाँ तक ग्राम पंचायतों के माध्यम से कार्य कराये जाने का प्रश्न है तो जो स्वैप आधारित योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं, उन योजनाओं की शर्त ही ग्राम सहभागिता है और उनका अनुपालन करना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, 4.45 मिनट पर सब ने कार्यक्रम में पहुँचना है। इसलिए समय का ध्यान दें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहूँगा जो अति आवश्यक है पेयजल विभाग के बजट की स्वीकृति प्रदान की जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुंजवाल जी, क्या कटौती का यह प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री शहजाद–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से हैण्ड पम्प के बारे में एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ और सभी सदस्यगण भी चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, जो हैण्ड पम्प हम राज्य सेक्टर और जिला सेक्टर में लगाते हैं वह एक निर्धारित प्रक्रिया है और नियमित प्रक्रिया हैं और जहाँ–जहाँ मांग होती हैं, उस आधार पर हम स्वीकृत करते हैं। (व्यवधान मे मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 जल आपूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2010–2011 के लिए अनुदान संख्या–13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 7481061 हजार (रुपये सात सौ अड़तालिस करोड़ दस लाख इक्सठ हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 534769 हजार (रुपये तिरपन करोड़ सैतालिस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी कृपया निर्वाचन विभाग की अनुदान मांग भी प्रस्तुत कर दीजिए।

अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 96724 हजार (रुपये नौ करोड़ सड़सठ लाख चौबीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, श्रम विभाग का जो मैंने अभी प्रस्ताव रखा ये श्रम विभाग द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार के अधिनियमित विभिन्न श्रम कानूनों का प्रवर्तन, औद्योगिक विवादों का निस्तारण, न्यूनतम वेतन, वेतन भुगतान, ग्रेच्यूटी समान कार्य हेतु महिला श्रमिकों को समान वेतन, बोनस भुगतान, दुर्घटना से प्रभावित कर्मकारों एवं मृत कर्मकारों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति एवं दावों का निस्तारण तथा बल एवं बंधुवा श्रमिकों का पुनर्वासन हेतु कार्यवाही की जाती है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क, लाईसेंस शुल्क दावों का वाद व्यय आदि के रूप में राजस्व प्राप्ति की जाती है। श्रम विभाग वर्तमान वित्तीय वर्ष में माह जनवरी, 451 दावों, औद्योगिक विवादों एवं एवार्डो का निस्तारण प्रतिपालन कराया गया तथा रु0 249.43 लाख की धनराशि ग्रेच्युटी, क्षतिपूर्ति वेतन, न्यूनतम मजदूरी आदि के रूप में 706 श्रमिकों, मृत श्रमिकों के आश्रितों को भुगतान कराया गया। इसके अतिरिक्त रु0 655.68 लाख की धनराशि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों से बोनस के रूप में 15074 श्रमिकों को भुगतान कराया गया। विभिन्न औद्योगिक विवादों में 6 समझौते कराये गये। श्रमिकों को ओवर टाईम वेतनवृद्धि एवं चिकित्सा लाभ आदि के रूप में सुविधाएं अनुमन्य कराई गयीं। राज्य में 2413 कारखाने तथा 62515 वाणिज्यिक अधिष्ठान पंजीकृत हैं जिनसे पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क आदि के रूप में रु0 133.79 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया। इसी के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में रु0 704.54 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर पक्ष में तथा रु0 31.78 लाख की धनराशि आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित की गई है। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इसे स्वीकृत करना चाहें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–16 श्रम एवं रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर 1 रु0 कर दी जाए। कमी करने का उद्‌देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय मंत्री जी ने जो श्रम एवं रोजगार विभाग का बजट रखा है मान्यवर, यह बहुत ही अदूरदर्शिता पूर्ण बजट है, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। जैसे अभी मंत्री जी

ने बताया कि लगभग 5 लाख लोग विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं और हमारे प्रदेश की साक्षरता दर लगभग 72 प्रतिशत है। मान्यवर, जो बेरोजगार हैं, इस मंत्रालय का नाम बेरोजगार मंत्रालय रख देना चाहिए था। क्योंकि रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए माननीय मंत्री जी ने बजट में कहीं पर कोई बात नहीं की है, तब चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो, चाहे असंगठित क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, सरकारी उपक्रमों में हो। मान्यवर, प्रदेश में सबसे बड़ा आज चिन्ता का विषय असंगठित क्षेत्र का है, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए कोई योजना इस बजट में नहीं है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को न्याय किस तरह से मिलेगा, उसकी मजदूरी ठीक ढंग से कैसे मिलेगी, उसके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, उसके साथ कोई अत्याचार होता है तो उसका निराकरण कैसे होगा, उस पर कहीं पर बजट में कोई दृष्टि नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। मान्यवर, बाल श्रम को रोकने के लिए क्या है ? प्रदेश में बहुत से बाल श्रमिक हैं, असंगठित क्षेत्र में ही हैं, लेकिन बाल श्रम को रोकने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नही है, उसका निराकरण कैसे होगा, इस पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

मान्यवर, श्रम कानूनों का पालन कैसे होगा, जब सरकारी क्षेत्र में ही श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि सरकार आज हर विभाग में ठेकेदारी प्रथा पर चल रही है और आज जो ठेकेदारी प्रथा पर कार्य कर रहे हैं सरकारी विभागों में उनके हितों के संरक्षण के लिए माननीय मंत्री जी के बजट में कोई प्राविधान नहीं है। मान्यवर, इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि हमारे प्रदेश में साक्षरता की दर बहुत अच्छी है, लगभग 72 परसेन्ट के आस–पास पहुँच गई है, श्रम मंत्रालय का जो लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षित करने का काम था, तब चाहे आई0टी0आई0 हो और प्रदेश में आई0टी0आई0 की जो स्थिति है, प्रदेश में पॉलिटेक्निक की जो स्थिति है उनको आज मजबूत करने की आवश्यकता थी इस बजट में हम आई0टी0आई0 में, पॉलिटैक्निक में पदों का सृजन करते, हम विषयों का सृजन करते।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री किशोर उपाध्याय जी, कृपया जरा गागर में सागर भरें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमारा निवेदन है कि आप हमें आज्ञा कर दें कि यह बजट रखा है और हम इस पर 'हाँ; या 'ना' कर दें।

श्री अध्यक्ष–

आपने आम बजट में विस्तार से चर्चा की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हमने नहीं की है, हम पीठ का सम्मान करते हैं आप कहते हैं तो नहीं बोलते हैं, जब चर्चा ही नहीं होनी है तो फार्मेलिटी क्यों की जाए।

श्री अध्यक्ष–

सभी लोगों ने चर्चा की है।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, आपने 4.45 पर कार्यक्रम रखा। हमने तो कहा नहीं कि आप इस वक्त रखें, आप उस कार्यक्रम को शनिवार या इतवार को भी रख सकते थे। कोई इतना महत्वपूर्ण काम नहीं है कि माननीय विधायक को सम्मानित करना है, उससे महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है कि इस बजट पर चर्चा होनी चाहिए। कम से कम जनता के सामने जाना चाहिए कि यह किस तरह से जन विरोधी सरकार है और यदि चर्चा नहीं करनी है तो फिर सब चलें। हम तैयारी करके सदन में आते हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आज जितना बोलना चाह रहे हैं, बोलें, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जितना समय आपने आक्रोशित होकर निकाल दिया है उतने समय में बेहतर तरीके से बात हो सकती थी।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमें यह दे दें या ये बना दें, हम जनता की बात कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट लेकर कर रहे हैं कि पॉलिटैक्निक कैसे चला लोगे आप, आई0टी0आई0 कैसे चला लेंगे, यहाँ के लोगों को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, हम कोई टोका–टोकी सुनने के लिए यहाँ सदन में नहीं आये हैं, हम नहीं बोल रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, आप पॉलिटैक्निक का विषय कह रहे हैं। पॉलिटैक्निक तो इससे सम्बन्धित ही नहीं है। जिसका बजट रखा गया है, उससे सम्बन्धित तो पॉलिटैक्निक है ही नहीं। पॉलिटैक्निक तो तकनीकी शिक्षा से सम्बन्धित विषय है। आप तकनीकी शिक्षा के विषय को श्रम विभाग से जोड़कर चल रहे हैं। आप आई0टी0आई0 की बात करें। आप बात को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आई0टी0आई0 की बात कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

आप धैर्य से बात करें, आपकी पूरी बात सुनने को हम तैयार हैं। आपके माध्यम से कुछ दिशा–निर्देश मिले कि कैसे बेहतर काम हो सके यह हम उम्मीद करते हैं। (व्यवधान)

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दो–दो मिनट में टोका–टोकी कोई अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, टोका–टोकी नहीं होगी, आप तसल्ली से पूरा बोलें। आप नाराज न हों, गुस्से में आप अच्छे नहीं लगते हो। आप असंगठित क्षेत्र में कुछ दिशा–निर्देश दें कि इस क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। हम जो करना चाहते हैं वह हम बता रहे हैं।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, हम दो मिनट में खुश हो जाते हैं और दो मिनट में नाराज हो जाते हैं। यह तो किशोर की खासियत होती है और आपकी कृपा रही और माननीय अध्यक्ष जी की कृपा रही तो 100 साल में भी मैं किशोर ही रहूँगा, यह मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति है, मेरे सामने असंगठित क्षेत्र में तीन हत्याएं हुई। एक हत्या चम्बा में हुई और दो हत्याएं देहरादून में हुई हैं। इनको रोकने के लिए इनका कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों नहीं आप असंगठित क्षेत्र के लिए प्रदेश में पहल करें, इसके लिए कानून बनायें, उनको किस तरह से संरक्षण मिले। मान्यवर, जो लोग घरों में काम कर रहे हैं और घरों में छोटे बच्चों को सेवायेजित न किया जाय, इसके लिए हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? बाल श्रम के लिए क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? मान्यवर, ग्रेच्यूटी के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि जो आश्रित हैं, उनके लिए इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसा एक हास्पिटल आपके यहाँ बनने जा रहा है, पता नहीं वह कब बनेगा, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर रखा है, उसमें इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए जो प्रस्ताव मैंने यहाँ पर रखा है, उस पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, माननीय किशोर उपाध्याय जी ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे हैं। मैं उन सुझावों का आदर करता हूँ। उन्होंने हमारे जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनकी समस्या के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है। इस सम्बन्ध में, मैं अवगत

करना चाहूँगा कि जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना हमारी वर्तमान में संचालित हो रही है उसके अन्तर्गत हम कोटद्वार, किच्छा, खटीमा, जसपुर तथा बाजपुर में इनके लिए चिकित्सालय खोलने जा रहे हैं, डिस्पेंसरी खोलने जा रहे हैं, ताकि श्रमिकों को अंतरंग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु सिडकुल हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में हमारे चिकित्सालय बनेंगे और जनपद हरिद्वार में हमारा मेडिकल कॉलेज बनेगा जिसकी भूमि हमने चयनित कर दी है और भारत सरकार उसमें सहयोग करेगी और वह स्थापित होगा। इसके साथ–साथ जब तक इसकी स्थापना में विलम्ब होता है, तब तक के लिए इनको विशिष्ट और अति विशिष्ट चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हमने कुछ संस्थानों को इन्पेनल किया है। इस संस्थानों के माध्यम से जो हमारे श्रमिक हैं, कामगार हैं, इनको विशिष्ट और अति विशिष्ट चिकित्सा की आवश्यकता भी पड़ेगी तो इन्हें कैशलैस बेस में हमारे माध्यम से इनको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसके साथ–साथ जो विषय आपने सेवायोजन कार्यालयों का उठाया है तो सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से विभाग को अभी 23474 बेरोजगार अभ्यर्थियों के नामों का सम्प्रेक्षण किया गया है, जिसके फलस्वरूप 1968 बेरोजगार अभी तक सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर चुके हैं।

श्रीमन्, अद्यतन इस वित्तीय वर्ष की जो स्थिति है, उसके अनुसार 4 लाख 94 हजार 426 बेरोजगार विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं। हमारा विभाग बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। जहाँ तक आई0टी0आई0 के इंस्ट्रक्टर्स का विषय आया, उनके रिक्त पदों पर भर्ती हम शीघ्र ही चालू करने वाले हैं। उनकी सेवा नियमावलियों में उचित संशोधन होने के बाद भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है। इसके बाद हमारे यहाँ जो 106 आई0टी0आई0 स्थापित हैं, वे व्यवस्थित तरीके से कार्य करेंगे। मान्यवर, असंगठित क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने अभी जिन समितियों का गठन करना प्रारम्भ किया है, उनका कार्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का चिन्हीकरण और उनकी जहाँ पर मण्डियाँ लगती हैं, जहाँ पर वे एकत्रित होते हैं, उन पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, हमारे श्रम विभाग के माध्यम से जो विभिन्न सुविधाएं दी जाती है, वह उनको भी मिलें, इसके लिए हम श्रम संविदा सलाहकार बोर्ड, श्रमजीवी पत्रकार त्रिदलीय समिति, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, उत्तराखण्ड वूमन चीनी त्रिदलीय समिति, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के गठन की कार्यवाही कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले त्रैमास में हम इस कार्यवाही को पूरा कर लेंगे।

बीमा के बारे में बताना चाहूँगा कि ए0एस0आई0 के माध्यम से जो सुविधा अन्य संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलनी है, यह सुविधा हम इनको प्रदान कर सकें, इसके लिए हम ये 5 बोर्ड गठित करने जा रहे हैं। जिनको हम इस त्रैमास में कर लेंगे। युद्ध

स्तर पर हम इनके चिन्हीकरण की कार्यवाही करेंगे कि ताकि इनको हित लाभ दिया जा सके, इनके हितों का संरक्षण किया जा सके। इसलिए मैं चाहूँगा कि किशोर जी अपनी कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे क्योंकि हम बहुत गम्भीर हैं, मुस्कुराकर आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले लेंगे तो आन्नद आ जाएगा।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हँसते हुए आपके चेहरे से कोई गंभीरता तो स्पष्ट हो नहीं रही है। इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा था। मेरे प्रश्न में आपका उत्तर मिला। 2006 में जो दो आई0टी0आई0 खोले गये थे, उनका संचालन अभी तक शुरू नहीं किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या जुलाई, 2010 से ये शुरू हो जाएंगे ? 2006 में स्वीकृत हो गये हैं, यह आपने भी एक्सेप्ट किया है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होती है। प्रस्ताव हमारे यहाँ से जाता है, जो 2 आई0टी0आई0 की जानकारी मैंने आपको उपलब्ध करायी थी, हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका कार्य प्रारम्भ हो। क्योंकि आपने जो प्रश्न मुझे उपलब्ध कराया था, भारत सरकार से अनुमति मिलते ही हम इसको शुरू कर देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महू भाई"–

मान्यवर, 2006 में वित्तीय स्वीकृति भी हो गयी। मकान भी ढूँढ लिये गये और मकानों की रजिस्ट्री भी हो गयी।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस प्रकरण को स्पेसिफिकली दिखवा लूँगा।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय मंत्री जी, हरिद्वार में भी आई0टी0आई0 खुलेगा या नहीं इसके लिए एस0सी0पी0 में भी बहुत पैसा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–16 श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए अनुदान संख्या–16, श्रम और रोजगार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 534769 हजार (रुपये तिरपन करोड़ सैंतालिस लाख उन्हत्तर हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, पहले माननीय मंत्री जी अपना बजट भाषण रख लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने रख दिया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने प्रस्ताव रख दिया है। छोटा सा विभाग है।

श्री गोपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, निर्वाचन विभाग बहुत महत्वूपर्ण विभाग है। लोकतंत्र की आधारशिला निर्वाचन विभाग है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा विभाग है, कोई महत्वपूर्ण विभाग नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि निर्वाचन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैंने तो कुल नौ करोड़ रुपये मांगे हैं और आपने कहा कि इसको घटाकर एक रुपया कर दिया जाय, इसलिए मैं बैठ गया। (हँसी)

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, हमारे बिना कहे ही आपने इसमें कटौतियां कर रखी हैं, होना यह चाहिये, क्योंकि निर्वाचन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। माननीय अध्यक्ष जी, जो पोलिंग पार्टियाँ दूरस्थ पोलिंग स्टेशनों पर जाती हैं, उनके लिए खाने–पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। गाँव के लोग ही उसकी व्यवस्था करते हैं, सरकार की ओर से कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती है। इससे होता यह है कि वहाँ पर जो

उम्मीदवार होते हैं, वह स्वयं इसकी सेवा करते हैं और गलत फायदा उठाते हैं। लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्था इस बजट में नहीं दर्शाई गई है। मजदूरी में कटौती कर दी गई है, सारी की सारी चीजों में कटौती की गई है, मात्र 9 करोड़ का बजट है। जबकि निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है, समय–समय पर निर्वाचन प्रदेश में होते रहते हैं, इसके लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इस बजट में ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और सरकार से आग्रह है कि जैसे पंचायतों के चुनाव होते हैं तो काउंटिंग के अधिकारी चुनाव के बाद 2–2, 3–3 रात तक जगते रहते हैं। तो होता क्या है कि वे लोग सोते हैं और दो–तीन बैलेट नीचे गिर रहे हैं, कुछ इधर–उधर गिर रहे हैं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था बजट में नहीं की गई है। जिससे वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, कहीं की काउंटिंग होती है, बैलेट कहीं और चले जाते हैं, किसी को हरा दें, किसी को जिता देते हैं, ऐसे तमाम बार देखने में आया है। तो मान्यवर, इस तरह से वेतन भत्तों की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तो मैं पुनः अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस वित्तीय वर्ष में कोई भी निर्वाचन होना प्रस्तावित नहीं है, इसलिए इसमें नहीं रखा गया है। यदि आवश्यकता होगी तो हम पुनः इसको माननीय सदन के समक्ष लायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गोपाल सिंह जी, क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–05, निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपये 96724 (रुपये नौ करोड़ सड़सठ लाख चौबीस हजार मात्र) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

नियम–310 के अन्तर्गत अल्मोड़ा नगर में दिनांक 24 मार्च, 2010 को बक्शीखोला में श्री हेम जोशी तथा श्री नवीन चन्द्र जोशी आदि के मकानों में लगी भीषण आग से हुई क्षति के सम्बन्ध में सूचना

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, इस पर मैंने जानकारी मंगवा ली है।

*श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब हम बजट भाषण पर बोल रहे थे तो आपने कहा कि थोड़ा–थोड़ा बोलो, जब मदवार चर्चा होगी तो आप इसमें हिस्सा लेना। तो जब हम विभागीय मदवार चर्चा में भाग लेना चाह रहे हैं तो आप कह रहें हैं कि आपका नाम नहीं है। तो श्रीमन्, कहीं पर तो हमें बोलने का मौका दिया जाय, या तो बजट भाषण में बोलने का समय दे दिया जाय या विभागीय मदवार चर्चा में मौका दे दिया जाय। श्रीमन्, इस विषय पर आपकी व्यवस्था आ जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, कल बात करेंगे।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, जिस घटना का उल्लेख करते हुए नियम–310 में माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी जी ने सूचना रखी है। इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 14–03–2010 को अल्मोड़ा जनपद में यह जो घटना घटित हुई है। मान्यवर, उसमें दिनांक 24–03–2010 को सायं 4.00 बजे मौहल्ला बक्शीखोला अल्मोड़ा में श्री किशन चन्द्र जोशी, भुवन चन्द्र जोशी पुत्रगण स्व0 श्री शिवदत्त जोशी व मोहन चन्द्र जोशी, सुरेश चन्द्र जोशी पुत्रगण स्व0 पीताम्बर जोशी के आवासीय भवन के भूतल के पास पड़े कूड़े, कागज के ढेर में आग लग गयी, जिससे उक्त चार मंजिला भवन आग की चपेट में आ गया और घर पूरी तरह जल कर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना स्थल पर प्रशासन की ओर से तत्काल पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित हुए एवं अग्निशमन दल अल्मोड़ा के साथ–साथ रानीखेत, नैनीताल, एस0एस0बी0 सेना, आई0टी0बी0पी0 एवं जल संस्थान के फायर टैंकरों एवं पानी के टैंकरों की सहायता से भीषण आग पर लगभग दो घंटे के अथक प्रयास से नियंत्रण पा लिया गया। उक्त चार मंजिला भवन पुराना होने एवं भवन में लकड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा लगी होने के कारण आग को नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हुई, फिर भी दो घंटे में पूर्ण रूप से आग पर नियंत्रण पा लिया गया। आग से उक्त चार मंजिला भवन के जलकर नष्ट हो जाने के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई जन और पशु हानि नहीं हुई है। ऐहतियात के तौर पर मौके पर फायर ब्रिगेड, पुलिस बल तैनात किया गया है। मकान एवं मकान में रखे हुए सामान की क्षति का आकलन किया जा रहा है। श्रीमन्, ये सूचना मैंने सदन को दी।

श्री मनोज तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें एक घंटे बाद वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची है, एक घंटे बाद। बहुत संवेदनशील विषय है और प्रशासन का एक भी आदमी वहाँ पर उपस्थित नहीं था। जबकि अल्मोड़ा के अन्दर दो फायर ब्रिगेड हैं एक कुम्भ में भेज दी गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक सरकार ने कोई जाँच के आदेश भी नहीं दिये हैं। हम चाहते हैं कि इसमें तत्काल जाँच के आदेश हों। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–10 को मैं स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–11 को मैं स्थगित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत श्रीमती वीना महराना, श्री किशोर उपाध्याय, श्री मनोज तिवारी, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शेर सिंह गढ़िया तथा श्रीमती अमृता रावत की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, मैं इसमें से माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी की सूचना, जो

अल्मोड़ा में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा चम्पावत विधान सभा के अन्तर्गत तामली में पेयजल संकट के निराकरण हेतु लोहावती नदी से लिफ्ट पेयजल योजना बनाकर पानी उपलब्ध कराये जाने की माँग के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्रीमती वीना महराना की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद चम्पावत के अन्तर्गत टनकपुर में श्री पूर्णागिरी में फायर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2009 को करने के उपरान्त भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में श्रीमती वीना महराना द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[श्रीमन्, टनकपुर (चम्पावत) में फायर स्टेशन हेतु 41 अग्निशमन कर्मियों के पदों का सृजन तथा रुपये 51 लाख 73 हजार वित्तीय वर्ष 2010–2011 में नई मांग के माध्यम से प्रस्तावित है।]

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के तहत प्रस्तावित विकास खण्ड जालली से लगी हुई लगभग 60 ग्राम सभाओं में लो–वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए तत्कालीन ऊर्जा मंत्री द्वारा 4 वर्ष पूर्व 33/11 के0वी0ए0 सब–स्टेशन बनाए जाने की घोषणा तथा तत्पश्चात् विभाग द्वारा प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ न किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[श्रीमन्, विकास खण्ड जालली से लगी हुई 55 से 60 ग्राम सभाओं में लो वोल्टेज की समस्या के निदान हेतु 1X3 एम0वी0ए0 का 33/11 के0वी0 उपसंस्थान का निर्माण प्रस्तावित है। उक्त उपसंस्थान के पास से गुजर रही नैनी से मासी 33 के0वी0 लाईन से लीलो लाईन बनाकर ऊर्जाकृत किया जायेगा। जिसको वर्ष 2010–11 मे पूर्ण कर लिया जायेगा।]

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(सदन की कार्यवाही 4 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून
दिनांक 25 मार्च, 2010

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 14 विधान सभा / 200–28–08–2012–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर / रीजियो)।